रजिस्टर्ड नं०–ए०डी०–4
लाइसेन्स सं०–डब्ल्यू०पी०–41
(लाइसेन्स्ड टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

खण्ड 79] प्रयागराज, शनिवार, 20 सितम्बर 2025 ई० (भाद्रपद 29, 1947 शक संवत्) [संख्या 38

विषय-सूची

हर भाग के पन्ने अलग-अलग किये गये हैं, जिससे इनके अलग-अलग खण्ड बन सके।

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
सम्पूर्ण गजट का मूल्य		रु0
भाग 1– विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस	503–516	3075
भाग 1–क– नियम, कार्य-विधियां, आज्ञायें, विज्ञप्तियां इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया	993–996	1500
भाग 1–ख (1) औद्योगिक न्यायाधिकरणों के अभिनिर्णय		
भाग 1–ख (2)–श्रम न्यायालयों के अभिनिर्णय		
भाग 2–आज्ञायें, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों का उद्धरण	...	975
भाग 3–स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़पत्र, खण्ड ग–निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा खण्ड घ–जिला पंचायत	...	975
भाग 4– निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश	...	975
भाग 5–एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तर प्रदेश	...	975
भाग 6–(क) बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किये गये या प्रस्तुत किये जाने से पहले प्रकाशित किये गये	...	975
(ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट		
क–भारतीय संसद के ऐक्ट		
भाग 7–(क) बिल, जो राज्य की धारा सभाओं में प्रस्तुत किये जाने के पहले प्रकाशित किये गये		
(ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट		
भाग 7–क–उत्तर प्रदेशीय धारा सभाओं के ऐक्ट		
भाग 7–ख–इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	...	975
भाग 8–नगरपालिका परिषद्, नगर पंचायत, सरकारी कागज-पत्र, दबाई हुई रूई की गाठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आँकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आँकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि	1421-1501	975
स्टोर्स–पर्चेज विभाग का क्रोड़ पत्र	...	1425

भाग 1

विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस।

आयुष विभाग

अनुभाग–2

औपबन्धिक नियुक्ति

10 अक्टूबर, 2024 ई0

सं0 4810/96-आयुष-2-2024-93/2017–उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा किये गये चयन के फलस्वरूप सम्बन्धित अभ्यर्थी के सम्बन्ध में आयोग के पत्र-संख्या-162/08/डी0आर0/एस-11/2018-19, दिनांक 22 फरवरी, 2024 के माध्यम से प्रेषित संस्तुति के आधार पर राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज में प्रवक्ता-फार्मेसी (शिक्षा संवर्ग के अन्तर्गत) के पद पर चयनित अभ्यर्थियों में से डा0 विशाल कुमार सिंह का विवरण निम्नवत् है–

अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	मा0 आयोग द्वारा निर्गत मुख्य सूची में क्रमांक	रजिस्ट्रेशन नम्बर	गृह जनपद	स्थायी पता	पदस्थापना/तैनाती स्थल
1	2	3	4	5	6	7
डा0 विशाल कुमार सिंह	श्री भुल्लन सिंह	6	53600569251	जौनपुर	भुल्लन सिंह, म0नं0-62, ग्राम-धर्मपुर, पोस्ट-गोपालनपुर, जौनपुर, उ0प्र0–222137	राजकीय गाजीपुर होम्योपैथिक मेडिकल कालेज एवं अस्पताल, गाजीपुर।

2– शासनादेश संख्या-04/2021/1/4/2011-का-4-2021 दिनांक 29 अप्रैल, 2021 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुरूप उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा चयनित उपर्युक्त अभ्यर्थी को उ0प्र0 राज्य होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय (अध्यापकों की सेवा) नियमावली, 1990 यथासंशोधित नियमावली 2017 सेवा संवर्ग के अन्तर्गत पद प्रवक्ता, वेतनमान रु0 15,600-39,100/– ग्रेड पे-5,400/– (मैट्रिक्स लेवल-10) पर तैनात करते हुए कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से नियमानुसार 02 वर्ष की परिवीक्षा पर अस्थायी रूप से निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन औपबन्धिक रूप से नियुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती है–

(1) अभ्यर्थी को अपना कार्यभार इस आदेश के निर्गत होने के 01 माह के अन्दर अवश्य ग्रहण कर लेना होगा। यदि अभ्यर्थी इस अवधि में कार्यभार ग्रहण नहीं करता है, तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। अभ्यर्थी को अपनी नियुक्ति के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा-भत्ता इत्यादि देय नहीं होगा।

(2) अभ्यर्थी को उक्त औपबन्धिक नियुक्ति इस शर्त के साथ प्रदान की जा रही है कि यदि अभ्यर्थी का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं होता है या अभ्यर्थी द्वारा अपने स्वसत्यापन या घोषणा-पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है, तो औपबन्धिक नियुक्ति-पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा और परिणाम स्वरुप अन्य आपराधिक/ विधिक कार्यवाही भी की जायेगी।

(3) यह नियुक्ति नितान्त औपबन्धिक एवं अस्थाई है। यदि बाद में अभ्यर्थी के सम्बन्ध दिये गये प्रमाण-पत्र एवं अन्य सेवा शर्तों को असत्य पाया जाता है, तो उनकी सेवायें बिना कोई कारण बताये तत्काल समाप्त कर दी जायेगी और असत्य प्रमाण-पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में नियमानुसार विभागीय आपराधिक (क्रिमिनल) कार्यवाही की जायेगी।

(4) सम्बन्धित अभ्यर्थी की ज्येष्ठता बाद में नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(5) नवचयनित प्रवक्ता को वेतन के साथ-साथ शासन द्वारा समय-समय पर स्वीकृत मंहगाई भत्ता व अन्य देय भत्ते भी नियमानुसार अनुमन्य होगें।

(6) आवश्यकतानुसार सम्बन्धित अभ्यर्थी को किसी भी राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज में स्थानान्तरित किया जा सकेगा।

(7) प्रश्नगत औपबन्धिक नियुक्ति योजित सर्विस सिंगल संख्या-2002/2021 डॉ0 देवेन्द्र कुमार शुक्ला व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, तथा रिट ए संख्या-28131/2021 डॉ0 ज्ञान प्रकाश गौतम व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद-खण्डपीठ लखनऊ द्वारा पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेंगी।

(8) कार्यभार ग्रहण कराने वाले सम्बन्धित अधिकारी द्वारा अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व अभ्यर्थी के मूल प्रमाण-पत्रों एवं डिग्रियों की आवश्यक जांच स्वयं कराना सुनिश्चित करेगें। उक्त के साथ अभ्यर्थी के कार्यभार ग्रहण करने से अभ्यर्थी यदि पूर्व में अन्यत्र कार्यरत हो, तो अभ्यर्थी द्वारा सम्बन्धित विभाग से तकनीकी त्याग-पत्र देने/कार्यमुक्त होने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार करेंगे तथा प्रत्येक प्रमाण-पत्र एवं डिग्रियों की अभिप्रमाणित प्रतिलिपियाँ निम्नलिखित प्रमाण-पत्रों के साथ शासन को कार्यभार प्रमाणक सहित तुरन्त प्रेषित करेगें–

I- अभ्यर्थी के केवल एक जीवित पति/पत्नी होने का प्रमाण-पत्र।

II- अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के हस्ताक्षर से अपनी चल-अचल सम्पत्ति का विवरण।

III- 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों जो सक्रिय सेवा में तथा अभ्यर्थी के निजी जीवन से पूर्णरूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, द्वारा प्रमाणित अभ्यर्थी के पासपोर्ट साईज की 02 फोटों एवं अभ्यर्थी के उच्च चरित्र का प्रमाण-पत्र।

IV- सम्बन्धित अभ्यर्थी के विरुद्ध अभियोजन न चलने तथा न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में एक शपथ-पत्र।

V- सम्बन्धित राज्य होम्यो-मेडिकल कौंसिल/बोर्ड द्वारा दिये गये स्थायी रजिस्ट्रेशन की 02 प्रतियाँ।

VI- ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

VII- गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

सं0 4811/96-आयुष-2-2024-93/2017–उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा किये गये चयन के फलस्वरूप सम्बन्धित अभ्यर्थी के सम्बन्ध में आयोग के पत्र-संख्या-162/08/डी0आर0/एस-11/2018-19, दिनांक 22 फरवरी, 2024 के माध्यम से प्रेषित संस्तुति के आधार पर राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज में प्रवक्ता-फार्मेसी (शिक्षा संवर्ग के अन्तर्गत) के पद पर चयनित अभ्यर्थियों में से डा0 शैलेन्द्र कुमार मौर्या का विवरण निम्नवत् है–

अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	मा0 आयोग द्वारा निर्गत मुख्य सूची में क्रमांक	रजिस्ट्रेशन नम्बर	गृह जनपद	स्थायी पता	पदस्थापना/तैनाती स्थल
1	2	3	4	5	6	7
डा0 शैलेन्द्र कुमार मौर्या	श्री राम अवध मौर्या	3	53600571371	प्रयागराज	राम अवध मौर्या, 287 बी0वाई-1, एल0बी0वाई-8, पूरा दलेल, तिलक नगर, आल्हापुर, प्रयागराज, उ0प्र0-211006	राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज एवं अस्पताल, आजमगढ़

2– शासनादेश संख्या-04/2021/1/4/2011-का-4-2021 दिनांक 29 अप्रैल, 2021 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुरूप उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा चयनित उपर्युक्त अभ्यर्थी को उ0प्र0 राज्य होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय (अध्यापकों की सेवा) नियमावली, 1990 यथासंशोधित नियमावली 2017 सेवा संवर्ग के अन्तर्गत पद प्रवक्ता, वेतनमान रु0 15,600-39,100/– ग्रेड पे-5,400/– (मैट्रिक्स लेवल-10) पर तैनात करते हुए कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से नियमानुसार 02 वर्ष की परिवीक्षा पर अस्थायी रूप से निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन औपबन्धिक रूप से नियुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती है–

(1) अभ्यर्थी को अपना कार्यभार इस आदेश के निर्गत होने के 01 माह के अन्दर अवश्य ग्रहण कर लेना होगा। यदि अभ्यर्थी इस अवधि में कार्यभार ग्रहण नहीं करता है, तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। अभ्यर्थी को अपनी नियुक्ति के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा भत्ता इत्यादि देय नहीं होगा।

(2) अभ्यर्थी को उक्त औपबन्धिक नियुक्ति इस शर्त के साथ प्रदान की जा रही है कि यदि अभ्यर्थी का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं होता है या अभ्यर्थी द्वारा अपने स्वसत्यापन या घोषणा-पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है, तो औपबन्धिक नियुक्ति-पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा और परिणाम स्वरुप अन्य आपराधिक/विधिक कार्यवाही भी की जायेगी।

(3) यह नियुक्ति नितान्त औपबन्धिक एवं अस्थाई है। यदि बाद में अभ्यर्थी के सम्बन्ध दिये गये प्रमाण-पत्र एवं अन्य सेवा शर्तों को असत्य पाया जाता है, तो उनकी सेवायें बिना कोई कारण बताये तत्काल समाप्त कर दी जायेगी और असत्य प्रमाण-पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में नियमानुसार विभागीय आपराधिक (क्रिमिनल) कार्यवाही की जायेगी।

(4) सम्बन्धित अभ्यर्थी की ज्येष्ठता बाद में नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(5) नवचयनित प्रवक्ता को वेतन के साथ-साथ शासन द्वारा समय-समय पर स्वीकृत मंहगाई भत्ता व अन्य देय भत्ते भी नियमानुसार अनुमन्य होगें।

(6) आवश्यकतानुसार सम्बन्धित अभ्यर्थी को किसी भी राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज में स्थानान्तरित किया जा सकेगा।

(7) प्रश्नगत औपबन्धिक नियुक्ति योजित सर्विस सिंगल संख्या-2002/2021 डॉ0 देवेन्द्र कुमार शुक्ला व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, तथा रिट ए संख्या-28131/2021 डॉ0 ज्ञान प्रकाश गौतम व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद-खण्डपीठ लखनऊ द्वारा पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेंगी।

(8) कार्यभार ग्रहण कराने वाले सम्बन्धित अधिकारी द्वारा अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व अभ्यर्थी के मूल प्रमाण-पत्रों एवं डिग्रियों की आवश्यक जांच स्वयं कराना सुनिश्चित करेगें। उक्त के साथ अभ्यर्थी के कार्यभार ग्रहण करने से अभ्यर्थी यदि पूर्व में अन्यत्र कार्यरत हो, तो अभ्यर्थी द्वारा सम्बन्धित विभाग से तकनीकी त्याग-पत्र देने/कार्यमुक्त होने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार करेंगे तथा प्रत्येक प्रमाण-पत्र एवं डिग्रियों की अभिप्रमाणित प्रतिलिपियाँ निम्नलिखित प्रमाण-पत्रों के साथ शासन को कार्यभार प्रमाणक सहित तुरन्त प्रेषित करेगें–

I- अभ्यर्थी के केवल एक जीवित पति/पत्नी होने का प्रमाण-पत्र।

II- अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के हस्ताक्षर से अपनी चल-अचल सम्पत्ति का विवरण।

III- 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों जो सक्रिय सेवा में तथा अभ्यर्थी के निजी जीवन से पूर्णरूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, द्वारा प्रमाणित अभ्यर्थी के पासपोर्ट साईज की 02 फोटों एवं अभ्यर्थी के उच्च चरित्र का प्रमाण-पत्र।

IV- सम्बन्धित अभ्यर्थी के विरुद्ध अभियोजन न चलने तथा न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में एक शपथ-पत्र।

V- सम्बन्धित राज्य होम्यो-मेडिकल कौंसिल/बोर्ड द्वारा दिये गये स्थायी रजिस्ट्रेशन की 02 प्रतियाँ।

VI- ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

VII- गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

सं0 4812/96-आयुष-2-2024-93/2017—उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा किये गये चयन के फलस्वरूप सम्बन्धित अभ्यर्थी के सम्बन्ध में आयोग के पत्र संख्या-191/08/डी0आर0/एस-11/2018-19 टी0सी0—03, दिनांक 22 फरवरी, 2024 के माध्यम से प्रेषित संस्तुति के आधार पर राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज में प्रवक्ता-रिपर्टरी (शिक्षा संवर्ग के अन्तर्गत) के पद पर चयनित अभ्यर्थियों में से डा0 माधुरी सिंह का विवरण निम्नवत् है—

अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	मा0 आयोग द्वारा निर्गत मुख्य सूची में क्रमांक	रजिस्ट्रेशन नम्बर	गृह जनपद	स्थायी पता	पदस्थापना/तैनाती स्थल
1	2	3	4	5	6	7
डा0 माधुरी सिंह	श्री एस0एन0 सिंह	8	53600587929	प्रयागराज	श्रीमती शांति सिंह, 1355के, छोटा बाघड़ा, प्रयागराज, उ0प्र0-211002	राजकीय नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कालेज एवं अस्पताल, लखनऊ

2— शासनादेश संख्या-04/2021/1/4/2011-का-4-2021 दिनांक 29 अप्रैल, 2021 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुरूप उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा चयनित उपर्युक्त अभ्यर्थी को उ0प्र0 राज्य होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय (अध्यापकों की सेवा) नियमावली, 1990 यथासंशोधित नियमावली 2017 सेवा संवर्ग के अन्तर्गत पद प्रवक्ता, वेतनमान रु0 15,600-39,100/— ग्रेड पे-5,400/— (मैट्रिक्स लेवल-10) पर तैनात करते हुए कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से नियमानुसार 02 वर्ष की परिवीक्षा पर अस्थायी रूप से निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन औपबन्धिक रूप से नियुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती है—

(1) अभ्यर्थी को अपना कार्यभार इस आदेश के निर्गत होने के 01 माह के अन्दर अवश्य ग्रहण कर लेना होगा। यदि अभ्यर्थी इस अवधि में कार्यभार ग्रहण नहीं करता है, तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। अभ्यर्थी को अपनी नियुक्ति के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा-भत्ता इत्यादि देय नहीं होगा।

(2) अभ्यर्थी को उक्त औपबन्धिक नियुक्ति इस शर्त के साथ प्रदान की जा रही है कि यदि अभ्यर्थी का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं होता है या अभ्यर्थी द्वारा अपने स्वसत्यापन या घोषणा-पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है, तो औपबन्धिक नियुक्ति-पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा और परिणाम स्वरुप अन्य आपराधिक/ विधिक कार्यवाही भी की जायेगी।

(3) यह नियुक्ति नितान्त औपबन्धिक एवं अस्थाई है। यदि बाद में अभ्यर्थी के सम्बन्ध दिये गये प्रमाण-पत्र एवं अन्य सेवा शर्तों को असत्य पाया जाता है, तो उनकी सेवायें बिना कोई कारण बताये तत्काल समाप्त कर दी जायेगी और असत्य प्रमाण-पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में नियमानुसार विभागीय आपराधिक (क्रिमिनल) कार्यवाही की जायेगी।

(4) सम्बन्धित अभ्यर्थी की ज्येष्ठता बाद में नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(5) नवचयनित प्रवक्ता को वेतन के साथ-साथ शासन द्वारा समय-समय पर स्वीकृत मंहगाई-भत्ता व अन्य देय भत्ते भी नियमानुसार अनुमन्य होगें।

(6) आवश्यकतानुसार सम्बन्धित अभ्यर्थी को किसी भी राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज में स्थानान्तरित किया जा सकेगा।

(7) प्रश्नगत औपबन्धिक नियुक्ति योजित सर्विस सिंगल संख्या-2002/2021 डॉ0 देवेन्द्र कुमार शुक्ला व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, तथा रिट ए संख्या-28131/2021 डॉ0 ज्ञान प्रकाश गौतम व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद-खण्डपीठ लखनऊ द्वारा पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेंगी।

(8)– कार्यभार ग्रहण कराने वाले सम्बन्धित अधिकारी द्वारा अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व अभ्यर्थी के मूल प्रमाण-पत्रों एवं डिग्रियों की आवश्यक जांच स्वयं कराना सुनिश्चित करेगें। उक्त के साथ अभ्यर्थी के कार्यभार ग्रहण करने से अभ्यर्थी यदि पूर्व में अन्यत्र कार्यरत हो, तो अभ्यर्थी द्वारा सम्बन्धित विभाग से तकनीकी त्याग-पत्र देने/कार्यमुक्त होने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार करेंगे तथा प्रत्येक प्रमाण-पत्र एवं डिग्रियों की अभिप्रमाणित प्रतिलिपियाँ निम्नलिखित प्रमाण-पत्रों के साथ शासन को कार्यभार प्रमाणक सहित तुरन्त प्रेषित करेगें–

I- अभ्यर्थी के केवल एक जीवित पति/पत्नी होने का प्रमाण-पत्र।

II- अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के हस्ताक्षर से अपनी चल-अचल सम्पत्ति का विवरण।

III- 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों जो सक्रिय सेवा में तथा अभ्यर्थी के निजी जीवन से पूर्णरूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, द्वारा प्रमाणित अभ्यर्थी के पासपोर्ट साईज की 02 फोटों एवं अभ्यर्थी के उच्च चरित्र का प्रमाण-पत्र।

IV- सम्बन्धित अभ्यर्थी के विरुद्ध अभियोजन न चलने तथा न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में एक शपथ-पत्र।

V- सम्बन्धित राज्य होम्यो-मेडिकल कौंसिल/बोर्ड द्वारा दिये गये स्थायी रजिस्ट्रेशन की 02 प्रतियाँ।

VI- ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

VII- गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

सं0 4813/96-आयुष-2-2024-93/2017–उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा किये गये चयन के फलस्वरूप सम्बन्धित अभ्यर्थी के सम्बन्ध में आयोग के पत्र-संख्या-191/08/डी0आर0/एस-11/2018-19 टी0सी0–03, दिनांक 09 अप्रैल, 2024 के माध्यम से प्रेषित संस्तुति के आधार पर राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज में प्रवक्ता-रिपर्टरी (शिक्षा संवर्ग के अन्तर्गत) के पद पर चयनित अभ्यर्थियों में से डा0 प्रियंका कौशिक का विवरण निम्नवत् है–

अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	मा0 आयोग द्वारा निर्गत मुख्य सूची में क्रमांक	रजिस्ट्रेशन नम्बर	गृह जनपद	स्थायी पता	पदस्थापना/तैनाती स्थल
1	2	3	4	5	6	7
डा0 प्रियंका कौशिक	श्री स्वरूप चन्देल	3	53600557955	मिर्जापुर	श्री ओम प्रकाश सिंह, घनौत, डोमानपुर, मिर्जापुर, उ0प्र0-231304	राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज एवं अस्पताल, छेरत, अलीगढ़

2– शासनादेश संख्या-04/2021/1/4/2011-का-4-2021 दिनांक 29 अप्रैल, 2021 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुरूप उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा चयनित उपर्युक्त अभ्यर्थी को उ0प्र0 राज्य होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय (अध्यापकों की सेवा) नियमावली, 1990 यथासंशोधित नियमावली 2017 सेवा संवर्ग के अन्तर्गत पद प्रवक्ता, वेतनमान रु0 15,600-39,100/– ग्रेड पे-5,400/– (मैट्रिक्स लेवल-10) पर तैनात करते हुए कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से नियमानुसार 02 वर्ष की परिवीक्षा पर अस्थायी रूप से निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन औपबन्धिक रूप से नियुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती है–

(1) अभ्यर्थी को अपना कार्यभार इस आदेश के निर्गत होने के 01 माह के अन्दर अवश्य ग्रहण कर लेना होगा। यदि अभ्यर्थी इस अवधि में कार्यभार ग्रहण नहीं करता है, तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। अभ्यर्थी को अपनी नियुक्ति के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा-भत्ता इत्यादि देय नहीं होगा।

(2) अभ्यर्थी को उक्त औपबन्धिक नियुक्ति इस शर्त के साथ प्रदान की जा रही है कि यदि अभ्यर्थी का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं होता है या अभ्यर्थी द्वारा अपने स्वसत्यापन या घोषणा-पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है, तो औपबन्धिक नियुक्ति-पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा और परिणाम स्वरुप अन्य आपराधिक/ विधिक कार्यवाही भी की जायेगी।

(3) यह नियुक्ति नितान्त औपबन्धिक एवं अस्थाई है। यदि बाद में अभ्यर्थी के सम्बन्ध दिये गये प्रमाण-पत्र एवं अन्य सेवा शर्तों को असत्य पाया जाता है, तो उनकी सेवायें बिना कोई कारण बताये तत्काल समाप्त कर दी जायेगी और असत्य प्रमाण-पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में नियमानुसार विभागीय आपराधिक (क्रिमिनल) कार्यवाही की जायेगी।

(4) सम्बन्धित अभ्यर्थी की ज्येष्ठता बाद में नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(5) नवचयनित प्रवक्ता को वेतन के साथ-साथ शासन द्वारा समय-समय पर स्वीकृत मंहगाई-भत्ता व अन्य देय भत्ते भी नियमानुसार अनुमन्य होगें।

(6) आवश्यकतानुसार सम्बन्धित अभ्यर्थी को किसी भी राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज में स्थानान्तरित किया जा सकेगा।

(7) प्रश्नगत औपबन्धिक नियुक्ति योजित सर्विस सिंगल संख्या-2002/2021 डॉ0 देवेन्द्र कुमार शुक्ला व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, तथा रिट ए संख्या-28131/2021 डॉ0 ज्ञान प्रकाश गौतम व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद-खण्डपीठ लखनऊ द्वारा पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेंगी।

(8) कार्यभार ग्रहण कराने वाले सम्बन्धित अधिकारी द्वारा अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व अभ्यर्थी के मूल प्रमाण-पत्रों एवं डिग्रियों की आवश्यक जांच स्वयं कराना सुनिश्चित करेगें। उक्त के साथ अभ्यर्थी के कार्यभार ग्रहण करने से अभ्यर्थी यदि पूर्व में अन्यत्र कार्यरत हो, तो अभ्यर्थी द्वारा सम्बन्धित विभाग से तकनीकी त्याग-पत्र देने/कार्यमुक्त होने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार करेंगे तथा प्रत्येक प्रमाण-पत्र एवं डिग्रियों की अभिप्रमाणित प्रतिलिपियाँ निम्नलिखित प्रमाण-पत्रों के साथ शासन को कार्यभार प्रमाणक सहित तुरन्त प्रेषित करेगें–

I- अभ्यर्थी के केवल एक जीवित पति/पत्नी होने का प्रमाण-पत्र।

II- अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के हस्ताक्षर से अपनी चल-अचल सम्पत्ति का विवरण।

III- 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों जो सक्रिय सेवा में तथा अभ्यर्थी के निजी जीवन से पूर्णरूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, द्वारा प्रमाणित अभ्यर्थी के पासपोर्ट साईज की 02 फोटों एवं अभ्यर्थी के उच्च चरित्र का प्रमाण-पत्र।

IV- सम्बन्धित अभ्यर्थी के विरुद्ध अभियोजन न चलने तथा न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में एक शपथ-पत्र।

V- सम्बन्धित राज्य होम्यो-मेडिकल कौंसिल/बोर्ड द्वारा दिये गये स्थायी रजिस्ट्रेशन की 02 प्रतियाँ।

VI- ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

VII- गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

सं0 4814/96-आयुष-2-2024-93/2017—उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा किये गये चयन के फलस्वरूप सम्बन्धित अभ्यर्थी के सम्बन्ध में आयोग के पत्र संख्या-191/08/डी0आर0/एस-11/2018-19 टी0सी—03, दिनांक 09 अप्रैल, 2024 के माध्यम से प्रेषित संस्तुति के आधार पर राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज में प्रवक्ता-रिपर्टरी (शिक्षा संवर्ग के अन्तर्गत) के पद पर चयनित अभ्यर्थियों में से डा0 सौम्या रघुवंशी का विवरण निम्नवत् है—

अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	मा0 आयोग द्वारा निर्गत मुख्य सूची में क्रमांक	रजिस्ट्रेशन नम्बर	गृह जनपद	स्थायी पता	पदस्थापना/तैनाती स्थल
1	2	3	4	5	6	7
डा0 सौम्या रघुवंशी	श्री राघवेन्द्र	1	53600556798	अम्बेडकर नगर	डा0 राघवेन्द्र, 438 चिन्तौरा चौराहा, मुबारकपुर, टाण्डा, अम्बेडकरनगर, उ0प्र0-224190	राजकीय डा0 बृज किशोर होम्योपैथिक मेडिकल कालेज एवं अस्पताल, देवकाली, अयोध्या।

2— शासनादेश संख्या-04/2021/1/4/2011-का-4-2021 दिनांक 29 अप्रैल, 2021 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुरूप उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा चयनित उपर्युक्त अभ्यर्थी को उ0प्र0 राज्य होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय (अध्यापकों की सेवा) नियमावली, 1990 यथासंशोधित नियमावली, 2017 सेवा संवर्ग के अन्तर्गत पद प्रवक्ता, वेतनमान रु0 15,600-39,100/— ग्रेड पे-5,400/— (मैट्रिक्स लेवल-10) पर तैनात करते हुए कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से नियमानुसार 02 वर्ष की परिवीक्षा पर अस्थायी रूप से निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन औपबन्धिक रूप से नियुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती है—

(1) अभ्यर्थी को अपना कार्यभार इस आदेश के निर्गत होने के 01 माह के अन्दर अवश्य ग्रहण कर लेना होगा। यदि अभ्यर्थी इस अवधि में कार्यभार ग्रहण नहीं करता है, तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। अभ्यर्थी को अपनी नियुक्ति के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा-भत्ता इत्यादि देय नहीं होगा।

(2) अभ्यर्थी को उक्त औपबन्धिक नियुक्ति इस शर्त के साथ प्रदान की जा रही है कि यदि अभ्यर्थी का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं होता है या अभ्यर्थी द्वारा अपने स्वसत्यापन या घोषणा-पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है, तो औपबन्धिक नियुक्ति पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा और परिणाम स्वरुप अन्य आपराधिक/ विधिक कार्यवाही भी की जायेगी।

(3) यह नियुक्ति नितान्त औपबन्धिक एवं अस्थाई है। यदि बाद में अभ्यर्थी के सम्बन्ध दिये गये प्रमाण-पत्र एवं अन्य सेवा शर्तों को असत्य पाया जाता है, तो उनकी सेवायें बिना कोई कारण बताये तत्काल समाप्त कर दी

जायेगी और असत्य प्रमाण-पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में नियमानुसार विभागीय आपराधिक (क्रिमिनल) कार्यवाही की जायेगी।

(4) सम्बन्धित अभ्यर्थी की ज्येष्ठता बाद में नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(5) नवचयनित प्रवक्ता को वेतन के साथ-साथ शासन द्वारा समय-समय पर स्वीकृत मंहगाई भत्ता व अन्य देय भत्ते भी नियमानुसार अनुमन्य होंगे।

(6) आवश्यकतानुसार सम्बन्धित अभ्यर्थी को किसी भी राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज में स्थानान्तरित किया जा सकेगा।

(7) प्रश्नगत औपबन्धिक नियुक्ति योजित सर्विस सिंगल संख्या-2002/2021 डॉ0 देवेन्द्र कुमार शुक्ला व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, तथा रिट ए संख्या-28131/2021 डॉ0 ज्ञान प्रकाश गौतम व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद-खण्डपीठ लखनऊ द्वारा पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेंगी।

(8) कार्यभार ग्रहण कराने वाले सम्बन्धित अधिकारी द्वारा अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व अभ्यर्थी के मूल प्रमाण-पत्रों एवं डिग्रियों की आवश्यक जांच स्वयं कराना सुनिश्चित करेंगे। उक्त के साथ अभ्यर्थी के कार्यभार ग्रहण करने से अभ्यर्थी यदि पूर्व में अन्यत्र कार्यरत हो, तो अभ्यर्थी द्वारा सम्बन्धित विभाग से तकनीकी त्याग-पत्र देने/कार्यमुक्त होने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार करेंगे तथा प्रत्येक प्रमाण-पत्र एवं डिग्रियों की अभिप्रमाणित प्रतिलिपियाँ निम्नलिखित प्रमाण-पत्रों के साथ शासन को कार्यभार प्रमाणक सहित तुरन्त प्रेषित करेंगे–

I- अभ्यर्थी के केवल एक जीवित पति/पत्नी होने का प्रमाण-पत्र।

II- अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के हस्ताक्षर से अपनी चल-अचल सम्पत्ति का विवरण।

III- 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों जो सक्रिय सेवा में तथा अभ्यर्थी के निजी जीवन से पूर्णरूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, द्वारा प्रमाणित अभ्यर्थी के पासपोर्ट साईज की 02 फोटों एवं अभ्यर्थी के उच्च चरित्र का प्रमाण-पत्र।

IV- सम्बन्धित अभ्यर्थी के विरुद्ध अभियोजन न चलने तथा न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में एक शपथ-पत्र।

V- सम्बन्धित राज्य होम्यो-मेडिकल कौंसिल/बोर्ड द्वारा दिये गये स्थायी रजिस्ट्रेशन की 02 प्रतियाँ।

VI- ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

VII- गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

आज्ञा से,
हरिकेश चौरसिया,
विशेष सचिव।

कार्यालय ज्ञाप

26 मार्च, 2025 ई0

सं0 1032/96-आयुष-2-2025-(ई0प0-1847634)–उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा किये गये चयन के फलस्वरूप सम्बन्धित अभ्यर्थी के सम्बन्ध में आयोग के पत्र संख्या-272/08/डी0आर0/एस-11/2018-19 टी0सी0-10, दिनांक 22 जून, 2024 के माध्यम से प्रेषित संस्तुति के आधार पर राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज में प्रवक्ता-

आब्स एण्ड गायनाकोलॉजी (शिक्षा संवर्ग के अन्तर्गत) के पद पर चयनित अभ्यर्थियों में से डा0 पूनम वर्मा का विवरण निम्नवत् है–

अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	मा0 आयोग द्वारा निर्गत मुख्य सूची में क्रमांक	रजिस्ट्रेशन नम्बर	गृह जनपद	स्थायी पता	पदस्थापना/तैनाती स्थल
1	2	3	4	5	6	7
पूनम वर्मा	श्रीकान्त	9	53600346173	देवरिया	श्रीमती पूनम वर्मा, केयर ऑफ श्रीकान्त, रामनगर, लार, देवरिया, उ0प्र0-274502	आजमगढ़ कालेज

2– उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा चयनित उपर्युक्त अभ्यर्थी को उ0प्र0 राज्य होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय (अध्यापकों की सेवा) नियमावली, 1990 यथासंशोधित नियमावली, 2017 सेवा संवर्ग के अन्तर्गत पद प्रवक्ता-आब्स एण्ड गायनाकोलॉजी (शिक्षा संवर्ग के अन्तर्गत), वेतनमान रु0 15,600-39,100/– ग्रेड पे-5,400/– (मैट्रिक्स लेवल-10) पर तैनात करते हुए कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से नियमानुसार 02 वर्ष की परिवीक्षा पर अस्थायी रूप से निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन औपबन्धिक रूप से नियुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती है–

(1) अभ्यर्थी को अपना कार्यभार इस आदेश के निर्गत होने के 01 माह के अन्दर अवश्य ग्रहण कर लेना होगा। यदि अभ्यर्थी इस अवधि में कार्यभार ग्रहण नहीं करता है, तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। अभ्यर्थी को अपनी नियुक्ति के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा-भत्ता इत्यादि देय नहीं होगा।

(2) वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या-सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(3) सम्बन्धित अभ्यर्थी की ज्येष्ठता बाद में नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(4) सम्बन्धित अभ्यर्थी को वेतन के साथ-साथ शासन द्वारा समय-समय पर स्वीकृत मंहगाई भत्ता व अन्य देय भत्ते भी नियमानुसार अनुमन्य होंगे।

(5) आवश्यकतानुसार सम्बन्धित अभ्यर्थी को किसी भी राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज में स्थानान्तरित किया जा सकेगा।

(6) कार्यभार ग्रहण कराने वाले सम्बन्धित अधिकारी द्वारा अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व अभ्यर्थी के मूल प्रमाण-पत्रों एवं डिग्रियों की आवश्यक जांच स्वयं कराना सुनिश्चित करेंगे। उक्त के साथ अभ्यर्थी के कार्यभार ग्रहण करने से अभ्यर्थी यदि पूर्व में अन्यत्र कार्यरत हो, तो अभ्यर्थी द्वारा सम्बन्धित विभाग से तकनीकी त्याग-पत्र देने/कार्यमुक्त होने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार करेंगे तथा प्रत्येक प्रमाण-पत्र एवं डिग्रियों की अभिप्रमाणित प्रतिलिपियाँ निम्नलिखित प्रमाण-पत्रों के साथ शासन को कार्यभार प्रमाणक सहित तुरन्त प्रेषित करेंगे–

I- अभ्यर्थी के केवल एक जीवित पति/पत्नी होने का प्रमाण-पत्र।

II- अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के हस्ताक्षर से अपनी चल-अचल सम्पत्ति का विवरण।

III- 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों जो सक्रिय सेवा में तथा अभ्यर्थी के निजी जीवन से पूर्णरूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, द्वारा प्रमाणित अभ्यर्थी के पासपोर्ट साईज की 02 फोटों एवं अभ्यर्थी के उच्च चरित्र का प्रमाण-पत्र।

IV- सम्बन्धित अभ्यर्थी के विरुद्ध अभियोजन न चलने तथा न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में एक शपथ-पत्र।

V- सम्बन्धित राज्य होम्यो-मेडिकल कौंसिल/बोर्ड द्वारा दिये गये स्थायी रजिस्ट्रेशन की 02 प्रतियाँ।

VI- ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

VII- गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

सं0 1033/96-आयुष-2-2025-(ई0प0-1847634)–उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा किये गये चयन के फलस्वरूप सम्बन्धित अभ्यर्थी के सम्बन्ध में आयोग के पत्र संख्या-268/08/डी0आर0/एस-11/2018-19 टी0सी0-06, दिनांक 19 जून, 2024 के माध्यम से प्रेषित संस्तुति के आधार पर राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज में प्रवक्ता-फोरेन्सिक मेडिसिन एण्ड टॉक्सीकोलोंजी (शिक्षा संवर्ग के अन्तर्गत) के पद पर चयनित अभ्यर्थियों में से डा0 शैलेन्द्र प्रताप राव का विवरण निम्नवत् है–

अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	मा0 आयोग द्वारा निर्गत मुख्य सूची में क्रमांक	रजिस्ट्रेशन नम्बर	गृह जनपद	स्थायी पता	पदस्थापना/तैनाती स्थल
1	2	3	4	5	6	7
शैलेन्द्र प्रताप राव	छोटे लाल	6	53600542421	जौनपुर	श्री शैलेन्द्र प्रताप राव पुत्र श्री छोटे लाल, ग्राम सुल्तानपुर, पो0 बाकराबाद, जौनपुर, उ0प्र0-222136	गाजीपुर कालेज

2– उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा चयनित उपर्युक्त अभ्यर्थी को उ0प्र0 राज्य होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय (अध्यापकों की सेवा) नियमावली, 1990 यथासंशोधित नियमावली, 2017 सेवा संवर्ग के अन्तर्गत पद प्रवक्ता-फोरेन्सिक मेडिसिन एण्ड टॉक्सीकोलोंजी (शिक्षा संवर्ग के अन्तर्गत), वेतनमान रु0 15,600-39,100/– ग्रेड पे-5,400/– (मैट्रिक्स लेवल-10) पर तैनात करते हुए कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से नियमानुसार 02 वर्ष की परिवीक्षा पर अस्थायी रूप से निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन औपबन्धिक रूप से नियुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती है–

(1) अभ्यर्थी को अपना कार्यभार इस आदेश के निर्गत होने के 01 माह के अन्दर अवश्य ग्रहण कर लेना होगा। यदि अभ्यर्थी इस अवधि में कार्यभार ग्रहण नहीं करता है, तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। अभ्यर्थी को अपनी नियुक्ति के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा-भत्ता इत्यादि देय नहीं होगा।

(2) वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या-सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(3) सम्बन्धित अभ्यर्थी की ज्येष्ठता बाद में नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(4) सम्बन्धित अभ्यर्थी को वेतन के साथ-साथ शासन द्वारा समय-समय पर स्वीकृत मंहगाई भत्ता व अन्य देय भत्ते भी नियमानुसार अनुमन्य होंगे।

(5) आवश्यकतानुसार सम्बन्धित अभ्यर्थी को किसी भी राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज में स्थानान्तरित किया जा सकेगा।

(6) कार्यभार ग्रहण कराने वाले सम्बन्धित अधिकारी द्वारा अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व अभ्यर्थी के मूल प्रमाण-पत्रों एवं डिग्रियों की आवश्यक जांच स्वयं कराना सुनिश्चित करेंगे। उक्त के साथ अभ्यर्थी के कार्यभार ग्रहण करने से अभ्यर्थी यदि पूर्व में अन्यत्र कार्यरत हो, तो अभ्यर्थी द्वारा सम्बन्धित विभाग से तकनीकी त्याग-पत्र देने/कार्यमुक्त होने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार करेंगे तथा प्रत्येक प्रमाण-पत्र एवं डिग्रियों की अभिप्रमाणित प्रतिलिपियाँ निम्नलिखित प्रमाण-पत्रों के साथ शासन को कार्यभार प्रमाणक सहित तुरन्त प्रेषित करेंगे–

I- अभ्यर्थी के केवल एक जीवित पति/पत्नी होने का प्रमाण-पत्र।

II- अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के हस्ताक्षर से अपनी चल-अचल सम्पत्ति का विवरण।

III- 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों जो सक्रिय सेवा में तथा अभ्यर्थी के निजी जीवन से पूर्णरूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, द्वारा प्रमाणित अभ्यर्थी के पासपोर्ट साईज की 02 फोटों एवं अभ्यर्थी के उच्च चरित्र का प्रमाण-पत्र।

IV- सम्बन्धित अभ्यर्थी के विरुद्ध अभियोजन न चलने तथा न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में एक शपथ-पत्र।

V- सम्बन्धित राज्य होम्यो-मेडिकल कौंसिल/बोर्ड द्वारा दिये गये स्थायी रजिस्ट्रेशन की 02 प्रतियाँ।

VI- ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

VII- गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

सं0 1034/96-आयुष-2-2025-(ई0प0-1847634)–उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा किये गये चयन के फलस्वरूप सम्बन्धित अभ्यर्थी के सम्बन्ध में आयोग के पत्र संख्या-33/08/डी0आर0/एस-11/2018-19 टी0सी0-08, दिनांक 22 अगस्त, 2024 के माध्यम से प्रेषित संस्तुति के आधार पर राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज में प्रवक्ता-पैथालॉजी (शिक्षा संवर्ग के अन्तर्गत) के पद पर चयनित अभ्यर्थियों में से डा0 उमेश चंद का विवरण निम्नवत् है–

अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	मा0 आयोग द्वारा निर्गत मुख्य सूची में क्रमांक	रजिस्ट्रेशन नम्बर	गृह जनपद	स्थायी पता	पदस्थापना/तैनाती स्थल
1	2	3	4	5	6	7
उमेश चंद	प्रभात कुमार	6	53600568137	देवरिया	श्री प्रभात कुमार, 10332, गरूलपुर, रामगुलाम टोला, देवरिया, उ0प्र0-274001	आजमगढ़ कालेज

2– उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा चयनित उपर्युक्त अभ्यर्थी को उ0प्र0 राज्य होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय (अध्यापकों की सेवा) नियमावली, 1990 यथासंशोधित नियमावली, 2017 सेवा संवर्ग के अन्तर्गत पद प्रवक्ता-पैथालॉजी (शिक्षा संवर्ग के अन्तर्गत), वेतनमान रु0 15,600-39,100/– ग्रेड पे-5,400/– (मैट्रिक्स लेवल-10) पर तैनात करते हुए कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से नियमानुसार 02 वर्ष की परिवीक्षा पर अस्थायी रूप से निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन औपबन्धिक रूप से नियुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती है–

(1) अभ्यर्थी को अपना कार्यभार इस आदेश के निर्गत होने के 01 माह के अन्दर अवश्य ग्रहण कर लेना होगा। यदि अभ्यर्थी इस अवधि में कार्यभार ग्रहण नहीं करता है, तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। अभ्यर्थी को अपनी नियुक्ति के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा-भत्ता इत्यादि देय नहीं होगा।

(2) अभ्यर्थी को उक्त औपबन्धिक नियुक्ति इस शर्त के साथ प्रदान की जा रही है कि यदि अभ्यर्थी का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं होता है या अभ्यर्थी द्वारा अपने स्वसत्यापन या घोषणा-पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है. तो औपबन्धिक नियुक्ति पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा और परिणाम स्वरूप अन्य आपराधिक/विधिक कार्यवाही भी की जायेगी।

(3) वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या-सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4) सम्बन्धित अभ्यर्थी की ज्येष्ठता बाद में नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(5) सम्बन्धित अभ्यर्थी को वेतन के साथ-साथ शासन द्वारा समय-समय पर स्वीकृत मंहगाई भत्ता व अन्य देय भत्ते भी नियमानुसार अनुमन्य होगें।

(6) आवश्यकतानुसार सम्बन्धित अभ्यर्थी को किसी भी राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज में स्थानान्तरित किया जा सकेगा।

(7) कार्यभार ग्रहण कराने वाले सम्बन्धित अधिकारी द्वारा अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व अभ्यर्थी के मूल प्रमाण-पत्रों एवं डिग्रियों की आवश्यक जांच स्वयं कराना सुनिश्चित करेंगे। उक्त के साथ अभ्यर्थी के कार्यभार ग्रहण करने से अभ्यर्थी यदि पूर्व में अन्यत्र कार्यरत हो, तो अभ्यर्थी द्वारा सम्बन्धित विभाग से तकनीकी त्याग-पत्र देने/कार्यमुक्त होने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार करेंगे तथा प्रत्येक प्रमाण-पत्र एवं डिग्रियों की अभिप्रमाणित प्रतिलिपियाँ निम्नलिखित प्रमाण-पत्रों के साथ शासन को कार्यभार प्रमाणक सहित तुरन्त प्रेषित करेंगे–

I- अभ्यर्थी के केवल एक जीवित पति/पत्नी होने का प्रमाण-पत्र।

II- अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के हस्ताक्षर से अपनी चल-अचल सम्पत्ति का विवरण।

III- 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों जो सक्रिय सेवा में तथा अभ्यर्थी के निजी जीवन से पूर्णरूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, द्वारा प्रमाणित अभ्यर्थी के पासपोर्ट साईज की 02 फोटों एवं अभ्यर्थी के उच्च चरित्र का प्रमाण-पत्र।

IV- सम्बन्धित अभ्यर्थी के विरुद्ध अभियोजन न चलने तथा न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में एक शपथ-पत्र।

V- सम्बन्धित राज्य होम्यो-मेडिकल कौंसिल/बोर्ड द्वारा दिये गये स्थायी रजिस्ट्रेशन की 02 प्रतियाँ।

VI- ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

VII- गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

(8) शासनादेश संख्या/04/2021/1/4/2011-का-4-2021, दिनांक 29 अप्रैल, 2021 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुरूप अभ्यर्थी को उक्त औपबन्धिक नियुक्ति इस शर्त के साथ प्रदान की जा रही है कि यदि अभ्यर्थी का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं होता है या अभ्यर्थी द्वारा अपने स्वसत्यापन या स्वघोषणा-पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है, तो औपबन्धिक नियुक्ति पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा और परिणाम स्वरूप अन्य आपराधिक/विधिक कार्यवाही भी की जायेगी।

3– प्रश्नगत नियुक्ति मा0 न्यायालय में योजित रिट याचिका सं0-2002/2021 तथा 28131/2021 में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेंगी।

आज्ञा से,
रंजन कुमार,
प्रमुख सचिव।

पी0एस0यू0पी0–25 हिन्दी गजट–भाग 1–2025 ई0।

मुद्रक एवं प्रकाशक–निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

रजिस्टर्ड नं०–ए०डी०–4
लाइसेन्स सं०–डब्ल्यू०पी०–41
(लाइसेन्स्ड टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 20 सितम्बर, 2025 ई० (भाद्रपद 29, 1947 शक संवत्)

भाग 1-क

नियम, कार्य विधियां, आज्ञायें, विज्ञप्तियां इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया।

कार्यालय, कलेक्टर (भूमि अध्याप्ति प्रयोजनार्थ)/ विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी (सं0सं0) प्रयागराज/कौशाम्बी

शुद्धि-पत्र

12 सितम्बर, 2025 ई0

सं0 453/आठ–वि0कु0–वि0भू0अ0अ0(सं0सं0)प्रयागराज–कौशाम्बी पर्यटन स्थल को प्रयागराज मुख्यालय वाया एयरपोर्ट जोड़ने संबंधी फोरलेन मार्ग के निर्माण हेतु निर्गत गजट अंतर्गत भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 30 सन् 2013 की धारा 19, जिसका प्रकाशन गजट में दिनांक 19.07.2025 व दैनिक समाचार पत्र दैनिक जागरण में दिनांक 23.06.2025 व अमर उजाला में दिनांक 22.06.2025 में किया गया है, में निम्नवत संशोधन पढ़ा जाये–

क्र0 सं0	तहसील	ग्राम का नाम	गाटा संख्या	अशुद्ध, जो गजट दिनांक 19.07.2025 में अंकित है।	शुद्ध रकबा, जो पढ़ा जाय।
1	चायल	जयन्तीपुर	266	क्षेत्रफल 0.536 हे0	क्षेत्रफल 0.0536 हे0 पढ़ा जाय।
2		तरनी	418	गाटा संख्या 403	गाटा संख्या 418 पढ़ा जाय।
3		अमिरसा		कुलयोग में 0.1080 हे0 अंकित है	कुलयोग 0.1018 हे0 पढ़ा जाय।
4		हर्रायपुर		कुलयोग में 9.1955 हे0 अंकित है	कुलयोग 0.2202 हे0 पढ़ा जाय।

कलेक्टर (भूमि अध्याप्ति प्रयोजनार्थ)/
विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी
(सं0सं0) प्रयागराज/कौशाम्बी।

कार्यालय, जनपद न्यायाधीश, श्रावस्ती

03 जून, 2024 ई0

कार्यालय आदेश

सं0 99/2024—इस अधिष्ठान में कार्यरत रहे मुख्य प्रशासनिक अधिकारी श्री अवधेश कुमार सोनकर दिनांक 31 मई, 2024 को अपनी अधिवर्षता आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त हो चुके हैं। जिस कारण वर्तमान में जनपद न्यायालय, श्रावस्ती में मुख्य प्रशासनिक अधिकारी का पद रिक्त है। उत्तर प्रदेश जनपद न्यायालय सेवा नियमावली, 2013 के अनुसार मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के पद पर नियुक्त प्रशासनिक अधिकारी संवर्ग में कार्यरत कर्मचारीगण से योग्यता सह वरिष्ठता के आधार पर की जायेगी।

इस सम्बन्ध में प्रोन्नति हेतु चयन समिति की बैठक आहूत की गयी। चयन समिति द्वारा प्रशासनिक अधिकारी संवर्ग में कार्यरत वरिष्ठतम कर्मचारी श्री उपेन्द्र श्री राघवेन्द्र को मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के पद पर प्रोन्नति की संस्तुति की गयी। तद्नुसार श्री उपेन्द्र श्री राघवेन्द्र, प्रशासनिक अधिकारी वेतन बैण्ड 9,200—34,800/— ग्रेड पे 4,600/— पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स 7 को प्रोन्नति प्रदान करते हुये उन्हे मुख्य प्रशासनिक अधिकारी वेतनमान 15,600—39,100/— ग्रेड पे 5,400/— पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स 10 के पद पर नियुक्त किया जाता है। उक्त प्रोन्नति दो वर्ष की परिवीक्षाधीन होगी।

श्री उपेन्द्र श्री राघवेन्द्र के कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से यह आदेश प्रभावी होगा।

देवेन्द्र सिंह,
जनपद न्यायाधीश,
श्रावस्ती।

कार्यालय, प्रमुख अभियन्ता, उ0प्र0, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ

व्यवस्थापन-(घ) वर्ग

कार्यालय-ज्ञाप

30 जुलाई, 2024 ई0

सं0 1716 व्यघ/09 व्यघ/2014—लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 के निम्नलिखित अवर अभियन्ता (सि0) जिन्हें, प्रथम वैयक्तिक वेतनमान अथवा द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में ग्रेड वेतन रु0 5,400/— प्राप्त हो रहा है, को कार्मिक विभाग की राजाज्ञा संख्या-1661/47-का-4-44 ई0एम0/85, दिनांक 11 मार्च, 1991 एवं शासनादेश संख्या-वे0आ0-2-796(1)/दस-62(एम)/2008, टी0सी0 दिनांक 31 मई, 2011 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव एवं इनके सम्बन्ध में वरिष्ठ स्टाफ आफीसर, परिवाद (क) वर्ग द्वारा उपलब्ध कराई गई आख्या के आधार पर राजपत्रित प्रतिष्ठा प्रदान किये जाने के आदेश एतदद्वारा पारित किये जाते हैं। इन आदेशों के फलस्वरूप नामांकित अवर अभियन्ताओं को कोई अतिरिक्त वित्तीय लाभ अनुमन्य नहीं होगा—

क्रम सं0	अवर अभियन्ता का नाम	संवर्ग	विभाग में योगदान की तिथि	सहायक अभियन्ता का वेतनमान, ग्रेड वेतन रु0 5,400/- प्राप्त करने की तिथि	तैनाती खण्ड का नाम
1	2	3	4	5	6
1	सर्वश्री— अवनीश कुमार पुत्र स्व0 छन्नू प्रसाद	सिविल	14.06.2007	14.06.2023	प्रान्तीय खण्ड, देवरिया

1	2	3	4	5	6
	सर्वश्री–				
2	गंगाराम शुक्ला पुत्र श्री करिया प्रसाद शुक्ला	सिविल	18.08.2006	18.08.2022	प्रान्तीय खण्ड, महराजगंज
3	कलम सिंह पुत्र श्री दौलत सिंह	सिविल	07.09.2001	07.09.2017	निर्माण खण्ड, सहारनपुर

योगेश पंवार,
प्रमुख अभियन्ता (परि0/नियो0),
लो0नि0वि0, लखनऊ।

कार्यालय, उप परिवहन आयुक्त बरेली, परिक्षेत्र बरेली।

04 जून, 2024 ई0

''आदेश''

सं0 102/मोटर.ड्राइविंग.ट्रेनिंग.स्कूल/बरेली-60/परिक्षेत्र/2024-25–शासनादेश संख्या-15/2023/604/तीस-4-2023-99/98 परिवहन अनुभाग-4 लखनऊ दिनांक 27 अप्रैल, 2023 के माध्यम से प्रदेश में स्थापित मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूलों की स्थापना के सम्बन्ध में नवीन मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) जारी की गयी थी। पूर्व से स्थापित मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूलों को नवीन व्यवस्थाओं के अन्तर्गत ट्रेनिंग स्कूल स्थापित किये जाने हेतु 06 माह का समय प्रदान किया गया था। जनपद बरेली में स्थापित मारूति मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल अनुज्ञप्ति संख्या 68/बरेली/परिक्षेत्र/2016 का सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) बरेली एवं संभागीय निरीक्षक (प्राविधिक) बरेली द्वारा संयुक्त रूप से उक्त शासनादेश के माध्यम से जारी नवीन मानक संचालन प्रक्रिया के अन्तर्गत भौतिक/स्थलीय निरीक्षण करते हुए पत्र संख्या-984/सा0प्र0/मोटर. ड्राइविंग.ट्रेनिंग.स्कूल/निरीक्षण-आख्या/2023 दिनांक 16 मई, 2024 के माध्यम से अपनी एवं संभागीय निरीक्षक (प्राविधिक) बरेली की निरीक्षण आख्या उपलब्ध करायी गयी है। निरीक्षण आख्या के अनुसार मारूति मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल, कविशा मोटर्स, बरेली नवीन मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार पाया गया है तथा उक्त शासनादेश में दी गयी समस्त औपचारिकताओं को पूर्ण करता है। उक्त ट्रेनिंग स्कूल के पास मात्र हल्का मोटरयान पर प्रशिक्षण देने के लिए सिमुलेटर उपलब्ध है, साक्ष्य के रूप में सिमुलेटर क्रय की रसीद/इनवाइस व फोटोग्राफ्स पत्रावली में उपलब्ध है।

अतः सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) बरेली द्वारा उपलब्ध करायी गयी निरीक्षण आख्या दिनांक 16 मई, 2024 में की गयी संस्तुति के क्रम में मारूति मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल, कविशा मोटर्स, निकट गुप्ता कार बाजार पीलीभीत बाईपास रोड बरेली अनुज्ञप्ति संख्या 68/बरेली/परिक्षेत्र/2016 को उक्त शासनादेश संख्या-15/2023/604/तीस-4-2023-99/98 परिवहन अनुभाग-4 लखनऊ दिनांक 27 अप्रैल, 2023 द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) के अन्तर्गत केवल हल्का मोटरयान पर प्रशिक्षण देने के लिए मान्य किया जाता है। यह अनुज्ञप्ति केवल वाहन संख्या UP25AL7065 कार एवं UP25AX8901 कार पर प्रशिक्षण देने के लिए मान्य है।

संजय सिंह,
अनुज्ञप्ति प्राधिकारी/उप परिवहन आयुक्त,
बरेली परिक्षेत्र, बरेली।

कार्यालय, निदेशक मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0प्र0 प्रयागराज

15 मई, 2024 ई0

कार्यालय आदेश

सं0 138ख(निदे0)/24—मुद्रण एवं लेखन सामग्री उ0प्र0 विभाग के अधिकारी जो अपनी अधिवर्षता आयु पूर्ण करने के उपरान्त उसी माह के अन्तिम दिनांक (कालम न0-7 में अंकित है) के अपरान्ह से वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-2, भाग-2 से 4 के मूलनियम 56 (क) के अन्तर्गत यदि वे उसके पूर्व अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त नही कर दिये जाते हैं, तो सेवानिवत्त हो जायेगें।

क्र0 सं0	अधिकारी का नाम	पिता का नाम	जन्मतिथि	पदनाम	वेतनमान	सेवानिवृत्त दिनांक
1	2	3	4	5	6	7
1	श्री इन्द्रजीत सिंह	स्व0 भैया लाल	06.08.1964	उप निदेशक (प्रपत्र एवं प्रकाशन)	67700—208700	31.08.2024

अभिषेक प्रकाश,
निदेशक,
मुद्रण एवं लेखन सामग्री,
उ0प्र0, प्रयागराज।

पी0एस0यू0पी0—25 हिन्दी गजट—भाग 1-क—2025 ई0।

मुद्रक एवं प्रकाशक—निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

रजिस्टर्ड नं०–ए०डी०–4
लाइसेन्स सं०–डब्ल्यू०पी०–41
(लाइसेन्स्ड टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 20 सितम्बर, 2025 ई० (भाद्रपद 29, 1947 शक संवत्)

भाग 8

नगरपालिका परिषद्, नगर पंचायत, सरकारी कागज-पत्र, दबाई हुई रूई की गांठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आंकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आंकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार-भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि।

NOTICE

No Legal Responsibility is accepted for the Publication of Advertisements/Public Notices in this Part of the Gazette of Uttar Pradesh. Persons Notifying the Advertisements/Public Notices will remain Solely, Responsible for the Legal Consequences and also for any other Misrepresentation etc.

By Order,
Director.

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद्

भूमि अर्जन अनुभाग

(उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद् अधिनियम, 1965
(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–1, 1966) की धारा-28 के अधीन)

शुद्धि-पत्र

05 मई, 2025 ई0

सं0 203/एल0ए0सी0/एच0क्यू0–उ0प्र0 साधारण गजट दिनांक 17 मई, 2025 ई0 (वैशाख 27, 1947 शक संवत्) के भाग–8 पृष्ठ संख्या 804, दिनांक 24 मई, 2025 ई0 (ज्येष्ठ 03, 1947 शक संवत्) के भाग 8 पृष्ठ संख्या 880 एवं दिनांक 31 मई, 2025 ई0 (ज्येष्ठ 10, 1947 शक संवत्) के भाग 8 पृष्ठ संख्या 916 में प्रकाशित जनपद–झांसी भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना संख्या–4, झांसी 1044.73 एकड़ की धारा 28 के गजट प्रकाशन के हिन्दी नोटिस में ''उ0प्र0 अधिनियम संख्या–1, 1966'' के स्थान पर त्रुटिवश ''उ0प्र0'' अधिनियम संख्या–1, 1996'' अंकित हो गया है। जिसे ''उ0प्र0'' अधिनियम संख्या–1, 1996'' के स्थान पर ''उ0प्र0'' अधिनियम संख्या–1, 1966'' पढ़ा जायें।

डा0 बलकार सिंह,
आवास आयुक्त।

कार्यालय नगर पालिका परिषद सुलतानपुर

अधिसूचना

12 सितम्बर, 2024 ई0

सं0 377 / न0पा0परि0सुल0 / 2023-24 दिनांक 15.01.2024—नगर पालिका परिषद सुलतानपुर की बोर्ड बैठक दिनांक 13 जनवरी, 2024 में पारित संकल्प संख्या-03 द्वारा प्रस्तुत फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबन्धन के लिए राज्य मॉडल उपविधि को सर्वसम्मति से पास किये जाने के अनुपालन में नगर पालिका परिषद सुलतानपुर के अन्तर्गत फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबन्धन (FSSN) के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा-298 एवं उसके सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के आलोक में ऑनसाइट स्वच्छता सेवा के अन्तर्गत घर / भवन / प्रतिष्ठान में ऑनसाइट सेनिटेशन सिस्टम (सेप्टिक टैंक / किट / सोख्ता) के संग्रहण ढुलाई और उससे जुड़े मामलों के सम्बन्ध में बनायी गयी उपविधियों की अधिसूचना के सम्बन्ध में नगर क्षेत्र के सम्मानित नागरिकों / सामाजिक संस्थानों से आपत्ति / सुझाव 30 दिवस के अन्दर प्राप्त करने हेतु अधिसूचना का प्रकाशन राष्ट्रीय सहारा और जनमोर्चा दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 15 फरवरी, 2024 को कराया गया था। निर्धारित अवधि 30 दिवस व्यतीत हो जाने के उपरान्त कोई भी आपत्ति / सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है। अतः निम्नलिखित ''नगर पालिका परिषद् सुलतानपुर फीकल स्लज सेप्टेज प्रबन्धन एफ0एस0एस0एम0 उपविधि 2023'' की अधिसूचना गजट प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी।

क्षेत्र (स्कोप)

ये उपविधि नगर पालिका परिषद् सुलतानपुर की प्रशासनिक सीमा के भीतर फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबन्धन में संलग्न सभी हितधारकों पर लागू होते हैं, जिसमें सेप्टिक टैंक वाले घरों के मालिक एवं उपयोगकर्ता, सेप्टिक टैंक सफाई ऑपरेटर तथा निकाय के उपचार और निस्तारण में संलग्न जवाब देह एजेंसियां शामिल हैं। यह उपविधि सभी सार्वजनिक, निजी, आवासीय, वाणिज्यिक, संस्थागत, प्रस्तावित, नियोजित या निकाय नगर पालिका परिषद सुलतानपुर भवनों पर लागू होगा।

अध्याय-I

प्रारंभिक

1— संक्षेप— शीर्षक, विस्तार और आरंभ—(i) इन उपविधियों को नगर पालिका परिषद सुलतानपुर फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबन्धन (FSSM) उपविधि, 20XX कहा जा सकता है।

(ii) ये उपविधि उत्तर प्रदेश राज-पत्र (गजट) में प्रकाशित होने की तारीख से नगर पालिका परिषद सुलतानपुर क्रियान्वित होंगे और निकाय की प्रशासकीय परीसीमा के अंदर लागू होंगी।

2— परिभाषा—"**एक्सेस कवर"** का अर्थ है निरीक्षण, सफाई तथा अन्य रख-रखाव कार्य हेतु सेप्टिक टैंक पिट में अंदर जाने के लिए छेद या रास्ता जिसको ढक्कन या आवरण से बन्द किया हो।

"अपेलेट बॉडी" निकाय, शहरी स्वच्छता समिति, और या, कोई अन्य सम्बन्धित प्रासंगिक अधिकृत समिति के सदस्यों से मिल कर बना एक समूह है जिसका उद्देश्य उपविधियों से सम्बन्धित किसी भी विवाद, अपील या मुद्दे का सम्बोधन करना है।

"फीकल स्लज या सेप्टेज का को-ट्रीटमेंट" उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसमें सीवेज उपचार सुविधा (एसटीपी) में, शहरों के सीवर के जरिए से ले जाने वाले घरेलू सीवेज के उपचार के अलावा, विभिन्न ऑन-साइट स्वच्छता प्रणालियों के फीकल स्लज और सेप्टेज (एफएसएस) का भी उपचार किया जाता है।

"को-ट्रीटमेंट फैसिलिटी" का तात्पर्य है ऐसा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जिसमें फिकल स्लज के उपचार के लिए पर्याप्त प्रावधान उपलब्ध हो।

"विकेंद्रीकृत अपशिष्ट जल उपचार (DWWT) प्रणाली" का तात्पर्य है ऐसी पद्धति से है जिसमें निजी आवासों, आवासीय संकुलों, एकल समुदायों, उद्योगों, संस्थानों या उत्पादन स्थल के निकट अपशिष्ट जल का संग्रहण, उपचार किया जाता है और निस्तारण दुबारा इस्तेमाल योग्य बनाया जाता है। ये प्रणाली अपशिष्ट जल के तरल और ठोस दोनों घटकों के लिए प्रयुक्त होते हैं।

"**नियुक्त अधिकारी**" निकाय का ऐसा अधिकारी जिसे (नगर आयुक्त/अधिशासी अधिकारी) द्वारा लाइसेंस जारी करने के लिए अथवा उसे सौंपे गए किसी अन्य कार्य करने के लिए अधिकृत किया गया हो।

"**डिस्लजिंग**" का तात्पर्य है लाइसेंसधारी ऑपरेटर अथवा निकाय के प्रशिक्षित सफाई कर्मचारियों द्वारा सेप्टिक टैंक/पिट से फीकल स्लज एवं सेप्टेज निकालने की प्रक्रिया।

"**निस्तारण**" का तात्पर्य है फीकल स्लज एवं सेप्टेज का अधिसूचित स्थान तक परिवहन एवं निर्वहन।

"**एफ्लूयंट**" का तात्पर्य है सेप्टिक टैंक से निकलने वाला अधिप्लावी (द्रव)।

"**फीकल स्लज एवं सेप्टेज**" का तात्पर्य है सेप्टिक टैंक अथवा ऑनसाइट सेनिटेशन प्रणालियों में जमी हुई या नीचे बैठी हुई सामग्री।

"**फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट (FSTP)**" का तात्पर्य है सुरक्षित निस्तारण और दुबारा इस्तेमाल के निर्धारित मानदण्ड के अनुसार ठोस और तरल घटकों को हटाने वाला स्वतंत्र फीकल स्लज एवं सेप्टेज उपचार संयंत्र।

"**ग्रे वाटर**" का तात्पर्य है घरेलू अपशिष्ट जल से है जिसमें मानव मल नहीं होता। यह घर की सफाई से निकला पानी, रसोई और स्नानघर का पानी हो सकता है।

"**होस्ट यूएलबी**" का तात्पर्य है वह निकाय जो उपचार संयंत्र के संचालन और रख-रखाव के लिए जिम्मेदार होता है और जो संयंत्र में निकटवर्ती निकाय के फीकल स्लज एवं सेप्टेज को उपचार की अनुमति देता है। अपनी अधिकतम क्षमता को हासिल करने तक होस्ट निकाय'होस्ट' बना रहेगा।

"**ईनसैनिटरी लेट्रिन्स**" का तात्पर्य उन शौचालयों से है जहां रात की मिट्टी (मल-कीचड़) को किसी मानव या जानवरों द्वारा ढोया या हटाया जाता है, तथा मल कीचड़ को खुली नालियों या गड्ढों में डाल दिया जाता है।

"**लाइसेंस**" का अर्थ है किसी व्यक्ति को दी गई लिखित अनुमति, जिसकी मंशा फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबन्धन सेवाओं को पूरी करनी होती है, जिसमें उद्देश्य, समय अवधि, नाम, पता और मार्ग आदि का उल्लेख निकाय के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर के अन्तर्गत किया जाता है।

"**लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर**" (लाइसेंसधारी) का अर्थ है ऐसा व्यक्ति जिसे फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबन्धन सेवायें प्रदान करने हेतु निकाय द्वारा पंजीकृत किया गया हो।

"**अधिसूचित स्थान**" का अर्थ होता है निकाय द्वारा परिभाषित और निर्धारित फीकल स्लज एवं सेप्टेज की आपूर्ति और निस्तारण का स्थान।

"**ऑनसाइट सेनिटेशन सिस्टम (ओएसएस)**" ऐसी स्वच्छता प्रणाली है जो पूरी तरह से निजी, व्यावसायिक, सरकारी आवास और उसके आस-पास के भू-खण्ड पर स्थित होता है। आमतौर पर, भू-खण्ड पर स्वच्छता 'घरेलू शौचालय' के समान है, लेकिन इसमें एक ही भू-खण्ड पर एक साथ रहने वाले कई परिवारों द्वारा साझा की जाने वाली सुविधयें हो सकती हैं।

"**ऑपरेटर**" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो फीकल स्लज एवं सेप्टेज निकालने और उसके परिवहन के व्यवसाय में संलग्न है।

"**मालिक**" का अर्थ है वह व्यक्ति जो निकाय की सीमा के भीतर स्थित किसी भवन या उसके किसी हिस्से का मालिक हो।

"**व्यक्ति**" का तात्पर्य एक ऐसे व्यक्ति से है एक एजेंसी, एक ट्रस्ट, एक समाज, एक फर्म या एक कंपनी को संदर्भित करता है प्रासंगिक कानूनों के तहत निगमित कंपनी, व्यक्तियों का एक संघ या व्यक्ति का एक निकाय चाहे निगमित हो या नहीं।

"**सैनिटरी लेट्रिन्स**" का अर्थ होगा सेप्टिक टैंक अथवा कोई ओएसएस अथवा भूमिगत सीवरेज प्रणाली से जुड़े शौचालय और मूत्रालय के प्रकार और बनावट जो मल (अपचित मलमूत्र) के सुरक्षित परिरोधन और निस्तारण को सुनिश्चित करता हो, जिनमें से प्रत्येक का निर्माण निकाय द्वारा जारी किए गए डिजाइन विनिर्देश और दिशानिर्देश के अनुरूप नियमानुसार किया गया हो।

"**सेप्टिक टैंक**" भूमिगत निर्मित टैंक है जो आंशिक रूप से ठोस जमाव और अवायवीय पाचन के संयोजन द्वारा आंशिक रूप से फीकल स्लज एवं सेप्टेज का उपचार करता है, जिसका निर्माण आईएस कोड 2470 के डिजाइन विनिर्देश या निकाय द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार किया गया है।

"**शेड्यूल्ड डीस्लजिंग**" का अर्थ है केंद्रीय लोक स्वास्थ्य एवं पर्यावरण इंजीनियरिंग संगठन (सीपीएचईईओ) की अनुशंसाओं के आधार पर 2-3 वर्षों के अंतराल पर ओएसएस को नियमित रूप से खाली कराने की प्रक्रिया।

"**सेप्टेज**" का अर्थ है अच्छी तरह डिजायन किए हुए सेप्टिक टैंक से निकलने वाला फीकल स्लज।

"**सीवेज**" का अर्थ है ब्लैक और ग्रे पानी का मिश्रण है जिसे सीवरों के माध्यम से प्रवाहित किया जाता है। इसे वेस्ट वॉटर यूज्ड वॉटर भी कहा जाता है।

"**सीवर**" वो प्रणाली (सीवर लाइन/पाइप लाइन) जिसके माध्यम से समुदाय के अपशिष्ट जल को बहाया जाता है।

"**सीवेज पम्पिंग स्टेशन**" का अर्थ होता है शहर में सीवर नेटवर्क के पम्प-हाउस का भंडारण और संग्रह कक्ष, जहाँ से सीवेज यानी मल जल या अपवाह को निर्दिष्ट स्थान पर पम्प करके भेजा जाता है।

"**सीवेज उपचार संयंत्र**" का अर्थ उस स्थान से है जहां सुरक्षित निस्तारण और दुबारा उपयोग के लिए निर्धारित मानकों के अनुसार मल जल का उपचार किया जाता है।

"**निकाय के प्रशिक्षित सफाई कर्मी**" का अर्थ है निकाय के कर्मचारी या निकाय लाइसेंसी वैक्यूम टैंकर का इस्तेमाल कर फीकल स्लज एवं सेप्टेज की सफाई करने या उसे खाली करने और ढुलाई के उद्देश्य के लिए निकाय द्वारा नियुक्त और प्रशिक्षित अनुबन्धित अथवा काम पर लिए गए कर्मचारी।

"**परिवहन या ढुलाई**" का अर्थ है लाइसेंस धारी वाहन के माध्यम से (एफएसएस) निकालने के स्थान से निर्दिष्ट निस्तारण स्थल तक फीकल स्लज एवं सेप्टेज की सुरक्षित ढुलाई।

"**उपचार**" का अर्थ है प्रदूषण को कम करने या रोकने के लिए एफएसएस/मल जल/अपशिष्ट जल के भौतिक, रासायनिक या जैविक और रेडियोलॉजिकल विशेषता या संरचना को बदलने के लिए तैयार की गई कोई वैज्ञानिक पद्धति या प्रक्रिया।

"**उपचार सुविधा**" का अर्थ होगा निकाय में विनिर्देशों और दिशानिर्देशों के आधार पर बने अधिसूचित फीकल स्लज उपचार और निस्तारण हेतु निर्मित स्थल।

"**यूएलबी क्लस्टर**" का अर्थ होगा होस्ट निकाय और इसके निकटस्थ यूएलबी/ग्राम पंचायत, जिन्हें शहर में स्थित उपचार संयंत्र में एफएस के सुरक्षित निस्तारण के लिए होस्ट निकाय जिसके साथ एमओयू की आवश्यकता होगी।

"**निकाय पंजीकृत (वैक्यूम) टैंक**" का अर्थ ऐसे वैक्यूम टैंकर से है, जिसे निर्दिष्ट उद्देश्य पूरा करने हेतु निकाय द्वारा विधिवत पंजीकृत कराया गया हो, जिसे निकाय द्वारा निकाय क्षेत्र में फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबन्धन सेवाएं प्रदान करने हेतु निकाय द्वारा पंजीकृत किया गया हो।

"**निर्वात टैंकर (वैक्यूम टैंकर)**" ऐसा वाहन होता है जिसमें एक पम्प और टंकी होती है, जिसे साइट पर स्वच्छता प्रणालियों से फीकल स्लज एवं सेप्टेज को वैक्यूम की मदद से खींचने के लिए बनाया गया है। इन वाहनों का उपयोग सेप्टिक टैंक से निकले फीकल स्लज एवं सेप्टेज के परिवहन के लिए भी किया जाता है।

"**अपशिष्ट जल (वेस्ट वॉटर)/यूज्ड वॉटर**" का अर्थ घरेलू/व्यावसायिक अथवा अन्य मानवीय गतिविधियों से निकले तरल प्रवाह से है, जिसमें शौचालय, रसोई और सफाई कार्य से निकला पानी, लेकिन इसमें विनिर्माण और औद्योगिक गतिविधियों से निकलने वाला पानी शामिल नहीं है। आमतौर पर इस तरह के प्रवाह को वर्षा-जल नालियों के माध्यम से बहाया है, इस प्रकार इसमें तूफानी जल भी शामिल होता है।

"**कर्मी**" का अर्थ है लाइसेंसधारी ऑपरेटर द्वारा फीकल स्लज एवं सेप्टेज की फीकल स्लज निकासी, ढुलाई और निस्तारण के लिए नियुक्त व्यक्ति।

सभी अन्य शब्द और अभिव्यक्ति जो इन उपविधियों में प्रयुक्त हुए हैं और जो इन उपविधियों में परिभाषित नहीं किये गये हैं और जो यहां ऊपर भी परिभाषित नहीं हैं लेकिन जिन्हें अधिनियम में अथवा वर्तमान में लागू किसी अन्य कानून में परिभाषित किया गया है उनका अर्थ वही होगा जो अधिनियम या कानून के तहत क्रमशः उन्हें प्रदान किया गया है और उसके अभाव में उनका अर्थ वही होगा जो जलापूर्ति और मल-जल उपचार/निस्तारण उद्योग में आमतौर पर समझा जाता है।

अध्याय-II

अपशिष्ट जल का प्रबन्धन और निस्तारण

3–परिसर में अपशिष्ट जल का प्रबन्धन और निस्तारण– निकाय में प्रत्येक संपत्ति के मालिक/अधिग्राही (जिसमें मौजूदा या प्रस्तावित, आवासीय और व्यावसायिक और अन्य शामिल हैं तथा इसी तक सीमित नहीं हैं) यह सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होंगे कि उनके परिसर से अपशिष्ट जल को निम्नलिखित तरीके से किसी भी या किसी के संयोजन के माध्यम से उपचार या निस्तारण किया जाता है, अर्थात–

(i) यदि घर की सीमा से 30 मीटर की दूरी या उतनी दूरी जितनी दूर से सीवर कनेक्शन घर तक आ सकता हो, या घर का मालिक कनेक्शन लेने के लिए कोई शुल्क अथवा कोई और जरूरत के अनुसार प्रक्रिया पूर्ण करा कर करें।

(ii) अपशिष्ट जल को एक निकाय अनुमोदित समुदाय या स्थानीय क्षेत्र उपचार सुविधा तक पहुंचाया जाता है।

(iii) यदि सम्पत्ति के 30 मीटर में कोई सीवर नहीं है, तो मालिक को यह सुनिश्चित करना होगा कि अपशिष्ट जल को साइट की उपचार प्रणाली में ले जाया जाय, जिसमें सेप्टिक टैंक या ट्विन-पिट या सोक-पिट या साइट पर स्थित आईएस कोड 2470 भाग 1 और 2 के अनुसार निर्मित अन्य प्रणाली शामिल हो सकती हैं। (देखें परिशिष्ट-1)

(iv) वे परिपत्तियाँ जो प्रतिदिन 2000 किलो लीटर से अधिक अपशिष्ट जल उत्पन्न करती हैं तो उसमें एक विकेन्द्रीकृत अपशिष्ट जल उपचार प्रणाली स्थापित की जाय ताकि सम्पत्ति में एकत्र अपशिष्ट जल का उपचार किया जा सके। सम्पत्ति के मालिक द्वारा बागवानी/फ्लशिंग के लिए उपचारित अपशिष्ट जल का पुनः उपयोग किया जाय ताकि ताजे पानी पर निर्भरता कम हो।

अध्याय-III

ऑनसाइट स्वच्छता प्रणालियाँ

4–मालिक या अभिग्राही के कर्तव्य और अनुपालन–निकाय के दायरे में स्थित किसी भवन या उसके हिस्से का मालिक या अभिग्राही, जैसा भी मामला हो, इन उपविधियों के लागू होने की तारीख से निम्नलिखित दायित्वों को पूरा करने के लिए जिम्मेदार होंगे–

उपविधियों के अनुसार प्राधिकार द्वारा जारी सूचना में निर्दिष्ट समय के भीतर वह ऐसे भवन में इंसेनिटरी लेट्रिन्स उपयोग को बन्द कर देंगे और निकटवर्ती सामान्य नालियों या खुले भू-खण्ड या जल निकायों के सभी निर्गम को भी बन्द कर देंगे तथा अपने स्वामित्व वाले या अपने उपयोग किये जाने वाले भवनों में केवल सेनिटरी लेट्रिन्स का निर्माण, संचालन और उनका रख-रखाव करेंगे।

5–ओएसएस का डिजाइन, निर्माण और रख-रखाव–

(i) ओएसएस का डिजाइन, निर्माण और उनकी स्थापना 'आईएस कोड 2470 भाग 1 और 2' के प्रावधानों के अनुसार किया जायेगा, या इसके समय समय पर किये गये संशोधित प्रावधान अथवा नगर पालिका परिषद सुलतानपुर या राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा जारी किसी अन्य स्वीकृत उपयुक्त अभियांत्रिकी कार्य संहिता द्वारा संशोधित किया गया हो।

(ii) ओएसएस से जुड़ी सम्पत्ति के मालिक निवासी ऐसे ओएसएस से निकलने वाले फीकल स्लज के अनुरक्षण, रख-रखाव और सुरक्षित निस्तारण के लिए जिम्मेदार होंगे।

(iii) परिसर का मालिक नगर पालिका परिषद सुलतानपुर द्वारा निर्धारित लागत के भुगतान पर नियमित आधार पर (प्रत्येक 2-3 वर्ष में) फीकल स्लज साफ करने का काम करेगा। (अथवा जैसा कि परिशिष्ट 2 में सुझाया गया है)।

(iv) परिसर का मालिक सुनिश्चित करेगा कि कंटेनमेंट संयन्त्र के खराब या दोषपूर्ण निर्माण के कारण फीकल स्लज के खुली जगहों में या नाली में गिरने से पर्यावरण प्रदूषित नहीं हो।

(v) परिसर के मालिक को यह सुनिश्चित करना होगा कि सेप्टिक टैंक का लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर या नगर पालिका परिषद सुलतानपुर के प्रशिक्षित स्वच्छता कर्मियों द्वारा पर्याप्त सुरक्षा उपायों के साथ यांत्रिक रूप से साफ किया जाता है और हाथ से सफाई ना हो।

(vi) नियमों के पालन के लिए नगर पालिका परिषद सुलतानपुर या उसके अधिकृत प्रतिनिधि को ही परिसर का निरीक्षण करने का अधिकार है। नगर पालिका परिषद सुलतानपुर समय-सीमा के भीतर अपने खर्चे पर अपशिष्ट जल प्रबन्धन और निस्तारण से सम्बन्धित नियम उल्लंघन की स्थिति में सुधार/ संशोधन के लिए परिसर के मालिक के लिए चेतावनी जारी कर सकता है।

(vii) नगर पालिका परिषद सुलतानपुर अपने विवेक पर, गैर-अनुपालन प्रणालियों के रेट्रोफिटिंग/सुधार के लिए सम्पत्ति मालिकों को प्रोत्साहन प्रदान कर सकता है और वैकल्पिक प्रणालियों का सुझाव देने के लिए तकनीकी विशेषज्ञों को शामिल कर सकता है।

अध्याय-IV

फीकल स्लज एवं सेप्टेज के संग्रहण और ढुलाई के लिए लाइसेंस और पंजीकरण

6–निकाय द्वारा जारी किया जाने वाला लाइसेंस–

(i) नगर पालिका परिषद सुलतानपुर वर्तमान में अपनी प्रशासनिक सीमाओं में फीकल स्लज एवं सेप्टेज निकालने की सेवायें प्रदान करने वाले निजी ऑपरेटरों के स्वामित्व वाले या किराये पर लिये गये वैक्यूम टैंकरों को पंजीकृत करेगा।

(ii) नगर पालिका परिषद सुलतानपुर अपने कर्मियों सहित ऑपेरटरों के लिए आईईसी और क्षमता निर्माण गतिविधियाँ करेगा, जहां उन्हें फीकल स्लज एवं सेप्टेज को सुरक्षित तरीके से खाली करने और ढुलाई के लिए उपयुक्त तरीके से इस्तेमाल करने के लिए जागरुक और प्रशिक्षित किया जायेगा। यह प्रशिक्षण पंजीकरण की तिथि के 01 महीने के भीतर किया जायेगा।

(iii) जब ऑपरेटर को लगे कि वह लाइसेंसिंग के मानदण्डों के अनुपालन में सफल है, तो वह इन उपविधियों के फॉर्म 1 (परिशिष्ट-4) की मदद से इसके लिए आवेदन कर सकता है। इसे प्रशिक्षण के पूरा होने के 2 महीने से अधिक नहीं बढ़ाया जायेगा।

(iv) नगर पालिका परिषद सुलतानपुर ऑपरेटर द्वारा अधिसूचित स्थानों पर फीकल स्लज निकालने और फीकल स्लज एवं सेप्टेज की ढुलाई के लिए लाइसेंस जारी करेगा।

(v) इन विनियमों के फॉर्म 2 (परिशिष्ट-5) में निर्धारित प्रारूप के अनुसार लाइसेंस जारी किया जायेगा, और यदि इसे पहले रद्द नहीं किया जाता है तो जारी होने की तिथि से एक वर्ष के लिए वैध होगा, और अवधि समाप्त होने पर निर्धारित शुल्क का भुगतान करने पर लाइसेंसधारी ऑपरेटर द्वारा नियमों और शर्तों की पूर्ति के अधीन नवीकरणीय होगा।

7– लाइसेंस जारी करने की शर्तें–

(i) लाइसेंस हासिल करने के पात्र आवेदक का अर्थ इन उपविधियों के खण्ड 2 (xxi) में परिभाषित "व्यक्ति" से होगा।

(ii) आवेदक को उचित सक्शन/वैक्यूम और डीस्चार्जिंग व्यवस्था के साथ रिसाव-मुक्त, गन्ध और छिलकाव रहित परिवहन वाहन का मालिक होना चाहिये या ऐसा वाहन उसे किराये पर लेना चाहिये।

(iii) नगर पालिका परिषद सुलतानपुर में परिचालन के लिए वाहन का परिवहन विभाग द्वारा जारी वैध परमिट या पंजीकरण प्रमाण-पत्र होगा।

(iv) आवेदक अपने वैक्यूम टैंकर को नगर पालिका परिषद सुलतानपुर के साथ पंजीकृत करेगा।

(v) आवेदक का यह उत्तरदायित्व होगा कि उसके स्वामित्व वाले/किराये पर लिये गये वैक्यूम टैंकर इन विनियमों के खण्ड-16 में दिये गये मानदण्डों को पूरा करते हैं।

(vi) आवेदक का यह भी उत्तरदायित्व होगा कि नगर पालिका परिषद सुलतानपुर या उसके द्वारा किराये पर ली गई एजेंसी द्वारा इस उद्देश्य के लिए नियुक्त कर्मी पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित हैं।

(vii) आवेदक द्वारा कर्मियों को सुरक्षा उपस्कर और अन्य सुरक्षात्मक उपकरणों से लैस रखा जायेगा, जो कि सुरक्षित रूप से फीकल स्लज निकालने, उसकी ढुलाई करने और अधिसूचित स्थानों पर फीकल स्लज एवं सेप्टेज का निस्तारण करने के लिए आवश्यक हैं। जरूरी पीपीई इस उपविधि के परिशिष्ट-3 में दी गई सूची के अनुसार होगा।

8–लाइसेंस के लिए आवेदन–फीकल स्लज एवं सेप्टेज निकालने, परिवहन और निपटान हेतु लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आवेदन एफएसएस का निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया जायेगा, जो इन उपविधियों के फॉर्म 1 के रूप में संलग्न है, जिसमें नियमों और शर्तों सहित ऐसे दस्तावेजों के साथ जैसा कि निकाय के नामित अधिकारी (परिशिष्ट-4 देखें) द्वारा निर्धारित किया गया हो। नगर पालिका परिषद सुलतानपुर द्वारा सत्यापन एवं प्रशिक्षण के बाद ही फीकल स्लज एवं सेप्टेज का संग्रहण, परिवहन एवं निपटन का लाइसेंस ऑपरेटर को दिया जायेगा (फॉर्म-2, परिशिष्ट-5)।

9–लाइसेंस के लिए आवेदन करने हेतु आमंत्रण–लाइसेंस के लिए आवेदन करने हेतु नगर पालिका परिषद सुलतानपुर द्वारा संभावित आवेदकों को आमंत्रित करते हुए समय-समय पर अपनी वेबसाइट पर और प्रमुख समाचार-पत्रों तथा अन्य प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से व्यापक विज्ञापन दिया जायेगा।

10–लाइसेंस के लिए पंजीकरण शुल्क–नये निजी ऑपरेटरों (फीकल स्लज एवं सेप्टेज निकालने वाला) के लिए लाइसेंस प्रदान करने हेतु पंजीकरण पूरा करने के लिए समय-समय पर नगर पालिका परिषद सुलतानपुर द्वारा निर्धारित पंजीकरण शुल्क (10.1 देखें) लिया जा सकता है। यह शुल्क लौटाया नहीं जायेगा और इसका भुगतान इलेक्ट्रॉनिक या नगद स्वरूप में किया जा सकता है।

10.1– पंजीकरण के शुल्क और वैधता–

(i) ऑपरेटर के रूप में नये निजी ऑपरेटरों को पंजीकृत कराने हेतु पंजीकरण शुल्क रु. 2500/–

(ii) पंजीकरण की वैधता पंजीकृत निजी ऑपरेटर, लाइसेंस नवीनीकरण शुल्क जमा करके अधिकतम 01 वर्षों तक शहर को अपनी सेवा दे सकता है। यदि निजी ऑपरेटर लाइसेंस नवीनीकरण करने में विफल रहता है तो उसका पंजीकरण स्वतः रद्द हो जायेगा और यदि वह शहर की सीमाओं में फीकल स्लज हटाने वाली सेवाओं को फिर से शुरू करना चाहता है तो उसे पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करनी होगी।

(iii) लाइसेंस नवीनीकरण शुल्क रु0 1,500/-

11–लाइंसेसधारी ऑपरेटर का विज्ञापन– नगर पालिका परिषद सुलतानपुर द्वारा समय-समय पर अपनी वेबसाइट के साथ-साथ प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से लाइंसेस शुदा ऑपरेटर का व्यापक विज्ञापन दिया जायेगा।

12–जागरुकता अभियान– इन उपविधियों के बारे में जागरूक करने के साथ-साथ फीकल स्लज एवं सेप्टेज की सफाई, ढुलाई और निस्तारण हेतु नगर पालिका परिषद सुलतानपुर द्वारा लोगों को केवल लाइंसेसधारी ऑपरेटर को शामिल करने की आवश्यकता के बारे में जागरूक बनाने का अभियान चलाया जायेगा।

अध्याय-V

फीकल स्लज एवं सेप्टेज का निष्कासन/संग्रहण (डीस्लजिंग) और परिवहन (ढुलाई)

13– संपत्ति के मालिक या अभिग्राही द्वारा केवल लाइंसेसधारी ऑपरेटर को काम पर रखा जायेगा–

(i) भवन के प्रत्येक मालिक/अभिग्राही का यह दायित्व होगा कि वह फीकल स्लज एवं सेप्टेज निकासी और ढुलाई के लिए नगर पालिका परिषद सुलतानपुर के लाइसेंसधारी ऑपरेटर अथवा प्रशिक्षित सफाई कर्मियों की ही सेवायें लें।

(i) मालिक/अधिभोगी डीस्लजिंग सेवा से सम्बंधित सम्पूर्ण जानकारी ऑपरेटर को प्रदान करेगा (परिशिष्ट-6 देखें)।

14– फीकल स्लज एवं सेप्टेज की निकासी ढुलाई का शुल्क–

(i) समय-समय पर अधिसूचित स्थानों पर फीकल स्लज एवं सेप्टेज निकासी और ढुलाई का शुल्क निकाय के नामित अधिकारी द्वारा अधिसूचित किया जायेगा (परिशिष्ट 2 देखें)।

(ii) शहर में जब कभी नगर पालिका परिषद सुलतानपुर द्वारा "शेड्यूल्ड डीस्लजिंग" पालन करने का फैसला किया जाता है, तो फीकल स्लज निकासी शुल्क को 'सफाई शुल्क' से बदल दिया जायेगा या इसे संपत्ति/जल कर में शामिल किया जा सकता है, जिसे नगर पालिका परिषद सुलतानपुर द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया जायेगा।

(iii) लाइसेंस धारी ऑपरेटर सम्पत्ति के मालिक/अभिग्राही से निकाय द्वारा समय-समय पर अधिसूचित शुल्क से अधिक राशि नहीं वसूलेगा।

(iv) फीकल स्लज एवं सेप्टेज की निकासी और ढुलाई कार्य के लिए अधिसूचित शुल्क से अधिक राशि मांगने पर लाइसेंस धारी ऑपरेटर का लाइसेंस रद्द कर दिया जायेगा और इन उपविधियों के उल्लंघन के लिए निर्धारित जुर्माना लगाया जायेगा।

15– फीकल स्लज एवं सेप्टेज की ढुलाई के वाहन–

(i) फीकल स्लज एवं सेप्टेज निकासी और ढुलाई कार्य केवल लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर या नगर पालिका परिषद सुलतानपुर के प्रशिक्षित सफाई कर्मियों द्वारा ही किया जायेगा।

(ii) आवश्यक शर्तों के पूरा नहीं होने पर भी वैक्यूम टैंकर को 1 वर्ष की अवधि के लिए पंजीकृत कराया जा सकता है। ऐसी स्थिति में, सम्बन्धित ऑपरेटर को निश्चित समय सीमा के भीतर वैक्यूम टैंकर को समुन्नत अपग्रेड करना चाहिये।

(iii) डीस्लजिंग वाहनों का परिचालन फीकल स्लज एवं सेप्टेज की सुरक्षित और कुशल ढुलाई के लिए समय-समय पर नगर पालिका परिषद सुलतानपुर द्वारा चिह्नित निर्दिष्ट मार्गों पर ही किया जायेगा।

(iv) ऑपरेटर को जारी लाइसेंस की एक प्रति और नगर पालिका परिषद सुलतानपुर वाहन का पंजीकरण नंबर फीकल स्लज एवं सेप्टेज की ढुलाई हेतु प्रयुक्त वाहन पर स्पष्टता से प्रदर्शित किया जायेगा।

(v) वाहन/टैंकर को पीले रंग से पेंट किया जायेगा जिस पर लाल रंग में (सावधानी के लिए) "Septik Tank Waste" (अंग्रेजी में) और "मलकुण्ड अपशिष्ट" (हिंदी में) लिखा होगा।

(vi) फीकल स्लज एवं सेप्टेज की ढुलाई में प्रयुक्त प्रत्येक वाहन में जीपीएस उपकरण (निकाय द्वारा प्रदत्त) लगाया जायेगा और इसका एक्सेस अधिकार नगर आयुक्त या अधिशासी अधिकारी, और ऐसे वाहनों की ट्रैकिंग के लिए निकाय द्वारा अधिसूचित एजेंसी के पास होगा।

16– ढुलाई के दौरान सावधानी– लाइसेंस धारी ऑपरेटर यह सुनिश्चित करेगा कि निस्तारण के लिए डीस्लजिंग स्थल से अधिसूचित स्थान तक ढुलाई के दौरान फीकल स्लज एवं सेप्टेज से कोई रिसाव या छलकाव न हो।

17– दुर्घटना की स्थिति में बचावकारी उपाय– फीकल स्लज एवं सेप्टेज ले जाने वाला वाहन सन्चालन के दौरान किसी भी आकस्मिक छलकाव के कारण पर्यावरण के लिए किसी भी खतरे से बचने के लिए पर्याप्त रूप से सुसज्जित होना चाहिये।

18– दुर्घटना की स्थिति में लाइसेंसधारी ऑपरेटर की जिम्मेदारी– किसी दुर्घटना या आपदा की स्थिति में लाइसेंसधारी ऑपरेटर किसी भी व्यक्ति, वाहन, संपत्ति या पर्यावरण को होने वाले किसी भी प्रकार के नुकसान के लिए पूर्ण जिम्मेदार होगा और ऐसे में यदि किसी प्राधिकारी अथवा न्यायालय द्वारा पीड़ितों /उनके कानूनी उत्तराधिकारियों को किसी प्रकार के क्षति शुल्क या मुआवजा प्रदान किये जाने का निर्णय दिया जाता है तो उसका भुगतान उसे ही करना होगा।

19– नियुक्त कर्मियों के लिए सुरक्षा-उपाय– हाथ में रखकर इस्तेमाल होने वाले गैस-डिटेक्टर, गैस-मास्क, सुरक्षा उपकरण, ऑक्सीजन-सिलेंडर के साथ ऑक्सीजन-मास्क और प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स आदि के प्रावधान सहित सभी सुरक्षा उपाय तथा प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड देयर रिहैबिलिटेशन ऐक्ट, 2013 में निर्दिष्ट ऐसे अन्य उपाय उपलब्ध कराने के लिए लाइसेंसधारी ऑपरेटर जिम्मेदार होगा।

20– फीकल स्लज एवं सेप्टेज का निस्तारण–

(i) लाइसेंसधारी ऑपरेटर नगर पालिका परिषद सुलतानपुर द्वारा समय-समय पर अधिसूचित स्थानों पर ही फीकल स्लज एवं सेप्टेज का निस्तारण करेगा।

(ii) लाइसेंस धारी ऑपरेटर इन उपविधि के फॉर्म 3 में निर्धारित विधिवत हस्ताक्षरित फीकल स्लज एवं सेप्टेज निकासी और निस्तारण फॉर्म, जो विधिवत रूप से भरा गया और हस्ताक्षरित हो, अधिसूचित स्थानों पर फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्राप्त करने के लिए नामित निकाय के अधिकारी के पास जमा करेगा (परिशिष्ट-6 देखें)।

(iii) होस्ट यूएलबी ये सुनिश्चित करेगा की उपचार सुविधा पर यूएलबी क्लस्टर या ग्राम पंचायत का पंजीकृत ऑपरेटर ही फीकल स्लज एवं सेप्टेज का निस्तारण करें।

21– निकाय (उपचार सुविधा वाले) के अधिकार–

(i) निकाय किसी पास के निकाय या ग्राम पंचायतों के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) (परिशिष्ट 7, फॉर्म-4) पर हस्ताक्षर करेगा और इसके तहत केंद्र पर उपलब्ध उपचार सुविधा पर फीकल स्लज एवं सेप्टेज के सुरक्षित निस्तारण की अनुमति देने के लिए होस्ट यूएलबी बन जायेगा।

(ii) नगर पालिका परिषद सुलतानपुर होस्ट यूएलबी से जुड़े यूएलबी क्लस्टर की सीमा के अन्दर काम करने वाले (निजी/सरकारी) ऑपरेटर को उपचार सुविधा के परिचालन अवधि, निस्तारण प्रक्रिया, टिपिंग शुल्क और निर्दिष्ट अवधि के दौरान प्रतिबन्धित किए गए वितरण मार्गों के बारे में सूचित करेगा।

(iii) नगर पालिका परिषद सुलतानपुर वैक्यूम टैंकर की गुणवत्ता और रखरखाव का निरीक्षण करेगा और उन पर नियंत्रण रखेगा।

(iv) संग्रहीत किए जाने वाले और उपचार सुविधा पर ढोए जाने वाले फीकल स्लज एवं सेप्टेज की गुणवत्ता का निरीक्षण नगर पालिका परिषद सुलतानपुर द्वारा किया जायेगा।

(v) होस्ट यूएलबी अन्य क्लस्टर यूएलबी या ग्राम पंचायत को फीकल स्लज एवं सेप्टेज की उस स्वीकार्य मात्रा के बारे में जानकारी देगा जिसे "उपचार सुविधा" में निस्तारित किया जा सकता है।

(vi) एमओयू अवधि के किसी भी समय, यदि "होस्ट यूएलबी" को लगे कि क्लस्टर यूएलबी/ग्राम पंचायत से आने वाले फीकल स्लज एवं सेप्टेज को निस्तारित नहीं किया जा सकता है, तो ऐसी स्थिति आने से पहले होस्ट यूएलबी कम से कम 15 दिन पहले इसकी सूचना देगा।

22– निकाय (बिना उपचार सुविधा वाला) के कर्तव्य–

(i) निकाय या ग्राम पंचायत जिनके पास उपचार सुविधा नहीं है उस निकाय का नाम, होस्ट यूएलबी के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करेगा और होस्ट यूएलबी के पास उपलब्ध उपचार सुविधा पर फीकल स्लज एवं सेप्टेज के सुरक्षित निस्तारण के लिए क्लस्टर यूएलबी का सदस्य बनेगा।

(ii) निकाय या ग्राम पंचायत (जिनके पास उपचार संयंत्र नहीं है) अपने प्रशासनिक क्षेत्र में काम करने वाले (निजी/सरकारी) ऑपरेटरों को उपचार सुविधा की कार्य अवधि, निस्तारण प्रक्रिया, टिपिंग शुल्क (यदि कोई हो) निकाय द्वारा निर्धारित निर्दिष्ट घंटों के दौरान विशिष्ट आपूर्ति मार्ग के जानकारी देंगे।

(iii) यदि निकाय होस्ट यूएलबी के क्लस्टर यूएलबी की स्पष्ट सीमा में नहीं है, तो निकाय उपचार के बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए राज्य के पास पहुंच सकता है और फीकल स्लज एवं सेप्टेज के लिए एक अंतरिम निस्तारण स्थल विकसित कर सकता है।

(iv) नगर पालिका परिषद सुलतानपुर विनिर्दिष्ट वाहनों की गुणवत्ता और रख-रखाव का निरीक्षण करेगा और उन पर नियंत्रण रखेगा।

(v) होस्ट यूएलबी संग्रहीत किए जाने और निर्दिष्ट निस्तारण स्थल तक ढोए जाने वाले फीकल स्लज एवं सेप्टेज की गुणवत्ता का निरीक्षण करेगा।

(vi) यदि "होस्ट यूएलबी" की क्षमता क्लस्टर यूएलबी के फीकल स्लज एवं सेप्टेज को निबटाने के लिए कम पड़ जाता है, तो नगर पालिका परिषद सुलतानपुर को एक नए "होस्ट यूएलबी" की खोज करनी चाहिये या नए "उपचार सुविधा" के निर्माण के लिए केंद्र के पास अनुरोध भेजना चाहिए।

23– कर्मियों का प्रशिक्षण– लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर फीकल स्लज एवं सेप्टेज की फीकल स्लज निकासी, ढुलाई और निस्तारण में तैनात कर्मचारियों के सर्वाधिक प्रशिक्षण के लिए उत्तरदायी होगा।

24– कर्मियों की नियमित स्वास्थ्य जांच– यह सुनिश्चित करने का दायित्व लाइसेंसधारी ऑपरेटर का होगा कि प्रत्येक नियुक्त कर्मी का साल में कम से कम एक बार स्वास्थ्य जांच होनी चाहिए और उसका रिकॉर्ड निकाय को दिया जाना चाहिये, जिसमें विफल रहने पर लाइसेंसधारी ऑपरेटर को समय-समय पर अधिसूचित दण्ड का भुगतान करना पड़ सकता है।

25– बीमा– लाइसेंसधारी ऑपरेटर द्वारा काम पर रखे गये कर्मियों का प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड देयर रिहैबिलिटेशन ऐक्ट, 2013 और 2003 की रिट याचिका संख्या 583 (सफाई कर्मचारी आंदोलन तथा अन्य बनाम भारत संघ तथा अन्य) में फीकल स्लज एवं सेप्टेज की निकासी, ढुलाई और निस्तारण की प्रक्रिया के दौरान दुर्घटना की स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 27 मार्च, 2014 के आदेश के तहत पीड़ितों अथवा उनके कानूनी उत्तराधिकारियों को दिये जाने वाले मुआवजे को कवर करने के लिए बीमा किया जायेगा।

26– लाइसेंस रद्द किया जाना– इन उपविधि सहित हाथ से मैला ढोने वालों के रूप में रोजगार निषेध और उनका पुनर्वास ऐक्ट, 2013 के किसी भी प्रावधान के उल्लंघन के मामले में, लाइसेंस धारी ऑपरेटर समय-समय पर अधिसूचित दण्ड के भुगतान करने का भागी होगा, जिसमें लाइसेंस रद्द किया जाना और निष्पादन गारंटी का उपहार शामिल है जो शहरी स्वच्छता समिति (CSC) अथवा विनिर्दिष्ट अधिकारी (अधिकारियों) की सिफारिश के मुताबिक होगा।

अध्याय–VI

फीकल स्लज एवं सेप्टेज का उपचार और पुनः उपयोग/निस्तारण

27– उपचार निस्तारण स्थल की पहचान–

(i) नगर पालिका परिषद सुलतानपुर उस स्थल (स्थलों) की पहचान करेगा और सूचित करेगा जहां लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर या नगर पालिका परिषद सुलतानपुर के प्रशिक्षित सफाई कर्मी द्वारा फीकल स्लज एवं सेप्टेज का उपचार निस्तारण किया जायेगा।

(ii) उपचार सुविधा के अभाव में नगर पालिका परिषद सुलतानपुर आस-पास के होस्ट यूएलबी जिसमे सुचारू उपचार सुविधा हो, उनके साथ समझौता ज्ञापन करके उसके सुविधा का इस्तेमाल करेगा (फॉर्म 4 परिशिष्ट 7)

(iii) फीकल स्लज एवं सेप्टेज के सुरक्षित निस्तारण हेतु नगर पालिका परिषद सुलतानपुर के आस-पास के क्षेत्र में "क्लस्टर यूएलबी" की अनुपस्थिति की स्थिति में, उपचार के बुनियादी ढांचे (खंड 28) के निर्माण तक एक अंतरिम निस्तारण योजना का विकल्प चुना जा सकता है।

28– फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्राप्त करने के लिए अवसंरचना का निर्माण– नगर पालिका परिषद सुलतानपुर जरूरी आधारभूत ढांचा तैयार करेगा (यदि अनुप्रयोज्य हो तो आदर्श उपचार संयंत्र की व्यवस्था होने तक अंतरिम उपचार बुनियादी ढांचा भी) और पंजीकृत वाहनों द्वारा लाए गए फीकल स्लज एवं सेप्टेज के उपचार निस्तारण की सुविधा के लिए अधिसूचित स्थल या स्थलों पर आवश्यक उपकरण प्रदान करेगा।

29– फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्राप्त करने के लिए कर्मचारियों की नियुक्ति–

(i) फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्राप्त करने और इसे सम्बन्धित उपचार सुविधा में स्थानांतरित करने के लिए नगर पालिका परिषद सुलतानपुर द्वारा प्रत्येक अधिसूचित स्थल पर पर्याप्त संख्या में कर्मचारियों (लिंग तटस्थ) को नियुक्त किया जायेगा। यदि निकाय के पास उपचार सुविधा है यानी होस्ट यूएलबी,

(ii) फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्राप्त करने और इसे अंतरिम "उपचार सुविधा" में स्थानान्तरित करने या इसे "होस्ट यूएलबी" के "उपचार सुविधा" में भेजने के लिए निकाय प्रत्येक अधिसूचित स्थल पर पर्याप्त कर्मचारी (किसी भी लिंग का हो सकता है) नियुक्त करेगा। यदि निकाय के पास उपचार सुविधा नहीं है यानी आप क्लस्टर यूएलबी का हिस्सा हैं,

30– फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्राप्त करने का समय– निकाय (या फिर यदि लागू हो तो होस्ट यूएलबी), द्वारा नियुक्त कर्मचारियों द्वारा प्रत्येक अधिसूचित स्थल पर समय-समय पर निकाय (या होस्ट यूएलबी लागू हो), द्वारा अधिसूचित अवधि के दौरान फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्राप्त किया जायेगा।

31– औद्योगिक अपशिष्ट जिनकी अनुमति नहीं है– अधिसूचित स्थल पर औद्योगिक अपशिष्ट वाले फीकल स्लज एवं सेप्टेज के निस्तारण की अनुमति नहीं दी जायेगी।

32– फीकल स्लज एवं सेप्टेज पर प्रशिक्षण– नगर पालिका परिषद सुलतानपुर द्वारा नियुक्त कर्मचारियों को अधिसूचित स्थल पर फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्राप्त करने और उपचार निस्तारण करने के लिए प्रशिक्षित किया जायेगा।

33– उपचारित फीकल स्लज एवं सेप्टेज का दुबारा इस्तेमाल– निकाय किसानों को अनुपचारित फीकल स्लज एवं सेप्टेज के कृषि अनुप्रयोग के स्वास्थ्य एवं पर्यावरणीय दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक करेगा और उन्हें उपचार सुविधा से उपचारित फीकल स्लज एवं सेप्टेज इस्तेमाल करने को प्रोत्साहित करेगा।

अध्याय–VII

प्रशासन और प्रवर्तन

34– प्रशासन और प्रवर्तन–

(i) इन नियमों की प्रशासनिक और प्रवर्तक शक्तियाँ नगर आयुक्त अधिशासी अधिकारी, अथवा नगर आयुक्त/अधिशासी अधिकारी द्वारा विधिवत अधिकृत निकाय के अभिहित अधिकारी के पास रहेंगी।

(ii) नगर पालिका परिषद सुलतानपुर फीकल स्लज की निकासी, ढुलाई या उपचार की सेवायें प्रदान करने के लिए समय-समय पर निर्धारित और अधिसूचित उपयोगकर्ता शुल्क (यूजर फीस) लगा सकता है। लागत वसूली सुनिश्चित करने के लिए,उपयोगकर्ताओं को इन सेवाओं के लिए भुगतान करना होगा।

(iii) नगर पालिका परिषद सुलतानपुर शहरी स्वच्छता समिति (CSC) का गठन करेगा जो निकाय प्रशासनिक क्षेत्र में समग्र फीकल स्लज एवं सेप्टेज का पर्यवेक्षण और निगरानी सुनिश्चित करेगा।

(iv) नगर पालिका परिषद सुलतानपुर फीकल स्लज एवं सेप्टेज की निकासी ढुलाई के लिए सुरक्षित तरीके सुनिश्चित करने के लिए एक इमरजेन्सी रिसपोंस सैनिटेशन यूनिट (ईआरएसयू) नियुक्त करेगा।

35– जांच के लिये विशेष शक्ति– इन उपविधियों के प्रभावी तरीके से लागू करने और प्रवर्तन के उद्देश्य से, नगर पालिका परिषद सुलतानपुर के पास किसी भी समय किसी भी परिसर में, परिवहन वाहनों और फीकल स्लज एवं सेप्टेज उपचार सुविधा के निरीक्षण की शक्ति होगी।

36– नियम उल्लंघन और जुर्माना–

(i) इन उपविधियों के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करने पर व्यक्ति को नियम अनुपालन के लिए नोटिस भेजा जायेगा।

(ii) किसी भी व्यक्ति पर इन नियमों के तहत दण्डात्मक प्रावधान लागू होंगे, यदि ऐसा व्यक्ति– (क) इन उपविधियों के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करता है या उसका पालन करने में विफल रहता है (ख) इन विनियमों के तहत किसी भी शक्ति के प्रयोग या किसी कर्तव्य निष्पादन में निकाय के एक अधिकृत अधिकारी या अन्य अधिकारी के काम में बाधा डालता है, या हस्तक्षेप करता है (ग) किसी भी ओएसएस/सीवर की हाथ से फीकल स्लज निकासी की प्रक्रिया संचालित कराता है।

(iii) इन उपविधियों के प्रावधानों के उल्लंघन का दोषी पाये जाने वाले व्यक्ति को परिशिष्ट-8 में उल्लेखित राशि की सीमा तक दण्डित किया जायेगा और उचित कानून के तहत मुकदमा चलाया जायेगा और जैसा भी मामला हो, दोषी पाये जाने की स्तिथि में एफ एस एस निकासी ढोने के वाहन भी जब्त हो सकता है।

(iv) जो कोई भी, किसी भी मामले में, जिसमें दण्ड परिशिष्ट-8 में स्पष्ट रूप से प्रदान नहीं किया गया है, दोषी पाया जाता है, समय-समय पर नगर पालिका परिषद सुलतानपुर द्वारा तय किये जाने वाले जुर्माने के साथ दण्डनीय होगा।

(v) संदेह दूर करने के लिए, यह घोषित किया जाता है कि इन उपविधियों की कोई भी बात किसी भी व्यक्ति को उस समय लागू किसी अन्य प्रासंगिक अधिनियम या इन उपविधियों के तहत दण्डनीय कोई कार्य के लिये या चूक के लिए उसके तहत मुकदमा चलाने, दण्डित करने से नहीं रोकेगा।

37–अपील– निकाय के अधिकृत अधिकारी के निर्णय से असंतुष्ट कोई भी व्यक्ति इन उपविधियों के तहत नगर आयुक्त/अधिशासी अधिकारी के पास इस तरह के निर्णय के विरुद्ध अपील (इन उपविधियों के फॉर्म 5 में संलग्न प्रारूप में) कर सकता है (परिशिष्ट-9 देखें)

38–विवाद समाधान उपविधि– इन उपविधियों के क्रियान्वयन के संदर्भ में उत्पन्न किसी भी विवाद का समाधान केवल शहर नगर पालिका परिषद सुलतानपुर के अधिकार क्षेत्र वाले सक्षम न्यायालय द्वारा भारतीय कानूनों के तहत किया जायेगा।

39–फीकल स्लज एवं सेप्टेज उपविधियों में संशोधन– मानक प्रक्रिया का पालन करते हुए आवश्यकता पड़ने पर निकाय के पास फीकल स्लज एवं सेप्टेज उपविधियों में संशोधन करने का अधिकार होगा।

40–संदर्भ प्रलेख– उपविधियों के क्रियान्वयन और लागू करने में सुविधा के लिये, इन विनियमों के परिशिष्ट-10 में प्रदान किए गये मानकों, रणनीतियों, मैनुअल, दिशानिर्देशों और नीतियों की एक सूची का संदर्भ लिया जा सकता है।

41–डीस्लजर के लिए सम्मान/पुरस्कार– अच्छे काम और व्यवहार के लिए निकाय समय-समय पर प्रेरित करने और समग्र प्रशंसा हेतु अच्छे प्रदर्शन के लिए फीकल स्लज निकासी (डीस्लजिंग) ऑपरेटरों के लिए सम्मान/पुरस्कार समारोह आयोजित कर सकता है।

42–उपविधियों के लिए पूरक राज्य सरकार के निर्देश– इन उपविधियों के प्रवर्तन में कठिनाइयों को दूर करने के लिए राज्य सरकार द्वारा फीकल स्लज एवं सेप्टेज के सम्बन्ध में निर्देश जारी किया जा सकता है।

परिशिष्ट-1

(खण्ड 2(xxiii), 3(iii) और 5(i) देखें)

सेप्टिक टैंक का डिजाइन

सेप्टिक टैंक स्थापित करने के लिये बीआईएस कार्य संहिता प्रदान करता है (आईएस 2470 [भाग 1, 1985)। सेप्टिक टैंक के निर्माण के लिए यह कुछ मान्यताओं के आधार पर डिजाइन मानदण्ड प्रदर्शित करता है। छोटे और बड़े क्षेत्रों के लिये यह आबादी को ध्यान में रखते हुए डिजाइन इंस्टॉलेशन का विवरण प्रदान करता है। केंद्रीय सार्वजनिक

स्वास्थ्य एवं पर्यावरण अभियांत्रिकी संगठन, एमओएचयूए के अनुसंधान प्रभाग द्वारा प्रकाशित सीवरेज और मल-जल उपचार पर मैनुअल के भाग ए में ओएसएस पर व्यापक डिजाइन मानक दिये गये हैं। प्रचलित और सुरक्षित साइट स्वच्छता के लिए इस खण्ड में तकनीकों के मानक डिजाइन बताए गये हैं। साथ ही, भारत में सेप्टिक टैंक को आमतौर पर काले पानी के लिए ही हाइलाइट किया जाता है।

सेप्टिक टैंक के विनिर्देशन–

- आयताकारः लम्बाई और चौड़ाई का अनुपात : 2 से 4
- गहराई : 1.0 से 2.5 मी. के बीच
- दो कक्ष : पहला कक्ष कुल लम्बाई का 2/3
- तीन कक्ष : पहला कक्ष कुल लम्बाई का आधा
- मशीन-छेद (मैनहोल) प्रत्येक कक्ष के ऊपर
- निर्विवाद, टिकाऊ और स्थिर टैंक

सेप्टिक टैंक का अनुशंसित आकार–

उपयोगकर्ता की संख्या	लम्बाई	चौड़ाई	द्रव की गहराई (सफाई अंतराल)
1	2	3	4
	मीटर	मीटर	मीटर
			दो वर्ष
5	1.5	0.75	1.05
10	2	0.90	1.40
15	2	0.90	2.00
20	2.3	1.10	1.80

नोट 1– सेप्टिक टैंक का आकार कुछ अनुमानों (तरल प्रवाह) पर आधारित होता है, सेप्टिक टैंक के आकार का चयन करते समय सटीक गणना की जानी चाहिये। इस बारे में जानकारी के लिये, कृपया बीआईएस 2470 (भाग 1), 1985 देखें।

नोट 2– फ्री बोर्ड के लिए 300 मिमी का प्रावधान रखना चाहिये।

स्रोत– सीवरेज और मल-जल उपचार पर मैनुअल-भाग एः इंजीनियरिंग। सीपीएचईईओ, 2012

सेप्टिक टैंक की क्षमता–

टैंक की क्षमता फीकल स्लज निकासी की अवधि को समझने में उपयोगी होती है, सेप्टिक टैंक की क्षमता मापने में निम्नलिखित प्रमुख बिन्दुओं से है :

- अवसादन (सेडीमेंटेशन) : निलम्बित ठोस पदार्थों के पर्याप्त अवसादन के लिए प्रत्येक 10 ली/मिनट की पीक दर से प्रवाह के लिये 0.92 वर्ग मीटर क्षेत्रफल की आवश्यकता होती है। आम तौर पर, अवसादन क्षेत्र की गहराई 0.3 मीटर होती है।
- फीकल स्लज डाइजेशनः डेऐजेशन जोन की क्षमता प्रति कैपिटा 0.032 होनी चाहिये ।

- फीकल स्लज और मल भण्डारणः फीकल स्लज सफाई के 1 साल के अंतराल के लिये, एक फीकल स्लज भण्डारण क्षमता $0.0002*365=0.073m^3$/ कैपिटा की आवश्यकता होती है।
- फ्री बोर्डः कम से कम 0.3 मी.

सेप्टिक टैंक का मानक डिजाइन–

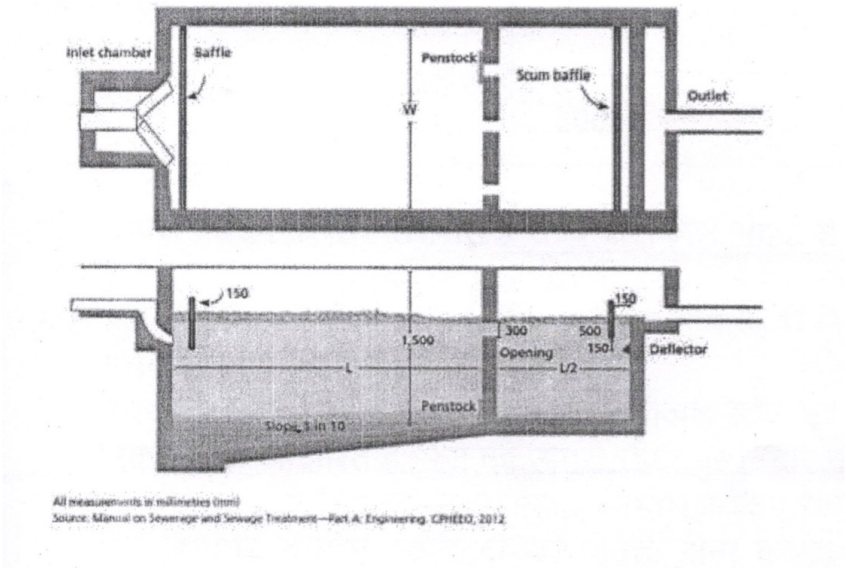

परिशिष्ट-2

(खण्ड 14 (i) और 5 (iii) देखें)

नगर पालिका परिषद सुलतानपुर में फीकल स्लज निकासी और सेप्टेज की ढुलाई सेवा के लिए उपयोगकर्ता शुल्क (यूजर फीस) की सूची (अनुमानित)

क्र0 सं0	श्रेणी (प्रकार)	शुल्क की सीमा प्रथम ट्रिप	शुल्क की सीमा द्वितीय ट्रिप, तृतीय ट्रिप एवं अन्य ट्रिप
1	2	3	4
		रु0	रु0
	मिनी टैंकर (500 लीटर)	**1,000/–**	**500/–**
01	क– आवासीय भवन (कच्चा/पक्का)		
	ख– व्यवसायिक प्रतिष्ठान व सभी प्रकार के भवनों के लिए	**1,000/–**	**500/–**
	सेक्शन मशीन (3000/4000 लीटर)	**2,500/–**	**2,000/–**
02	क– आवासीय भवन (निजी/सरकारी)		
	ख– होटलों/बड़े प्रतिष्ठानों के लिए	**3,000/–**	**2,500/–**

स्रोत– सेप्टेज प्रबन्धन के लिए उत्तराखण्ड राज्य प्रोटोकॉल 2022 से एक संदर्भ लिया गया है।

नोट–1– उपयोगकर्ता शुल्क (यूजर फीस) की इन सीमाओं में निकाय द्वारा समय-समय पर संशोधन किया जा सकता है।

2– उपरोक्त श्रेणियाँ प्रति 500 से 400 लीटर फीकल स्लज एवं सेप्टेज सेप्टेज की निकासी पर आधारित हैं। रेंज की ऊपरी सीमा पर विचार करना चाहिये जब अन्य कचरे (पॉलीबैग की उच्च संख्या, निस्तारण किए गए कपड़े, सैनिटरी पैड, डायपर, कन्डोम, प्लास्टिक की बोतलें, अन्य कचरे) को भी व्यापक तरीके से डाला गया हो।

परिशिष्ट-3

(खण्ड 7 (vii) देखें)

बचाव उपस्कर और सुरक्षा उपकरण

कार्य स्थल पर निम्नलिखित बचाव उपस्कर और सुरक्षा उपकरण उपलब्ध होने चाहिये–

(i) शरीर के सुरक्षा वस्त्र मुख्य रूप से पॉलिस्टर से बने होते हैं, जो रिफ्लेक्टिव होते हैं और रासायन गिरने से शरीर की रक्षा करते हैं

(ii) शरीर की रक्षा सज्जा सुरक्षा बेल्ट

(iii) सर्जिकल फेस मास्क रेस्पिरेटर जो धूल, धुएं, धुंध और जीवाणुओं आदि से बचाता है

(iv) सेफ्टी टॉर्च

(v) भारी रसायन प्रतिरोधी दस्ताने जो यांत्रिक बचाव और खतरनाक सामग्री के छलक कर गिरने से अतिरिक्त सुरक्षा देते हैं और ब्यूटाइल के बने होते हैं।

(vi) संक्रामक पदार्थों को आंखों में जाने से रोकने के लिए रासायनिक छींटे झेलने की क्षमता वाले सेफ्टी गॉगल्स।

(vii) टॉर्च के साथ लगे सेफ्टी हेलमेट (कॉर्डेड) जो अंधेरे में काम करने के लिए मददगार होता है।

(viii) दुबारा इस्तेमाल होने वाला इयरप्लग, जो एक लचीले बैंड से अच्छी तरह जुड़ा होता है जिसे जरूरत न होने पर गर्दन के चारों ओर पहना जा सकता है। ये सिलिकॉन के बने होने चाहिये और वैक्यूम टैंकरों के आस-पास उपयोगी होते हैं जहां औसत ध्वनि स्तर 85dba से अधिक होता है।

(ix) आपातकालीन मेडिकल ऑक्सीजन पुनर्जीवन किट Q

(x) गैस मॉनीटर

(xi) हेड लैंप

(xii) गाइड पाइप सेट

(xiii) सेफ्टी ट्राइपॉड सेट

(xiv) वेडर बूट

(xv) एयर कंप्रेसर और ब्लोअर

(xvi) मॉड्यूलर एयरलाइंस सप्लाई ट्रॉली सिस्टम

(xvii) रेनकोट

परिशिष्ट–4

(खण्ड 6 (iii) और 8 देखें)

नगर निगम/नगर पालिका परिषद .....

Registration form for Private Desludging Operator

फॉर्म 1– निकाय नगर पालिका परिषद सुलतानपुर में फीकल स्लज एवं सेप्टेज के संग्रहण, परिवहन और निपटान के लिए लाइसेंस आवेदन-पत्र

1. आवेदक का नाम (श्री/सुश्री: _____

2. पता: _____

3. पंजीकृत कार्यालय का पता _____

4. टेलीफोन नम्बर (कार्यालय) _____

5. (मो.) _____ ईमेल आईडी: _____

6.

12						
क्र0 सं0	**वाहन का रजिस्ट्रेशन नम्बर**	**वाहनों का प्रकार (ट्रैक्टर माउंटेड या ट्रक माउंटेड)**	**प्रति रूप (माडल संख्या)**	**वैक्यूम टैंकरों/टैंकर की क्षमता (लीटर में)**	**बीमा किस तारीख तक वैध है**	**टिप्पणी**
1						
2						
3						
4						

7. लाइसेंस की प्रॉसेसिंग फीस के भुगतान का विवरण,

   नकद _____

   (रसीद संख्या)

8. संलग्न प्रलेखों की सूची (स्व-प्रमाणित प्रति) (हां/नहीं)

दस्तावेज के प्रकार	**हाँ/नहीं**	**दस्तावेज के प्रकार**	**हाँ/नहीं**	**दस्तावेज के प्रकार**	**हाँ/नहीं**
पहचान प्रमाण		पता प्रमाण		कर्मचारियों की सूची	
पंजीकरण प्रमाण-पत्र		फिटनेस सर्टिफिकेट		बीमा और पालिसी अनुसूची के प्रमाण-पत्र	
प्रदूषण प्रमाण-पत्र		ड्राइविंग लाइसेन्स		पासपोर्ट साइज फोटो	

अनुलग्नकों की कुल संख्या–

मैं/हम प्रमाणित करते हैं कि मेरे/हमारे द्वारा कॉलम 1 से 8 में दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य है। मैं यह भी प्रमाणित करता हूं कि मैंने संलग्न नियमों और शर्तों को पढ़ और समझ लिया है और उनका पालन करने के लिए सहमत हूं। मैं सहमत हूं कि यदि मेरे द्वारा दी गई कोई भी जानकारी गलत पाई जाती है तो लाइसेंस के लिए आवेदन किसी भी समय रद्द करने के लिए उत्तरदायी रहूँगा।

आवेदक के हस्ताक्षर

दिनांक :.....

नियम और शर्तें–

1. फीकल स्लज एवं सेप्टेज को केवल एक यूएलबी द्वारा जारी लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर द्वारा ही संग्रहीत किया जायेगा और ढुलाई की जायेगी।

2. निर्दिष्ट उपचार संयन्त्र तक फीकल स्लज एवं सेप्टेज के संग्रह और ढुलाई के लिए शुल्क यूएलबी द्वारा समय–समय पर निर्धारित किया जायेगा। कोई भी अनुज्ञप्तिधारी ऑपरेटर घर/सम्पत्ति के मालिक से निर्धारित शुल्क से अधिक कोई राशि नहीं वसूलेगा।

3. फीकल स्लज एवं सेप्टेज की ढुलाई यूएलबी द्वारा इस प्रयोजन के लिए अनुमोदित वाहनों द्वारा ही किया जायेगा।

4. लाइसेंसधारी ऑपरेटर यह सुनिश्चित करेगा कि संग्रह स्थल से निर्दिष्ट उपचार संयन्त्र तक ढुलाई के दौरान फीकल स्लज एवं सेप्टेज का कोई रिसाव न हो।

5. फीकल स्लज एवं सेप्टेज ले जाने वाला वाहन सन्चालन के दौरान किसी भी आकस्मिक छलकाव के कारण पर्यावरण के लिए किसी भी खतरे से बचने के लिए पर्याप्त रूप से सुसज्जित होना चाहिये।

6. अनुज्ञप्तिधारी केवल निर्दिष्ट शोधन संयन्त्र में ही फीकल स्लज एवं सेप्टेज का निपटान करेगा।

7. फीकल स्लज एवं सेप्टेज के परिवहन के लिए उपयोग किये जाने वाले वाहन पर लाइसेंस की एक प्रति प्रमुखता से प्रदर्शित की जायेगी।

8. वाहन टैंकर कर को पीले रंग से पेंट किया जायेगा जिस पर लाल रंग में सावधानी के साथ Septik Tank Waste (अंग्रेजी में) और "मलकुण्ड अपशिष्ट" (हिंदी में) लिखा होगा।

9. निर्दिष्ट उपचार संयंत्र सप्ताह में 06 दिनों पर 09:00 am से 06:00 pm तक फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्राप्त करेगा। ऑपरेटरों को तदनुसार अपने डीस्लजिंग संचालन की योजना बनानी चाहिये।

10. प्रभावी सफाई सेवायें प्रदान करने और व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों का उपयोग सुनिश्चित करने के लिए तैनात कर्मचारियों के नियमित प्रशिक्षण के लिए लाइसेंसधारी जिम्मेदार होगा।

11. उपरोक्त बिंदुओं में से किसी के उल्लंघन के मामले में, लाइसेंस रद्द करने के लिए उत्तरदायी होगा, लाइसेंसधारक की सुरक्षा जब्त कर ली जायेगी और वह इन विनियमों के उल्लंघन के लिए निर्धारित दण्ड का भुगतान करने के लिए भी उत्तरदायी होगा।

परिशिष्ट–5

खण्ड 6 (v) और 8 देखें

लाइसेंस प्रारूप

नगर निगम/नगर पालिका परिषद

फॉर्म 2– फीकल स्लज एवं सेप्टेज के संग्रहण, ढुलाई और निस्तारण हेतु लाइसेंस प्रदान करना

नगर पालिका परिषद सुलतानपुर में फीकल स्लज एवं सेप्टेज मल-कीचड़ और सेप्टेज के संग्रहण, ढुलाई और निस्तारण के लिए लाइसेंस

इसके द्वारा अनुमति दी जाती है :

1. आवेदक का नामः (श्री/सुश्री) _____

2. पत्राचार का पताः _____

3. निकाय (नगर निगम/नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत) का नाम) में फीकल स्लज /सेप्टेज प्रबन्धन सेवायें प्रदान करने के लिए लाइसेंस संख्याः_____

4. मान्यता _____ से _____ तक

5. वाहन (वाहनों) का रजिस्ट्रेशन नम्बर (i) _____ (ii) _____

(iii) _____ (iv) _____

लाइसेंस, लाइसेंस धारक द्वारा पिछले पृष्ठ में बताई गई शर्तों के अनुपालन के अधीन होगा।

जारी करने वाले प्राधिकारी के हस्ताक्षर

नियम और शर्तें–

1. फीकल स्लज एवं सेप्टेज को केवल एक यूएलबी द्वारा जारी लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर द्वारा ही संग्रहीत किया जायेगा और ढुलाई की जायेगी।

2. निर्दिष्ट उपचार संयन्त्र तक फीकल स्लज एवं सेप्टेज के संग्रह और ढुलाई के लिए शुल्क यूएलबी द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जायेगा। कोई भी अनुज्ञप्तिधारी ऑपरेटर घर/संपत्ति के मालिक से निर्धारित शुल्क से अधिक कोई राशि नहीं वसूलेगा।

3. फीकल स्लज एवं सेप्टेज की ढुलाई यूएलबी द्वारा इस प्रयोजन के लिए अनुमोदित वाहनों द्वारा ही किया जायेगा।

4. लाइसेंसधारी ऑपरेटर यह सुनिश्चित करेगा कि संग्रह स्थल से निर्दिष्ट उपचार संयन्त्र तक ढुलाई के दौरान फीकल स्लज एवं सेप्टेज का कोई रिसाव न हो।

5. फीकल स्लज एवं सेप्टेज ले जाने वाला वाहन सन्चालन के दौरान किसी भी आकस्मिक छलकाव के कारण पर्यावरण के लिए किसी भी खतरे से बचने के लिए पर्याप्त रूप से सुसज्जित होना चाहिये।

6. अनुज्ञप्तिधारी केवल निर्दिष्ट शोधन संयन्त्र में ही फीकल स्लज एवं सेप्टेज का निपटान करेगा।

7. फीकल स्लज एवं सेप्टेज के परिवहन के लिए उपयोग किये जाने वाले वाहन पर लाइसेंस की एक प्रति प्रमुखता से प्रदर्शित की जायेगी।

8. वाहन टैंकर कर को पीले रंग से पेंट किया जायेगा जिस पर लाल-रंग में सावधानी के साथ Septik Tank Waste (अंग्रेजी में) और "मलकुण्ड अपशिष्ट" (हिंदी में) लिखा होगा।

9. निर्दिष्ट उपचार संयन्त्र सप्ताह में 06 दिनों पर 09:00 am से 06:00 pm तक फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्राप्त करेगा। ऑपरेटरों को तदनुसार अपने डीस्लजिंग संचालन की योजना बनानी चाहिए।

10. प्रभावी सफाई सेवायें प्रदान करने और व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों का उपयोग सुनिश्चित करने के लिए तैनात कर्मचारियों के नियमित प्रशिक्षण के लिए लाइसेंसधारी जिम्मेदार होगा।

11. उपरोक्त बिन्दुओं में से किसी के उल्लंघन के मामले में, लाइसेंस रद्द करने के लिए उत्तरदायी होगा, लाइसेंस धारक की सुरक्षा जब्त कर ली जायेगी और वह इन विनियमों के उल्लंघन के लिए निर्धारित दण्ड का भुगतान करने के लिए भी उत्तरदायी होगा।

परिशिष्ट-6

(खण्ड 13 (ii), 20 (ii) देखें)

फीकल स्लज एवं सेप्टेज के संग्रह, परिवहन और निपटान का रिकॉर्ड

फॉर्म 3– फीकल स्लज एवं सेप्टेज के संग्रह, परिवहन और निपटान का रिकॉर्ड

नगर पालिका परिषद सुलतानपुर में मल कीचड़ और सेप्टेज के संग्रह, परिवहन और निपटान का रिकॉर्ड बनाए रखने के लिए

दिनांक ..... समय .....

I. ऑनसाइट सिस्टम के मालिक का विवरण

1. नाम .....

2.पता .....

(क) वार्ड संख्या .....

(क) टेलीफोन नं.....

II. रोकथाम

1. निर्माण का वर्ष .....

2. पिछला कीचड़ निकालना (MM/YYYY) .....

3. आउटलेट मौजूद (हां/नहीं) .....

4. यदि हां, तो किससे जुड़ा है .....

5. रोकथाम के प्रकार (चेकबॉक्स में उपयुक्त विकल्प चुनें)

रोकथाम के प्रकार	सही करें	रोकथाम के प्रकार	सही करें
सेप्टिक टैंक ट्विन		ट्विन पिट (पंक्तिबध)	
संग्रह टैंक		ट्विन पिट (अनलाइन्ड)	
सोख्ता गढ्ढे के साथ सेप्टिक टैंक		पूरी तरह से अटे टैंक	
सिंगल पिट (लाइनेड)		सिंगल पिट (अनलाइन)	

6. रोकथाम का आकार और आकार नियंत्रण का प्रकार नियंत्रण का प्रकार टिक करें

7. संपत्ति के भीतर रोकथाम का स्थान (चेकबॉक्स में नीचे उपयुक्त विकल्प चुनें)

घर में स्थान	सही करें	घर में स्थान	सही करें
घर के पिछले हिस्से में		एक कमरे के फर्श के नीचे	
घर के सामने की तरफ		अन्य	

III. कीचड़ साफ करना–

1. फीकल स्लज एवं सेप्टेज की मात्रा (लीटर) .....

2. कीचड़ निकालने में लगने वाला समय .....

3. ट्रिप की लंबाई (किमी) .....

4. आने-जाने में समय .....

IV. कीचड़ साफ करने वाले सेवा प्रदाता का विवरण

ऑपरेटर का नाम .....

ड्यूटी पर खाली स्टाफ FSSTP ऑपरेटर .....

ड्यूटी पर टेंक सफाई स्टाफ के हस्ताक्षर उपचार सुविधा ऑपरेटर का हस्ताक्षर

परिशिष्ट–7

(खण्ड 21 (i) और 27 (ii) देखें)

होस्ट यूएलबी तथा बिना उपचार संयन्त्र वाले निकाय के बीच समझौता ज्ञापन प्रारूप

फॉर्म 4– "होस्ट यूएलबी" पर उपलब्ध "उपचार संयन्त्र" में फीकल स्लज एवं सेप्टेज के सुरक्षित निस्तारण की अनुमति के लिए समझौता ज्ञापन।

होस्ट निकाय के उपचार संयंत्र पर फीकल स्लज एवं सेप्टेज के सुरक्षित निस्तारण की अनुमति हेतु निकाय (नगर निगम/नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत) और होस्ट निकाय (नगर पालिका परिषद सुलतानपुर) के बीच समझौता ज्ञापन के लिए फॉर्म फीकल स्लज एवं सेप्टेज एवं सेप्टेज प्रबन्धन के तहत, एक्सवाईजेड निकाय (संपर्क करने वाले निकायका नाम) की प्रशासनिक सीमाओं के भीतर घरों, सार्वजनिक/सामुदायिक शौचालयों के नियंत्रण से आने वाले फीकल स्लज एवं सेप्टेज और सेप्टेज (फीकल स्लज एवं सेप्टेज) के सुरक्षित निस्तारण हेतु जरूरी शर्तें पूरा करने के लिए, "होस्ट यूएलबी" (नगर पालिका परिषद सुलतानपुर) के प्रशासन के तहत "उपचार संयन्त्र" पर, समझौता।

प्रथम पक्ष "होस्ट यूएलबी" (नगर पालिका परिषद सुलतानपुर)

द्वितीय पक्ष "एक्सवायजेड यूएलबी" (संपर्क करने वाले निकाय का नाम)

उपबन्ध–

1– यह कि "प्रथम पक्ष" दिनांक दिन/महीना/वर्ष (प्रारंभ तारीख) से दिनध्महीनाध्वर्ष (प्रारंभ तारीख) तक "द्वितीय पक्ष" की प्रशासनिक सीमाओं से उनके "उपचार संयन्त्र" पर आने वाले फीकल स्लज एवं सेप्टेज के सुरक्षित निस्तारण की अनुमति देगा। /वर्ष (अंतिम तिथि)

2– "प्रथम पक्ष " अपने प्रशासनिक क्षेत्र से आने वाले भार से समझौता करने से बचने के लिए अपने "उपचार संयंत्र" पर फीकल स्लज एवं सेप्टेज की दैनिक अनुमत मात्रा की जानकारी देगा।

3– यह कि "द्वितीय पक्ष" समझ के अनुसार "प्रथम पक्ष" को फीकल स्लज एवं सेप्टेज के निस्तारण के प्रति खेप टिपिंग शुल्क के रूप में . ..... देने के लिए सहमत है।

4– यह कि "प्रथम पक्ष" उपचार सुविधा के संचालन का समय, अनुमत पहुंच मार्ग, फीकल स्लज एवं सेप्टेज की अनुमत मात्रा, उपचार सुविधा का रख-रखाव बन्द आदि आवश्यक विवरण समय-समय पर साझा करेगा।

5– कि उपरोक्त कार्यों को करते समय बीच में आने वाली किसी भी कठिनाई को दोनों पक्ष मिलकर सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझायें।

6– कि "द्वितीय पक्ष" केवल लाइसेंसधारी फीकल स्लज निकासी ऑपरेटर को प्रथम पक्ष की उपचार सुविधा पर फीकल स्लज एवं सेप्टेज के निस्तारण की अनुमति देगा।

7– प्रथम पक्ष उपचार सुविधा में उनके लाइसेंस पर "द्वितीय पक्ष" की मुहर के साथ लाइसेंसधारी ऑपरेटर का प्रवेश सुनिश्चित करेगी।

प्रथम	द्वितीय पक्ष
नगर आयुक्त/अधिशाशी अधिकारी का हस्ताक्षर	नगर आयुक्त/अधिशाशी अधिकारी का हस्ताक्षर

परिशिष्ट-8

जुर्माना और फाइन

क्र0 सं0	विवरण	खण्ड संख्या	सांकेतिक फाइन सीमा	जुर्माना अन्य पीनल एक्शन में
1	2	3	4	5
			रु0	रु0
1.1	नाला/सड़के/खुले क्षेत्र में अपशिष्ट जल का सीधा/असुरक्षित प्रवाह	3	50–100	
1.2	लगातार उल्लंघन का दूसरा मामला	3	50–100	
1.3	लगातार उल्लंघन का तीसरा मामला	3	10–15 प्रतिदिन	सम्पत्ति की जब्ती
2.1	ओएसएस का अवैज्ञानिक डिजाइन और निर्माण	5	100–150	
2.2	लगातार उल्लंघन का दूसरा मामला	5	100–150	
2.3	लगातार उल्लंघन का तीसरा मामला	5	10–15 प्रतिदिन	सम्पत्ति की जब्ती
3.1	बिना निकाय पंजीकरण के वैक्यूम टैंकर परिचालित करना	6	50–100	
3.2	लगातार उल्लंघन का दूसरा मामला	6	50–100	
3.3	लगातार उल्लंघन का तीसरा मामला	6	150–200 प्रतिदिन	वाहन की जब्ती
4.1	आकस्मिक बिखराव में भाग लेने के लिए गैर अनुपालन	16,17	1000–1500	
4.2	लगातार उल्लंघन का दूसरा मामला	16, 17	1,000–1500	
4.3	लगातार उल्लंघन का तीसरा मामला	16, 17	300 प्रतिदिन	वाहन की जब्ती
5.1	एसटीपी से अनुपचारित FSS प्रवाहित करना	27, 28, 33	5,000–10000	
5.2	लगातार उल्लंघन का दूसरा मामला	27, 28, 33	5,000–10000	
5.3	लगातार उल्लंघन का तीसरा मामला	27, 28, 33	1,000–1,500 प्रतिदिन	सम्पत्ति की जब्ती
6.1	निकाय द्वारा अधिसूचित स्थल के अलावा अन्य स्थल पर अनुपचारित फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रवाहित करना	6, 7, 14, 27, 28, 29	5,000–1,000	
6.2	लगातार उल्लंघन का दूसरा मामला	6, 7, 14, 27, 28, 29	5,000–1,000	
6.3	लगातार उल्लंघन का तीसरा मामला	6, 7, 14, 27, 28, 29	1,500–2,000 प्रतिदिन	वाहन की जब्ती

नोट– जुर्माने और जुर्माने की उपरोक्त तालिका पर नगर स्वच्छता समिति के सदस्यों के बीच पहले चर्चा की जानी चाहिये। शहर में यूएलबी जिस स्तर की सख्ती का पालन करना चाहता है, उसके आधार पर इसे समय-समय पर संशोधित भी किया जा सकता है।

परिशिष्ट–9

अपील हेतु ज्ञापन

(खण्ड 37 देखें)

फॉर्म 5 अपेलेट बॉडी के पास अपील हेतु ज्ञापन, अपेलेट बॉडी के पास अपील हेतु ज्ञापन का फॉर्म, "अपीली प्राधिकार के पास ..... (पदनाम)

1. आवेदक का पूरा नाम .....
2. आवेदक का पता .....
3. नगर पालिका अधिकारी का विवरण जिसके आदेश के विरुद्ध अपील की गई

नामः .....

4. उस आदेश के प्राप्त करने की तारीख जिसके विरुद्ध अपील की गईः .....
5. अपील दायर करने की तारीख .....
6. सूचना विवरण

(क) संक्षेप में अपील की विषय-वस्तु (जिस आदेश के विरूद्ध अपील की गई है उसकी प्रति संलग्न करें)

.....

.....

.....

(ख) अपील का आधार (इनमें से किसी का विवरण अलग शीट में संलग्न किया जाना है)

.....

.....

सत्यापन

मैं, ... (अपीलकर्ता का नाम) पुत्र/पुत्री/पत्नी ..... एतदद्वारा घोषित करता/करती हूँ कि अपील में दिये गये विवरण मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही हैं और मैंने किसी भी तथ्य को छुपाया नहीं है।

अपीलकर्ता का हस्ताक्षर

स्थानः ..... तिथि .....

अनुलग्नक के रूप में जमा किये गये प्रलेख :

1. .....
2. .....

..... यहाँ फाड़ें .....

पावती

संख्या ..... तिथिः .....

अनुलग्नक फॉर्म के साथ प्राप्त अपील ज्ञापन .....

स्थानः ..... तिथि .....

अधिकृत अधिकारी की मुहर और हस्ताक्षर

आदेश से (नगर निगम/नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत का नाम)

(नगर आयुक्त/अधिशासी अधिकारी की मुहर एवं हस्ताक्षर)

(नगर निगम/नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत का नाम)

अधिशासी अधिकारी

नगर पालिका परिषद,

सुलतानपुर।

कार्यालय, नगर निगम बरेली

11 जुलाई, 2025 ई0

सं0 816/वि0वि0/प्र0वि0/2025-26—उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-2 सन् 1959) की धारा 305, 306 एवं 452 एवं 541(48) में प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत् नगर निगम बरेली सीमा क्षेत्र में लगे आकाश चिन्ह विज्ञापनों का विनियमन और नियंत्रण एवं अनुज्ञाप्ति शुल्क वसूली हेतु नगर निगम अधिनियम की धारा 542 के अन्तर्गत् प्रस्तावित "नगर निगम बरेली (आकाश चिन्ह विज्ञापनों का विनियमन और नियंत्रण एवं अनुज्ञप्ति शुल्क निर्धारण और वसूली) उपविधि 2020" का निम्नानुसार पांडुलिप तैयार कर उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 542 के अर्न्तगत् निगम के विचारोपरान्त नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 543 के अर्न्तगत् जन सामान्य से प्रस्तावित उपविधि पर आपत्तियां आमंत्रित की जानी है, अतः जिस किसी को इस प्रस्तावित उपविधि पर आपत्ति/सुझाव प्रस्तुत करने हो वे प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के अन्दर नगर आयुक्त बरेली को लिखित रूप में प्राप्त करा सकते है।

"नगर निगम, बरेली (आकाश चिन्ह, विज्ञापनों का विनियमन और नियंत्रण एवं अनुज्ञप्ति शुल्क निर्धारण और वसूली) उपविधि 2020"

1. संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारम्भ—(1) यह उपविधि "नगर निगम, बरेली (विज्ञापन पर अनुज्ञा शुल्क का निर्धारण और वसूली) उपविधि 2020" कही जायेगी।

(2) इसका विस्तार नगर निगम, बरेली के सम्पूर्ण क्षेत्र में होगा।

(3) यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

2. परिभाषायें—(1) जब तक विषय या संदर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो इस उपविधि में—

(एक) अधिनियम से तात्पर्य उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 से है।

(दो) "विज्ञापनकर्ता" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से जिसे इस उपविधि के अधीन कोई विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट परिनिर्मित करने, प्रदर्शित करने, संप्रदर्शित करने, लगाने, चिपकाने, लिखने, चित्रित करने या लटकाने के लिए लिखित अनुमति प्रदान की गयी हो, और ऐसे व्यक्ति मे उसका अभिकर्ता प्रतिनिधि या सेवक सम्मिलित है और भूमि तथा भवन का स्वामी भी सम्मिलित है।

(तीन) "विज्ञापन प्रतीक" का तात्पर्य विज्ञापन के प्रयोजनों के लिये या तत्संबंध में सूचना देने के लिए या जनता को किसी स्थान, व्यक्ति लोक निष्पादन, वस्तु या वाणिज्यिक माल, जो भी हो, के प्रति आकर्षित करने के लिए किसी सतह या संरचना से है जिसमें ऐसे प्रतीक अक्षर या दृष्टांत अनुप्रयुक्त हों, और जो द्वारों के बाहर किसी भी रीति जो भी हो, से संप्रदर्शित हो, और उक्त सतह या संरचना या किसी भवन से संलग्न हो, उसका भाग हो या उससे संयोजित हो, या जो किसी वृक्ष या भूमि या किसी खम्भों, स्क्रीन बाड़ या विज्ञापन पटट् से जुडी हो या जो खाली स्थान पर संप्रदर्शित हो।

(चार) "गुब्बारा" का तात्पर्य गैस से भरे हुए ऐसे किसी गुब्बारे से है जो भूमि पर किसी बिन्दु से बंधा हो और कपड़े आदि के किसी फरहरे से या उसके बिना हवा में लहरा रहा हो।

(पांच) "पताका" (बैनर) का तात्पर्य ऐसी किसी नम्य आधार से है जिस पर कोई प्रतिकृति या चित्र संप्रदर्शित किये जा सकते है।

(छः) "पताका विज्ञापन" का तात्पर्य किसी प्रतीक से है जो अपने संप्रदर्शन की सतह के रूप में किसी पताका का उपयोग कर रहा हो।

(सात)"चिन्हित स्थल" का तात्पर्य नगर आयुक्त के अनुमोदन के पश्चात तैयार किये गये ब्लू प्रिन्ट से है।

(आठ) "निगम" का तात्पर्य नगर निगम, बरेली से है।

(नौ) "विद्युतीय प्रतीक" का तात्पर्य ऐसे विज्ञापन प्रतीक से है जिसमें विद्युतीय साज–सज्जे, जो प्रतीकों के महत्वपूर्ण अंग है, प्रयुक्त किये जाते है।

(दस) "गैन्ट्री विज्ञापन" का तात्पर्य सड़क के दोनो ओर लोहे का मजबूत पिलर गाड़कर उसके ऊपर न्यूनतम निर्दिष्ट ऊँचाई पर आयताकार विज्ञापन प्रतीक से है।

(ग्यारह) "भू–विज्ञापन" का तात्पर्य ऐसे विज्ञापन प्रतीक से है जो किसी भवन से लगा हुआ न हो, और जो भूमि पर या किसी खम्भें, स्क्रीन, बाडा या विज्ञापन पट्ट पर परिनिर्मित या चित्रित हो और जनता के लिये दृश्य हो।

(बारह) "प्रदीप्त प्रतीक" का तात्पर्य ऐसे विज्ञापन प्रतीक से है जो स्थायी या अन्यथा हो और किसी कार्यप्रणाली प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रकाश द्वारा उसे प्रदीप्त किये जाने पर आधारित हो।

(तेरह) "शामियाना विज्ञापन" का तात्पर्य ऐसे किसी विज्ञापन प्रतीक से है जो किसी शामियाना वितान या ऐसी अन्य आच्छादित संरचना से सम्बद्ध हो या उससे टंगा हुआ हो जो किसी भवन से बाहर निकला हुआ हो और उससे अवलम्बित हो तथा जो भवन की दीवार एवं भवन की सीमा रेखा से बाहर की ओर हो और अस्थायी रूप से संप्रदर्शित किया गया हो।

(चौदह) "प्रक्षेपित प्रतीक" का तात्पर्य ऐसे किसी विज्ञापन प्रतीक से है जो किसी भवन से लगा हुआ हो और उससे 300 मिलीमीटर से अधिक बाहर की ओर हो।

(पन्द्रह) "मार्ग अधिकार" का तात्पर्य सड़क के प्रयोजनार्थ सुरक्षित और संरक्षित भूमि की चौड़ाई से है।

(सोलह) "छत विज्ञापन" का तात्पर्य ऐसे विज्ञापन से है जो किसी भवन की प्राचीर या छत के किसी भाग पर या उसके ऊपर निर्मित हों या रखा गया है जिसमें किसी भवन की छत पर चित्रित विज्ञापन सम्मिलित है।

(सत्रह) "अनुसूची" का तात्पर्य इस उपविधि में संलग्न अनुसूची से है।

(अठारह) "बस सायबानों (शेल्टर) पर विज्ञापन" का तात्पर्य किसी बस संचालन के अधीन बस सायबान के ऊपर अथवा भीतर की ओर से प्रकाशित किये गये, टागें गये, अथवा चित्रित किये गये विज्ञापन प्रतीक से है।

(उन्नीस) "पुष्प पात्र (प्लावर पॉट) स्टैण्ड विज्ञापन" का तात्पर्य शहर के अनुमन्य डिवाइडरों पर अथवा सड़क/फुटपाथ के अन्तिम छोर पर पर्यावरण की दृष्टिकोण से अनुकूल मौसमी पौधे पलावर पॉट स्टैण्ड पर अनुमन्य/विहित आकार का विज्ञापन पट्ट लगाने के पश्चात् लगाये जाने से है।

(बीस) "जनसुविधा स्थान पर विज्ञापन" का तात्पर्य ऐसे विज्ञापन से है जो किसी जनसुविधा स्थान के ऊपर/पास अथवा उसके भीतर किसी भी रीति से लगाये गये विज्ञापन से है।

(इक्कीस) "ट्रैफिक/पुलिस बूथ अथवा ट्रैफिक लाईलैण्ड पर विज्ञापन" का तात्पर्य ऐसे विज्ञापन प्रतीक से है जो किसी ट्रैफिक/पुलिस बूथ अथवा ट्रैफिक आईलैण्ड के ऊपर अथवा उसके चारों ओर लगाया/लटकाया/चित्रित किया जाए।

(बाइस) "प्रतीक संरचना" का तात्पर्य किसी ऐसी संरचना से है जिसमें कोई प्रतीक अवलम्बित हो।

(तेइस) "अस्थायी विज्ञापन" का तात्पर्य अवकाश दिवसों या लोक प्रदर्शनों हेतु अलंकारिक प्रदर्शनों सहित, किसी सीमित अवधि के प्रदर्शन के लिये बांछित किसी विज्ञापन प्रतीक, झण्डा या वस्त्र, कैनवेस, कपड़े या किसी संरचनात्मक ढांचा से या उसके बिना किसी अन्य हल्की सामग्री से निर्मित अन्य विज्ञापन युक्ति से है।

(चौबीस) "अनुज्ञा शुल्क" का तात्पर्य अधिनियम की धारा–541 की उपधारा–48 के निर्दिष्ट विज्ञापन अनुज्ञा शुल्क से है।

(पच्चीस) "ट्री गार्ड विज्ञापन" का तात्पर्य अनुमन्य डिवाइडरों पर अथवा सड़क/फुटपाथ के अन्तिम छोर पर पर्यावरण के दृष्टिकोण से अनुकूल पौधे लगाने के पश्चात् ट्री गार्ड पर अनुमन्य/विहित आकार के संप्रदर्शित विज्ञापन प्रतीक से है।

(छब्बीस) "बरांडा प्रतीक" का तात्पर्य किसी बरांडा से सम्बद्ध, उससे संयोजित या उससे टांगे गये विज्ञापन से है।

(2) इस उपविधि में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित और अधिनियम में परिभाषित शब्दों और पदों के वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में उनके लिए समनुदेशित है।

3–स्थल चयन के लिये समिति का गठन–(1) नगर आयुक्त द्वारा अपर नगर आयुक्त की अध्यक्षता में मुख्य अभियन्ता एवम् विज्ञापन प्रभारी की समीति का गठन किया जायेगा जो विज्ञापन अथवा विज्ञापन पट्टक के लिये उचित और उपयुक्त स्थलों की पहचान करने के साथ साथ उनके आकार, ऊचाई और सौन्दर्यात्मक, पहलू का विनिश्चय करेंगी। जोकि स्थलों का चयन कर सूची नगर आयुक्त को प्रस्तुत करेंगी।

(2) समिति द्वारा परिलक्षित स्थलो पर अनुज्ञा प्राप्त करने के लिये नगर आयुक्त द्वारा कम से कम दो प्रख्यात दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जायेंगे।

(3) स्थलों की पहचान और समिति की संस्तुति के पश्चात ही विज्ञापन और विज्ञापनों पटों की अनुज्ञा दी जायेगी।

4–प्रतिषेध–(1) नगर आयुक्त से पूर्व में लिखित अनुज्ञा प्राप्त किये बिना कोई व्यक्ति निगम की सीमा के भीतर किसी भवन, पुल, मार्ग, फुटपाथ, उपरिगामी सेतु या उससे संलग्न भूमि या ट्री गार्ड, नगर प्राचीर, बाउन्ड्रीवाल, नगर द्वार, विद्युत या टेलीफोन के खम्भे, चल वाहनों या किसी भी खुले स्थान पर कोई विज्ञापन या किसी प्रकार की सूचना या चित्र, जिससे किसी सामान्य प्रज्ञा वाले व्यक्ति को विज्ञापन होने का आभास हो, न तो परिनिर्मित करेगा न प्रदर्शित करेगा, न संप्रदर्शित करेगा, न चिपकायेगा न लगायेगा, न लिखेगा, न चित्रित करेगा या न लटकायेगा।

(2) निगम की सीमाओं के भीतर किसी भूमि या भवन का स्वामी, अध्यासी या अन्यथा अधिभोग करने वाला कोई व्यक्ति नगर आयुक्त की लिखित अनुज्ञा के बिना ऐसी भूमि या भवन के किसी भाग पर कोई विज्ञापन न तो परिनिर्मित करेगा, न प्रदर्शित करेगा, न सम्प्रदर्शित करेगा, न लगायेगा, न चिपकायेगा, न लिखेगा, न चित्रित करेगा, न लटकायेगा और न ही किसी अन्य व्यक्ति को ऐसे भवन या भूमि पर कोई विज्ञापन परिनिर्मित करने या लटकाने देगा, यदि ऐसा किसी सार्वजनिक स्थान या सार्वजनिक मार्ग से दृश्य हो।

(3) कोई विज्ञापन पट्ट इस रीति से प्रतिष्ठापित नहीं किया जायेगा कि यातायात के संचालन में अग्र एवं पार्श्व भाग के दर्शित होने में कोई व्यवधान हो।

5–विज्ञापन कर्ताओं का पंजीकरण एवं नवीनीकरण–(1) विज्ञापनकर्ता/विज्ञापन एजेंसियों को पंजीकरण हेतु रु० 50,000/– (पचास हजार) रू० पंजीकरण शुल्क एवं रू० 2,00,000/– (दो लाख) रू० धरोहर धनराशि जमा करना अनिवार्य होगा।

(2) पंजीकरण अनुज्ञा प्राप्त करने के लिये प्रत्येक आवेदन अनुसूची–1 में विनिर्दिष्ट विहित प्रपत्र में किया जायेगा, जिसे रू0 1000/– भुगतान करके नगर निगम के कार्यालय से प्राप्त किया जायेगा या निगम की वैवसाईट से डाउनलोड भी किया जा सकता है. तथापि आवेदन-पत्र प्रस्तुत करते समय आवेदन-पत्र के मूल्य की रसीद आवेदन-पत्र के साथ प्रस्तुत की जायेगी।

(3) अग्रिम वर्षों हेतु नवीनीकरण शुल्क रु0 10,000/– जमा कराना अनिवार्य होगा।

(4) पंजीकरण हेतु नियम व शर्ते निर्धारित करने का अधिकार नगर आयुक्त में निहित होगा।

6–अनुज्ञा प्राप्त करने की प्रकिया–(1) अनुज्ञा प्राप्त करने के लिये प्रत्येक आवेदन अनुसूची–एक में विनिर्दिष्ट विहित प्रपत्र में किया जायेगा, जिसे रू० 1000.00 का भुगतान करके नगर निगम के कार्यालय से प्राप्त किया जाएगा। आवेदन-पत्र प्रस्तुत करते समय आवेदन-पत्र के मूल्य की रसीद आवेदन-पत्र के साथ प्रस्तुत की जाएगी।

(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक आवेदन–पत्र में ऐसी भूमि, भवन या स्थान के संबंध में विस्तृत सूचना, ऐसी भूमि के स्थल नक्शा सहित निहित होगी जहाँ ऐसी भूमि, भवन या स्थान के पास प्रस्तावित विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट पर परिनिर्मित किया जाना, प्रदर्शित किया जाना, सम्प्रदर्शित किया जाना, लगाया जाना, या लटकाया जाना वांछित हो और उसमें निम्नलिखित सूचना सम्मिलित होगी।

(क) प्रत्येक भू-विज्ञापन पट्ट की भूमितल से ऊँचाई, अवस्थिति, ढांचे की बनावट आदि की विशिष्टियों को उपविधि में निर्धारित मानक के अनुरूप आवश्यक अभिकल्प संगणना आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत किया जायेगा।

(ख) पूर्ववर्ती विज्ञापनों के अतिरिक्त छत-विज्ञापनों, प्रक्षिप्त विज्ञापनों या भू-प्रतीकों के मामले में सहायक किया विधियों और स्थिरक-स्थानों के समस्त घटक और यदि नगर आयुक्त द्वारा अपेक्षित हो तो आवश्यक अभिकल्प संगणनाएं आवेदन-पत्र के साथ प्रस्तुत की जायेगी।

(ग) कोई अन्य विशिष्टियां, जो नगर आयुक्त द्वारा अपेक्षित हो।

(घ) गुब्बारा विज्ञापन के मामले में नगर आयुक्त द्वारा यथा अपेक्षित आवश्यक सूचना विज्ञापनकर्ता को उपलब्ध करायी जायेगी।

(3) यदि विज्ञापन किसी सार्वजनिक मार्ग के पार्श्व भाग पर या किसी निजी परिसर में कोई संरचना लगाकर प्रदर्शित किया जाना या संप्रदर्शित किया जाना वांछित हो तो ऐसे आवेदन–पत्र के साथ निम्नलिखित विवरण भी प्रस्तुत किये जायेंगें–

(क) विज्ञापन और प्रस्तावित संरचना के आकार का विवरण।

(ख) नगर आयुक्त द्वारा सम्यक रूप से अनुमोदित संरचना अभियन्ता से सम्बन्धित भवन की सुदृढ़ता सम्बन्धी रिपोर्ट।

(ग) भू/भवन स्वामी की सहमति का अनुबन्ध-पत्र, आवेदन, आवश्यक चित्रों और संरचना-संगणनाओं सहित नगर आयुक्त द्वारा सम्यक, रूप से अनुमोदित संरचना अभियन्ता के माध्यम से किया जायेगा। अभिकल्प संगणनाओं में लिया गया "वायुभार राष्ट्रीय भवन संहिता, 2005 के संरचना अभिकल्प, धारा-1 भार बल और प्रभाव" के भाग-4 के अनुसार होगा।

(घ) विकास प्राधिकरण/आवास विकास परिषद का अनापत्ति प्रमाण-पत्र।

(4) यदि विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट किसी निजी भूमि या भवन या निजी भवन के सामने उसके किसी भाग पर परिनिर्मित किया जाना, प्रदर्शित किया जाना, लगाया जाना, चिपकाया जाना, लिखा जाना, चित्रित किया जाना या लटकाया जाना वांछित हो और आवेदक ऐसी भूमि या भवन का स्वामी न हो तो आवेदन-पत्र में ऐसी भूमि या भवन के स्वामी की लिखित अनुज्ञा/निष्पादित अनुबन्ध की प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।

(5) उपनियम (4) में निर्दिष्ट भूमि या भवन के प्रत्येक स्वामी को लिखित रूप में वचन देना होगा कि किसी व्यक्तिक्रम की स्थिति में यह विज्ञापनकर्ता हेतु देय अनुज्ञा शुल्क का भुगतान करने के लिये स्वयं दायी होगा। नगर आयुक्त अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को विज्ञापन पट्ट हटाने हेतु परिसर में प्रवेश का अधिकार होगा।

(6) यदि भूमि का कोई स्वामी अपनी निजी भूमि पर विज्ञापन संप्रदर्शित करना चाहें तो उसे आवेदन-पत्र के साथ विस्तृत सूचना प्रस्तुत करनी होगी और इस उपविधि के अधीन अनुज्ञा लेनी होगी।

(7) यदि कोई व्यक्ति किसी ट्रीगार्ड/पलावर पॉट को परिनिर्मित करने की अनुज्ञा प्राप्त करने के पश्चात् ऐसे ट्रीगार्डो/फ्लावर पॉट पर कोई विज्ञापन प्रदर्शित या संप्रदर्शित करता है तो वह इस उपविधि के अधीन अनुज्ञा शुल्क के भुगतान करने का दायी होगा।

(8) अनुज्ञा ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुये प्रदान की जायेगी जो नगर आयुक्त द्वारा लोक सुरक्षा और शिष्टाचार के हित में अधिरोपित की जाये।

(9) प्रत्येक आवेदन-पत्र के साथ प्रस्तावित सम्पूर्ण प्रीमियम अथवा नगर आयुक्त द्वारा निर्धारित प्रथम किश्त की धनराशि जमा करने की रसीद संलग्न करनी होगी, परन्तु यह कि प्रीमियम की अवशेष धनराशि नगर आयुक्त द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर जमा करनी होगी।

7–क अनुज्ञा प्राप्त करने की शर्ते–(1) किसी विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट परिनिर्मित करने, प्रदर्शित करने, संप्रदर्शित करने, लगाने, या लटकाने की अनुज्ञा निम्नलिखित निर्वन्धन एवं शर्तों पर प्रदान की जायेगी, यह कि–

(क) अनुज्ञा केवल उस अवधि तक के लिये प्रभावी होगी जिस अवधि के लिये प्रदान की गयी हो, परन्तु यह कि अनुज्ञा शुल्क या प्रीमियम सहित अनुज्ञा शुल्क, इस उपविधि के अनुसार नगर निगम निधि में संदत्त और जमा किया गया हो।

(ख) विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट पर ऐसे रंगों और आकारों में लिखा जाएगा, चिपकाया जाएगा, समुद्धृत किया जाएगा, चित्रित किया जाएगा जैसा कि नगर आयुक्त द्वारा अनुमोदित किया जाए और विज्ञापन पट्ट चाहे भूमि पर या भवन पर प्रतिष्ठापित किया गया हो, की ऊँचाई 6.2 मीटर व चौड़ाई 12.4 मीटर से अधिक नहीं होगी। दो सन्निकट विज्ञापनों पट्टों के मध्य की दूरी 20 मीटर से कम नहीं होगी। यूनीपोल लगाये जाने की दशा में दो यूनीपोल/कैंटीलीवर के मध्य की दूरी 80 मीटर से कम नहीं होगी। विज्ञापन/विज्ञापन पट चौराहे से 40 मीटर के भीतर स्थापित नहीं किया जायेगा।

(ग) विज्ञापन या विज्ञापन पट को समुचित दशा में रखा एवं अनुरक्षित किया जाएगा।

(घ) प्रदान की गयी अनुज्ञा अन्तरणीय नहीं होगी।

(ड) विज्ञापन या विज्ञापन पट की विषय वस्तु या उसके विवरण में नगर आयुक्त की लिखित अनुज्ञा के बिना परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

(च) विज्ञापनकर्ता ऐसी अवधि, जिसके लिए अनुज्ञा दी गयी थी, की समाप्ति से एक सप्ताह के भीतर विज्ञापन को हटा देगें या उसे मिटा देंगे।

(छ) विज्ञापन बोर्ड या विज्ञापन पट्ट अनुज्ञात स्थान पर ही प्रतिष्ठापित किये जायेंगें, संप्रदर्शित किये जायेगें या परिनिर्मित किये जायेंगें।

(ज) मार्ग/फुटपाथ के लिए खुली छोडी गयी भूमि पैदल चलने वालों, साईकिल वालों आदि के लिए सुरक्षित रूप में चलने के लिये उपलब्ध रहेगी।

(झ) भवनों, यदि कोई हो, जो प्रतीकों और विज्ञापन पट्टों के समीप स्थित हो, के प्रकाश और वातायन में किसी भी रूप में बाधित नहीं होगें।

(ञ) लोकहित में नगर आयुक्त को यह अधिकार होगा कि यह अवधि समाप्त होने के पूर्व भी अनुज्ञा-पत्र को निलम्बित कर दें, जिसके पश्चात् विज्ञापनकर्ता विज्ञापन को हटा देगा।

(ट) विज्ञापनकर्ता को इस उपविधि में उल्लिखित सभी शर्तों और नगर आयुक्त, नगर निगम बरेली द्वारा समय–समय पर जारी किये गये निर्देशों का पालन करना होगा।

(ठ) विज्ञापनों से अवस्थान का कलात्मक सौन्दर्य नष्ट नहीं होना चाहिए। किसी प्रकार के विज्ञापन हेतु पर्यावरण विभाग द्वारा प्रतिबन्धित प्लास्टिक का प्रयोग निषिद्ध होगा।

(ड) भवन से सम्बन्धित विज्ञापन पट्टों से भिन्न विज्ञापन पट्ट ऐसे भवनों यथा चिकित्सालयों, शैक्षिक संस्थाओं, न्यायालयों, सार्वजनिक कार्यालयों, संग्रहालायों, धार्मिक पूजा के निमित्त अर्पित भवनों और राष्ट्रीय महत्व के भवनों के समक्ष प्रदर्शित करने की अनुज्ञा नही होगी।

(ढ) विज्ञापन पट्टों का अनुरक्षण तथा निरीक्षण उनके अवलम्ब नियम–24 के अनुसार होगें।

(ण) समस्त विज्ञापन नियम–16 "समस्त विज्ञापनों के लिये सामान्य अपेक्षाए" में दी गयी सामान्य अपेक्षाओं के अनुरूप होगें।

(त) विज्ञापनों को वृक्षों या काष्ठमय पेड–पौधों में गाड़ा, बांधा नही जायेगा।

(2) नगर आयुक्त द्वारा प्रदान की गयी लिखित अनुज्ञा तत्काल समाप्त हो जायेगी।

(क) यदि कोई विज्ञापन या उसका कोई भाग किसी दुर्घटना या किन्हीं अन्य कारण से गिर जाता है।

(ख) यदि विज्ञापन पट में कोई परिवर्द्धन, उसे सुरक्षित रखने के प्रयोजन को छोड़कर किया जाता है अथवा नगर आयुक्त की अनुमति के बिना किया जाता है।

(ग) यदि विज्ञापन पट या उसके भाग में कोई परिवर्तन किया जाता है।

(घ) यदि उस भवन या संरचनाओं मे कोई परिवर्द्धन या परिवर्तन किया जाता है जिस पर या उसके ऊपर विज्ञापन परिनिर्मित किया गया हो, और यदि ऐसे परिवर्द्धन या परिवर्तन में विज्ञापन पट या उसके किसी भाग का व्यवधान सम्मिलित हो।

(ड) यदि ऐसा भवन या संरचना, जिस पर या जिसके ऊपर विज्ञापन पट्ट परिनिर्मित, नियत या अवरूद्ध हो, भजित या नष्ट हो जाती है।

8–प्रीमियम–(1) नगर आयुक्त प्रत्येक स्थल के लिए स्थल के महत्व के अनुसार न्यूनतम प्रीमियम की धनराशि नियम करेगा।

(2) मुहरबंद लिफाफे में प्रस्ताव उपलब्ध कराने के लिए न्यूनतम सात दिन का समय दिया जायेगा।

(3) प्रस्ताव के साथ उसमें उल्लिखित प्रीमियम धनराशि का 50 प्रतिशत धनराशि का बैंक ड्राफ्ट/बैंकर चैक संलग्न होनी चाहिए। प्रीमियम की शेष धनराशि प्रस्ताव की स्वीकृत के पश्चात् नगर आयुक्त द्वारा यथा निर्दिष्ट अवधि के अन्दर जमा करनी होगी।

9–आवेदन पत्रों की अस्वीकृति के आधार– नियम-4 के अधीन अनुज्ञा प्राप्त करने के लिए प्रत्येक आवेदन-पत्र निम्नलिखित किसी या उससे अधिक आधारों पर अस्वीकृत किया जा सकता है, यह किः–

(क) आवेदन-पत्र में अपेक्षित सूचना और विवरण अन्तर्विष्ट न हो या वह इस उपविधि के अनुरूप न हो।

(ख) प्रस्तावित विज्ञापन अशिष्ट, अश्लील, घृणास्पद, वीभत्स या आपत्तिजनक प्रकृति का या नगर निगम पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला या राजनैतिक अभियान को उकसाने वाला या जनता अथवा किसी विशिष्ट वर्ग के व्यक्तियों हेतु अनिष्टकर या क्षतिकारक प्रभाव डालने वाली प्रकृति का हो या ऐसे स्थान पर ऐसी रीति से या किसी ऐसे माध्यम से संप्रदर्शित हो, जैसा कि नगर आयुक्त की राय में, उसमें किसी पडोस की सुविधाओं पर क्षतिकारक प्रभाव पड़ने या विकृत होने की सम्भावना हो या इसमें आपत्तिजनक लेख या अश्लील नग्न रेखाचित्र या चित्र या मदोन्मत्तता का कोई प्रतीक अन्तर्विष्ट हो।

(ग) तम्बाकू, से निर्मित पदार्थ सिगरेट इत्यादि के सेवन को प्रोत्साहित करने वाला हो।

(घ) प्रस्तावित विज्ञापन से लोक शांति या प्रशांति भंग होने की सम्भावना हो या लोकनीति और एकता के विरूद्ध हो।

(ड) प्रस्तावित विज्ञापन पट से तूफान या अंधड़ के दौरान जीवन या सम्पत्ति के लिए क्षति उत्पन्न होने की सम्भावना हो।

(च) प्रस्तावित विज्ञापन पट से यातायात में अशांति या खतरा उत्पन्न होने की सम्भावना हो।

(छ) प्रस्तावित विज्ञापन स्थल तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के उपबंधों से असंगत हो।

(ज) विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट किसी भूमि या भवन पर परिनिर्मित किया जाना या सम्प्रदर्शित किया जाना वांछनीय हो और ऐसी भूमि या भवन के संबंध में धारा–172 में निर्दिष्ट सम्पत्ति कर आवेदन करने के दिनांक को असंदत्त हो।

(झ) अन्य कोई कारण जिसे नगर आयुक्त नगर निगम के हित व जनहित में उचित समझें।

किसी विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट को परिनिर्मित करने, प्रदर्शित करने, सम्प्रदर्शित करने, लगाने, या लटकाने हेतु चिन्हित/नगर आयुक्त द्वारा निर्धारित स्थल पर निम्नलिखित या उससे अधिक रीति से नगर आयुक्त की अनुमति से किया जाना विधि संगत होगा–

10–अनुज्ञा प्रदान करने की रीति–(एक) सार्वजनिक सूचना के माध्यम से आवेदन/प्रस्ताव प्राप्त कर।

(दो) सार्वजनिक सूचना के माध्यम से निविदा आमन्त्रित कर।

(तीन) निर्धारित नियमों एवं शर्तों के अधीन पूर्व में प्रदान की गई अनुज्ञा का नवीनीकरण किया जा सकता है, किन्तु अनुज्ञा किसी भी दशा में नहीं दी जाएगी, यदि यातायात एवं फुटपाथ पर पैदल चलने में किसी प्रकार का अवरोध उत्पन्न हो रहा हो।

(चार) निजी स्थल/भवन पर विज्ञापन की अनुमति परिसर के मालिक की लिखित सहमति पर इस उपविधि में दिये गये उपबंधों के अधीन दी जा सकती है।

(पांच) विज्ञापन हेतु प्राप्त आवेदन-पत्रों पर अनुज्ञा और नवीनीकरण के लिए आवेदन-पत्रों को अधिकतम 15 दिनों के अन्दर निर्णय लेकर विज्ञापनकर्ता को सूचित किया जाएगा। यदि नीलामी/निविदा के माध्यम से अनुज्ञा प्रदान किया जाना है तो नीलामी/निविदा की तिथि से 15 दिनों के अन्दर निर्णय लेकर नीलामी/निविदा में भाग लेने वाले विज्ञापनकर्ताओं को सूचित किया जायेगा।

11– अनुज्ञा की अवधि–अनुज्ञा की अवधि वही होगी जो अनुज्ञा-पत्र में विनिर्दिष्ट हो। वार्षिक अनुज्ञा, अनुज्ञा के दिनांक से एक वर्ष की अधिकतम अवधि या उस वित्तीय वर्ष के 31 मार्च तक, अनुज्ञा स्वीकार की गयी, इनमें जो भी पहले हो, होगी।

12– अनुज्ञा का नवीनीकरण–नगर आयुक्त द्वारा निर्धारित प्रीमियम/सम्पूर्ण विज्ञापन अनुज्ञा शुल्क जमा करने के पश्चात् अनुज्ञा का नवीनीकरण नियम 6(3) व 6(4) के अधीन किया जा सकता है। इसके लिए विज्ञापनकर्ता को अनुसूची-1 के रूप में संलग्न विहित प्रारूप पर आवेदन-पत्र प्रस्तुत करना होगा। अनुज्ञा के नवीनीकरण होने के पश्चात् देय प्रीमियम/विज्ञापन अनुज्ञा शुल्क जमा करना होगा।

13– विज्ञापन या विज्ञापन पट हटाने की शक्ति–(1) यदि कोई विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट इस उपविधि के उल्लघंन में परिनिर्मित किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है, संप्रदर्शित किया जाता है. लगाया जाता है. चिपकाया जाता है, लिखा जाता है, चित्रित किया जाता है या लटकाया जाता है या लोक सुरक्षा के लिए परिसंकटमय या खतरनाक हो या वह सुरक्षित यातायात संचालन हेतु अशांति का कारण हो तो नगर आयुक्त या नगर आयुक्त द्वारा प्राधिकृत अधिकारी विज्ञापनकर्ता को किसी नोटिस के बिना उसे हटवा सकता या मिटवा सकता है और जमा प्रतिभूति से निम्नलिखित धनराशियों की वसूली कर सकता है–

(एक) इस प्रकार हटाये जाने या मिटाये जाने का व्यय, और

(दो) ऐसी अवधि, जिसके दौरान ऐसा विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट ऐसे उल्लघंन में परिनिर्मित किया गया था, प्रदर्शित किया गया था, संप्रदर्शित किया गया था, लगाया गया था. या लटकाया गया था, के लिए क्षतियों की धनराशि।

(2) जब कभी कोई विज्ञापन नगर आयुक्त अथवा नगर आयुक्त द्वारा अधिकृत विज्ञापन प्रभारी के किसी नोटिस या आदेश या अन्यथा के परिणामस्वरूप हटाया जाता है तब ऐसे भवन या स्थल, जिस पर या जिससे ऐसा विज्ञापन संप्रदर्शित किया गया था, में किसी क्षति या विकृति को नगर आयुक्त के समाधान पर्यन्त ठीक किया जाएगा। यदि विज्ञापन हटाये जाने के दौरान मांर्ग/सड़क/ फुटपाथ/ यातायात संकेतक या कोई अन्य लोक उपयोगिता की सेवायें क्षतिग्रस्त हो जाती है तो विज्ञापनकर्ता से वसूल की गयी धनराशि को निगम द्वारा सम्बन्धित विभाग को अन्तरित किया जायेगा।

14– विज्ञापन पर निर्बन्धन–(1) किसी संविदा या करार में अन्तर्विष्ट किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी कोई विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट परिनिर्मित नही किया जाएगा, प्रदर्शित नहीं किया जायेगा, संप्रदर्शित नही किया जायेगा, चिपकाया नही जागेगा, लिखा नहीं जायेगा, चित्रित नहीं किया जायेगा लटकाया नहीं जायेगा।

(एक) यदि विज्ञापन पट आकार में 12.2 मीटर x 6.2 मीटर से अधिक हो और इसका तल आधार भूतल से ऊपर 02 मीटर से कम हो।

(दो) यह किसी मार्ग, मार्ग संधियों या सेतुओं के अनुप्रस्थ भाग के मध्य से होते हुए मार्ग से नापे गये 30 मीटर के भीतर किसी स्थान पर अवस्थित हो।

(तीन) यह मार्ग के समानान्तर न हो या इससे स्थानीय या पैदल चलने वाले नागरिकों के आवागमन में बाधा उत्पन्न होती हो या बाधा उत्पन्न होने की सम्भावना हो।

(चार) नगर आयुक्त की राय में प्रस्तावित स्थल विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट के लिए अनुपयुक्त हो।

(पांच) यह मार्ग के आस-पास एवं मार्ग पटरी/पगडंडी पर रखा गया हो।

(छ) यह किसी निजी परिसर के बाहर क्षेपित हो जिस पर यह इस प्रकार परिनिर्मित, प्रदर्शित या संप्रदर्शित हो।

(सात) यह ऐतिहासिक या राष्ट्रीय स्मारकों, सार्वजनिक भवनों और दीवारों चिकित्सालयों, शैक्षणिक संस्थाओं, न्यायालयों, सार्वजनिक कार्यालयों और पूजा स्थलों के चारों और अवस्थित हो।

(आठ) स्थल नियम-22 के अधीन इस प्रयोजनार्थ निगम या राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार द्वारा घोषित प्रतिषिद्ध क्षेत्र के भीतर पड़ता हो।

(नौ) जर्जर स्थिति में हो जिसके आंधी-पानी (बरसात) में गिरने की सम्भावना हो।

(2) विज्ञापनों और विज्ञापन पट्टों को निम्नलिखित रूप में अनुज्ञा नहीं दी जाएगी–

(एक) ऐसी रीति से और ऐसे स्थानों पर जिसमें कि यातायात के पहुँचने, या संविलीन होने, प्रतिच्छेदित होने की दृश्यता में बाधा व्यवधान उत्पन्न होता है।

(दो) राष्ट्रीय/राज्य राजमार्ग के दांयी ओर के भीतर और राष्ट्रीय/राज्य राजमार्गों के पड़ने वाले मोड के 10 मीटर के भीतर एवं समस्त प्रमुख चौराहे के मध्य की दूरी के 30 मीटर के भीतर।

(तीन) किसी लोक प्राधिकरण यथा यातायात प्राधिकरण, लोक परिवहन प्राधिकरण या स्थानीय प्राधिकरण या लोक निर्माण विभाग या भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के आदेशों के अधीन मार्ग से होते हुये यातायात के विनियमन के लिए परिनिर्मित किसी लाइन बोर्ड के 50 मीटर के भीतर।

(चार) ऐसे रूप में जिसमें लोक प्राधिकरणों द्वारा यातायात नियंत्रण के लिए परिनिर्मित किसी चिन्ह, संकेतन या अन्य युक्ति के निर्वचन में विघ्न व्यवधान उत्पन्न हो।

(पांच) किसी मार्ग के पार लटकाए गये पट्टों, भित्त पत्रकों, वस्त्र–झण्डियां या पत्रक पर जिनसे चालक का ध्यान विचलित होता हो और इसलिए परिसंकटमय हो।

(छ) ऐसे रूप में जिसमें पैदल चलने वालों के मार्ग में व्यवधान उत्पन्न हो और चौराहे पर उनकी दृश्यता बाधित हो।

(सात) जब इनसे स्थानीय सुविधायें प्रभावित हों।

(3) (एक) निजी भवनों पर पोस्टर चिपकाने अथवा वालें राइटिंग के साथ साथ सार्वजनिक भवनों, दिशा–सूचकों और महत्वपूर्ण सूचनाओं/नोटिस वाले विज्ञापन–पटों पर पोस्टर लगाना अथवा कुछ लिखना पूर्णतः प्रतिबन्धित एवं दण्डनीय अपराध होगा।

(दो) सड़क पर क्रास बैनर पूर्णतः प्रतिबन्धित होगा।

(तीन) गैन्ट्री प्रतीक के लिए यह आवश्यक होगा कि गैन्ट्री के दोनो छोरों पर स्थान बोधक, दिशा सूचक शब्द एवं दूरी का उल्लेख किया जाये, जो विज्ञापन के कुल आकार का न्यूनतम 30 प्रतिशत से कम नही होगा। गैन्ट्री की सड़क से न्यूनतम ऊँचाई इस प्रकार रखी जाएगी कि सामान लदा हुआ भारी ट्रक नीचे से आसानी से गुजर सकें।

(चार) फ्लावर पॉट में मौसमी पुष्पों वाले पौधे ही लगाए जा सकेगें। कैक्टस वाले फ्लावर पॉट अनुमन्य नहीं होंगे।

(पांच) सड़क के किनारे अथवा डिवाईडर पर लगे किसी भी बड़े वृक्ष जो स्वावलम्बी हो चुके है एवं बड़े वृक्ष के नीचे ट्री-गार्ड/पलावर पॉट लगाकर विज्ञापन प्रदार्शित किया जाना निषिद्ध होगा।

(छ) किसी भी पोल पर अधिकतम दो कयोस्क जिनके पार्श्व भाग आपस में इस प्रकार सटे होंगे जिसमें एक दिशा से एक ही कयोस्क दृश्य होगा, अनुमन्य होंगे।

(4) निम्नलिखित प्रकार के प्रदीप्त विज्ञापनों और विज्ञापन पट्टों की अनुज्ञा नही होगी।

(एक) ऐसी सघनता या चमक वाले प्रदीप्त विज्ञापन और विज्ञापन पट्ट जिसमें चौध उत्पन्न हो या चालक अथवा पैदल चलने वालों की दृष्टि बाधित होती हो या जिसमें चालन की किसी क्रिया में विध्न पड़ता हो।

(दो) विज्ञापन और विज्ञापन पट्ट जो इस रूप में प्रदीप्त हो जिससे कि किसी शासकीय यातायात विज्ञापन पट्ट युक्ति या संकेतक का प्रभाव बाधित होता हो या क्षीण होता हो।

15–छत के ऊपर के विज्ञापन पटों के सम्बन्ध में निर्बन्धन–(1) किसी भवन की छत पर परिनिर्मित, प्रदर्शित या संप्रदर्शित किये जाने वाले विज्ञापनों या विज्ञापन पट्टों के मामले में केवल प्लास्टिक की विनायल या वस्त्र पत्रक ही अनुमन्य है।

(2) नियम-6 और नियम-13 के अधीन रहते हुये किसी भवन की छत पर विज्ञापन पट्ट की ऊँचाई अधिकतम 6.2 मीटर व चौडाई 12.4 मीटर से अधिक नहीं होगी और चौडाई किसी भी दशा में भवन की क्षैतिज चौड़ाई से अधिक नहीं होगी।

16–विज्ञापन पटों के प्रकार–विज्ञापन निम्नलिखित प्रकार के होंगें–

(क) वैद्युत और प्रदीप्त विज्ञापन/वैद्युत, डिजिटल विज्ञापन

(ख) एल0ई0डी0 स्क्रीन

(ग) भू-विज्ञापन (यूनीपोल/एक स्तम्भ विज्ञापन पट/कैन्टीलीवर/गेट ऐन्ट्री)

(घ) छत विज्ञापन (रूफ टॉप)

(ड) बरामदा/दुकान विज्ञापन

(च) शामियाना विज्ञापन

(छ) आकाशीय विज्ञापन

(ज) अस्थायी एवं विविध विज्ञापन

(झ) ट्रैफिक/पुलिस बूथ अथवा ट्रैफिक आईलैण्ड विज्ञापन

(ञ) जन सुविधा स्थान पर विज्ञापन

(ट) विशेष प्रकार की छतरी विज्ञापन

(ठ) द्वार विज्ञापन, गुब्बारा विज्ञापन

(ड़) ट्री गार्ड/पलावर पॉट डिस्पले

(ढ) गैन्ट्री विज्ञापन

(ण) बिल्डिंग ग्लास, फसाड वॉलरैप, वाटर टैंक विज्ञापन

(त) फुट ओवर ब्रिज

(थ) प्रचार वाहन

(द) रैन बसेरा पर विज्ञापन

(ध) पानी की टंकी पर विज्ञापन

(न) विद्युत पोल पर क्योस्क

(प) सांकेतिक पट

(क) वैद्युत विज्ञापन और प्रदीप्त विज्ञापन–**(क-1) वैद्युत विज्ञापन की सामग्री**–जहाँ प्रतीक पूर्णतः पुंज प्रकाश युक्त विज्ञापन हो, उसे छोड़कर प्रत्येक वैद्युत विज्ञापन अज्वलनशील सामग्री से निर्मित किया जाएगा।

(क-2) वैद्युत विज्ञापनों और प्रदीप्त विज्ञानों का स्थापन–प्रत्येक वैद्युत विज्ञापन और प्रदीप्त विज्ञापन को राष्ट्रीय भवन संहिता 2005, भाग–8 भवन सेवायें धारा-2, विद्युत एवं समवर्गीय स्थापना के अनुसार स्थापित किया जाएगा।

(क-3) लाल, तृणमणि जैसा या हरे रंग में कोई प्रदीप्त विज्ञापन, किसी प्रदीप्त यातायात विज्ञापन के 10 मीटर की क्षैतिज दूरी के भीतर परिनिर्मित या अनुरक्षित नहीं किया जाएगा।

(क-4) दो मंजिल से कम की ऊँचाई पर या पगडण्डी से 6.2 मीटर ऊपर जो भी अधिक हो, पर सफेद प्रकाश से भिन्न प्रकाश द्वारा प्रदीप्त समस्त विज्ञापन पट्ट समुचित रूप से प्रदर्शित किये जाएंगे जिससे कि यातायात के नियंत्रण में विज्ञापन पट्ट या संकेतक से होने वाले किसी प्रकार के व्यवधान को संतोषजनक रूप से रोका जा सकें।

(क-5) गहन प्रदीप्ति–कोई व्यक्ति ऐसा कोई विज्ञापन परिनिर्मित नहीं करेगा जो ऐसे गहन प्रदीप्ति का हो जिससे कि संलग्न या निकट के भवनों के निवासियों को व्यवधान उत्पन्न हो। ऐसे परिनिर्माण के लिए दी गयी किसी अनुज्ञा के होते हुये भी किसी ऐसे विज्ञापन, जो परिनिर्माण के पश्चात् नगर आयुक्त की राय में ऐसी गहन प्रदीप्ति का हो, जिससे कि संलग्न या निकट के भवनों के निवासियों को व्यवधान उत्पन्न हो, को नगर आयुक्त के आदेश के आधार पर सम्बन्धित स्थल के स्वामी द्वारा ऐसी युक्तियुक्त अवधि, जैसा कि नगर आयुक्त विनिर्दिष्ट करें, के भीतर समुचित रूप में परिवर्तित कर दिया जाएगा या उसे हटा दिया जाएगा।

(क-6) परिचालन अवधि–नगर आयुक्त की राय में जन सुख सुविधा, स्वास्थ्य और सुरक्षा के हित में आवश्यक विज्ञापन से भिन्न कोई वैद्युत विज्ञापन, मध्यरात्रि और सूर्योदय के मध्य प्रचालित नही किया जायेगा।

(क-7) चौंकाने वाला, ओझल करने वाला और जीवंतता प्रदान करने वाली–विज्ञापन पट्टिका जिसकी बारम्वारता प्रति मिनट 30 चौधं से अधिक हो, इस प्रकार परिनिर्मित की जाएगी कि ऐसे विज्ञापन पट्टों का न्यूनतम छोर भूतल से 9 मीटर ऊपर से कम न हो।

(क-8) विमानपत्तनों के निकट प्रदीप्त विज्ञापनों के लिए विमानपत्तन प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण-पत्र किया जाना चाहिए।

(ख) भू-विज्ञापन–(ख-1) सामग्री–ढांचों, अवलम्बों और पट्टी सहित 6 मीटर से अधिक ऊंचाई वाला प्रत्येक भू-विज्ञापन नियम 16 के उप नियम (4) में दी गयी सामग्री को छोड़कर अज्वलनशील सामग्री से निर्मित किया जाएगा।

(ख-2) आयाम–कोई भी भू-विज्ञापन भूमि के ऊपर 6 मीटर से अधिक की ऊँचाई में परिनिर्मित नहीं किया जाएगा। प्रकाश परावर्तन विज्ञापन के अग्रभाग या मुख भाग के ऊपर जा सकता है।

(ख-3) अवलम्ब और स्थिरक स्थान–प्रत्येक भू-विज्ञापन को भूमि पर दृढ़तापूर्वक अवलम्बित और स्थिर किया जाएगा। अवलम्ब और स्थिरक, सुसाध्यतानुसार संसाधित काष्ठ के होगें या संक्षारण रोध या चिनाई या कंक्रीट हेतु संसाधित धातु के होगें।

(ख-4) स्थल सफाई : किसी स्थल जिस पर कोई भू-विज्ञापन परिनिर्मित हो, का स्वामी नगर आयुक्त के अनुमोदन हेतु स्थल के ऐसे भाग जो मार्ग से दृश्य हो. को स्वच्छ, साफ, निर्मल और समस्त गन्दे पदार्थों तथा कुरुप स्थितियों से मुक्त रखने के लिए उत्तरदायी होगा।

(ख-5) यातायात में अवरोध : ऐसा कोई भू-विज्ञापन परिनिर्मित नही किया जाएगा जिससे कि किसी भवन के मुक्त प्रवेश में या उसके निकास में व्यवधान उत्पन्न हो।

(ख-6) तल निर्बाधनः सभी भू-विज्ञापनों का तल आधार भूमि में कम से कम 2 मीटर ऊपर होगा किन्तु अंतरावर्ती स्थान को जालदार कार्य या पटल सजावटी व्यवस्था से पूरा किया जा सकता है।

(ग) छत विज्ञापन–(ग-1) सागग्री : नियम 16 के उप नियम (4) में दी गयी व्यवस्था को छोड़कर ढाँचे, अवलम्चों और पटिट्यों सहित प्रत्येक छत विज्ञापन पटिट्का को अज्जवलनशील सामग्री से निर्मित किया जाएगा। समस्त धात्विक पुर्जों के वैद्युत भू-आच्छादन की व्यवस्था की जाएगी और जहाँ ज्जवलनशील सामग्रियां अक्षरों या अन्य साज–सज्जों में अनुज्ञात हो वहीं समस्त लेख और नालिकाएं उसमें मुक्त और रोधित रखी जाएगी।

(ग-2) अवस्थिति :

(क) किसी भवन के छत पर कोई छत विज्ञापन, इस प्रकार नहीं रखा जाएगा जिससे कि छत के एक भाग से दूसरे भाग में मुक्त प्रवेश में व्यवधान उत्पन्न हो।

(ख) कोई छत विज्ञापन किसी भवन के छत पर या उसके ऊपर तब तक नहीं रखा जाएगा तब तक सम्पूर्ण छत का निर्माण अज्जवलनशील सामग्री का न हो।

(ग-3) क्षेपण (प्रोजेक्शन) : कोई क्षेपण विज्ञापन भवन की विद्यमान भवन लाईन जिस पर यह परिनिर्मित हो के परे/प्रक्षेपित नहीं होगा अथवा यह छत के ऊपर किसी भी दिशा में नहीं बढ़ेगा।

(ग-4) अवलम्ब और स्थिरक : प्रत्येक छत विज्ञापन को पूर्णतया सुरक्षित रखा जाएगा और उसे ऐसे भवन, जिस पर या जिसके ऊपर यह परिनिर्मित हो, पर स्थिर किया जाएगा। सम्पूर्ण भार भवन के संरचनात्मक भागों में सुरक्षित रूप में संवितरित होंगे।

(ग-5) विमानपत्तनों के समीप छत विज्ञापनों हेतु विमानपत्तन प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जाना चाहियें।

(ग-7) विकास प्राधिकरण/आवास विकास परिषद से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होगा।

(घ) बरामदा विज्ञापन–(घ-1) सामग्री : प्रत्येक बरामदा विज्ञापन नियम 16 के उप नियम (4) में दी गयी व्यवस्था को छोड़कर पूर्णतः अज्वलनशील सामग्री से निर्मित किया जाएगा।

(घ-2) आयाम : कोई बरामदा विज्ञापन 01 मीटर से अधिक ऊँचा नहीं होना चाहिए। किसी बरामदा से लटकाया जाने वाला कोई बरामदा विज्ञापन लम्बाई में 2.5 मीटर और मोटाई में 50 मिलीमीटर से अधिक नहीं होगा, इसके सिवाय विज्ञापन के प्रमुख अग्रभागों के मध्य मापित और पूर्णतया धातुगत तार युक्त शीशे से निर्मित मोटाई में 200 मीटर से अनधिक मापवाला बरामदा बाक्स विज्ञापन, परिनिर्मित किया जा सकता है।

(घ-3) संरेखण : प्रत्येक बरामदा विज्ञापन, भवन, लाइन, के समान्तर स्थापित किया जायेगा, सिवाय इसके कि किसी बरामदा से लटकने वाले ऐसे किसी विज्ञापन को भवन लाइन के समकोण पर स्थापित किया जायेगा।

(घ-4) स्थान : बरामदा पट्टिका को, जो लटकाने वाले विज्ञापन पट्ट से भिन्न हो, निम्नलिखित स्थानों पर लगाया जायेगा–

(एक) बरामदा छत की ओरी के ठीक ऊपर इस तरह से कि यह छत के गाटर से पिछले भाग से वहिर्निष्ट न हो।

(दो) बरामदा मुंडेर या आलंब के सामने किन्तु उसके ऊपर या नीचे नहीं, परन्तु ऐसी मुंड़ेर या आलंब ठोस हो और विज्ञापन पट्टिका ऐसी मुंडेर आलंब के बाहरी अग्रभाग से 20 से0मी0 से अधिक वहिर्निष्ट न हो।

(तीन) पेन्ट किए हुए विज्ञापन पट्टिकाओं की दशा में बरामदा धरनों या मुडेरों पर।

(घ-5) लटकते हुए बरामदा विज्ञापन पट्टिकाओं की ऊँचाई–किसी बरामदे से लटकता हुआ प्रत्येक बरामदा विज्ञापन पट्टिका इस प्रकार से लगायी जायेगी कि ऐसी पट्टिका का सबसे निचला भाग खड़जा से कम से कम 2.5 मीटर ऊँचाई पर हो।

(घ-6) प्रक्षेपण : (घ-4) में यथा उपबन्धित के सिवाय कोई भी बरामदा विज्ञापन पट्टिका उस लाइन से, जिससे वह लगी हो, बाहर निकली हुई नहीं होगी।

(ड.) दीवार विज्ञापन–प्रत्येक दीवार विज्ञापन पट्ट 3 x 3 मीटर को एक यूनिट मानते हुए बिना किसी ज्वलनशील पदार्थ के परिनिर्मित किया जायेगा।

(क) प्रतिबन्धित क्षेत्रों/सार्वजनिक कार्यालयों, न्यायालयों, धार्मिक स्थलों, शिक्षण संस्थाओं, राष्ट्रीय स्मारकों आदि की दीवारों पर विज्ञापन प्रतिषिद्ध रहेगा।

(ख) नगर/स्थल के कलात्मक सौंदर्य, व अन्य विशिष्टियों के दीवार विज्ञापन के सम्बन्ध में मामले में नगर आयुक्त द्वारा निर्णय लिया जायेगा।

(च) प्रक्षेपण विज्ञापन पट्टिकायें–(च-1) सामग्री : प्रत्येक प्रक्षेपण विज्ञापन पट्टिका और उसका अवलम्ब एवं चौखट पूर्णतः अज्वलनशील पदार्थ से निर्मित होगा।

(च-2) प्रक्षेपण एवं ऊँचाई : कोई भी प्रक्षेपण पटिट्का अपने अवलम्ब या चौखट की किसी भाग में भवन के बाहर 02 मीटर से अधिक प्रक्षिप्त नही होगी, किन्तु यह मार्ग के सामने भू-खण्ड लाइन के बाहर प्रक्षिप्त नही होगी, जब यह मार्ग में प्रक्षिप्त होती हो तो यह सड़क के 2.5 मीटर की स्पष्ट ऊँचाई पर होगी।

(क) समस्त प्रक्षेपण पट्टिकाओं के अक्ष भवन के मुख्य अग्रभाग के दाहिने कोण पर होंगे। जहाँ अग्रभाग के लिए वी–निर्माण किया गया हो, वहाँ भवन के सामने विज्ञापन पट्टिका का आधार कुल प्रक्षेपण की सीमा से अधिक नहीं होगा।

(ख) कोई भी प्रक्षेपण पट्टिका छत की ओर के ऊपर या भवन आकृति के उस भाग, जिससे यह लगी हो, के ऊपर नही निकली होगी।

(ग) किसी प्रक्षेपण पट्टिका की अधिकतम ऊँचाई 6 मीटर होगी।

(च-3) अवलम्ब एवं संलग्नक : प्रत्येक प्रक्षेपण पट्टिका किसी भवन से सुरक्षित रूप से लगी होगी जिससे किसी भी दिशा में उसके संचालन को संरक्षण रोधी धातु दीवारगीर, रॉड्स एकर्स अवलम्ब, चेन्स या वायररोप्स, जो इस प्रयोजन के लिए निर्मित हो, द्वारा रोका जा सके और इस प्रकार व्यवस्थित की जा सकें कि इस प्रकार लगाये जाने की आधी युक्तियाँ परिस्थितिवश विज्ञापन पट्टिका को थाम सकें। स्टैपल्स या कीलों का प्रयोग किसी भवन के किसी प्रक्षेपण विज्ञापन पट्टिका को कसने के लिए नहीं किया जायेगा।

(च-4) अतिरिक्त भार : ऐसी प्रक्षेपण सन्बन्धी संरचनायें जो किसी सीढ़ी पर या अन्य सेवाई युक्ति में, चाहें वह सेवाई युक्ति के लिए विशेष रूप से बनायी गयी हों या न हो. किसी व्यक्ति को थामने के लिए प्रयोग में लायी जा सकती हो. पूर्वानुमानित अतिरिक्त भार को थामने के लिए सक्षम होगी किन्तु किसी भी दशा में कल्पित रूप से भार डालने के बिन्दु पर या अत्यधिक उत्केन्द्रीय भार डालने के बिन्दु पर डाला गया केन्द्रित क्षैतिज भार 500 किलोग्राम से और ऊर्ध्वधर केन्द्रित भार 1500 किलोग्राम के कम के लिए सक्षम नही होगी। भवन संघटक, जिससे प्रक्षेपण विज्ञापन पट्टिका लगाई जाय इस प्रकार निर्मित होगा कि अतिरिक्त भार को थाम सकें।

(छः) शामियाना विज्ञापन पट्टिका–(छ-1) सामग्री : शामियाना विज्ञापन पट्टिकायें पूर्ण रूप से धातु या अन्य अनुमोदित अज्वलनशील पदार्थों से निर्मित होंगी।

(छ-2) ऊँचाई: ऐसी विज्ञापन पट्टिकायें 02 मीटर से ऊँची नही होगी और न तो वे शामियाना की पट्टी से नीचें और न पगडंडी से ऊपर 2.5 मीटर से नीचे होगी।

(छ-3) लम्बाई : शामियाना विज्ञापन पट्टिकायें पूरी लम्बाई से अधिक हो सकती है किन्तु वे किसी भी दशा में शामियाना के छोर से बाहर प्रक्षिप्त नहीं होगी।

(ज) आकाश विज्ञापन पट्टिका–आकाश विज्ञापन पट्टिका : आकाश विज्ञापन पट्टिकाओं के मामले में ऐसी आकाश विज्ञापन पट्टिका की ऊँचाई 30 मीटर से अधिक नहीं होगी। न्यूनतम ऊँचाई ऐसी होनी चाहिये कि उससे वाहन या पैदल सम्बन्धी आवागमन में अवरोध या बाधा उत्पन्न न हो।

(झ) अस्थायी विज्ञापन पट्टिका–अस्थाई विज्ञापन पट्टिकायें : सचन सर्कस विज्ञापन पट्टिकायें मेला विज्ञापन पट्टिकायें एवं सार्वजनिक समारोहों के दौरान सजावट।

(झ-1) प्रकार– (झ-2) के अनुसार यथा परिनिर्मित अस्थायी विज्ञापन पट्टिकाओं से भिन्न निम्नलिखित विज्ञापन पट्टिकाओं में से कोई विज्ञापन पट्टिका परिनिर्मित नहीं की जायेगी–

(क) कोई ऐसी विज्ञापन पट्टिका जो बरामदा के स्तम्भों पर या उनके बीच पेंट की या लगायी गयी हो।

(ख) कोई ऐसी विज्ञापन पट्टिका जो किसी बरामदा या बालकनी की किसी पट्टी बेयर, बीम या आलम्ब के ऊपर या नीचे प्रक्षिप्त हो।

(ग) कोई विज्ञापन पट्टिका जो प्रदीप्त या प्रकाशमान हो और जो किसी बरामदा या बालकनी के किसी ढाल या गोल किनारे के पट्टी, बेयरर, बीम या आलम्ब पर लगायी गयी हो।

(घ) किसी सड़क के आर-पार परिनिर्मित कोई पताका विज्ञापन पट्टिका।

(ड़) विज्ञापन पट्टिका को एक दिशा से दूसरी दिशा में लटकने से रोकने के लिए कोई ऐसी विज्ञापन पट्टिका जो सुरक्षित रूप से न लगी हो।

(च) कपड़े पेपर मैच या समान या सदृश सामग्री से निर्मित कोई विज्ञापन पट्टिका किन्तु उनके अन्तर्गत होर्डिंग या घरों के लाईसेन्स प्राप्त पेपर विज्ञापन पट्टिकायें नहीं है।

(छ) अनन्य रूप से आवासीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग किए गए यां प्रयोग किए जाने के लिए आशायित किसी भू-खण्ड पर कोई विज्ञापन पट्टिकायें जो किसी ग्रास प्लेट या बोर्ड से भिन्न हो और आकार में अधिमानतः 600

मिलीमीटर गुणे 450 मिलीमीटर से अधिक न हो व किसी आवास की दीवार या प्रवेश द्वार या दरवाजे या गेट पर लगी हो और फ्लैट के किसी ब्लाक के मामले में प्रवेश हाल के दीवार या किसी पलैट के किसी प्रवेश द्वार पर लगी हो,

(ज) पेड़ों चट्टानों या पहाड़ियों या तत्समान प्राकृतिक स्थलों पर कोई विज्ञापन पट्टिका।

(झ)-2 अस्थाई विज्ञापन पट्टिकाओं की आवश्यकता (एक) सार्वजनिक समारोहों के दौरान सभी अस्थायी विज्ञापन, सचल सर्कस और मेला चिन्ह और पट्टिकायें सजावट नगर आयुक्त के अनुमोदन के अनुसार होंगे और इस प्रकार परिनिर्मित होंगे कि उससे किसी रास्ते में अवरोध न पहुँचे और आग के जोखिम को कम करने में बाधा न पहुँचे।

(दो) ऐसी किसी विज्ञापन पट्टिका पर अंकित विज्ञापन केवल कारोबार, उद्योग या किसी ऐसे अन्य व्यवसाय से सम्बन्धित होगा जो उस परिसर में या उसके भीतर किया जा रहा हो जिस पर विज्ञापन पट्टिका परिनिर्मित या लगायी गयी हो। अस्थायी विज्ञापन पट्टिका को जैसे ही वह फट जाय या क्षतिग्रस्त हो जाय यथाशीघ्र और किसी भी दशा में, परिनिर्माण के पश्चात् जब तक विस्तारित न किया जाय, 14 दिन के भीतर हटा दिया जायेगा।

(तीन) नगर आयुक्त किसी अस्थायी विज्ञापन पट्टिका या सजावट को तत्काल हटाने के आदेश यदि उसकी राय में सार्वजनिक सुविधा व सुरक्षा के हित में आवश्यक हो, देने के लिए सशक्त होगा।

(चार) पोल विज्ञापन पट्टिका-पोल विज्ञापन पट्टिकायें पूर्णतया अज्वलनशील पदार्थ से निर्मित होगी और यथास्थिति, भूमि या छत की आवश्यकताओं के अनुरूप होगी। ऐसी विज्ञापन पट्टिकायें स्ट्रीट लाइन के बाहर तक बढ़ाई जा सकती है, यदि वे प्रक्षेपण विज्ञापन पट्टिकाओं के उपबन्धों के अनुकूल हों।

(पांच) अधिकतम आकार अस्थाई विज्ञापन पट्टिकायें क्षेत्रफल में 10 वर्गमीटर से अधिक नही होगी।

(छ) प्रक्षेपण कपड़े की अस्थाई विज्ञापन पट्टिकायें और तत्समान ज्वलनशील निर्माण किसी मार्ग या सार्वजनिक स्थान के ऊपर या उसके अन्दर 300 मिलीमीटर से अधिक नहीं बढ़ेगी सिवाय उस दशा के जब ऐसी चिन्हें पट्टिकायें बिना फ्रेम के निर्मित होने पर किसी सायबान या शामियाना के सामने अवलम्ब के रूप में लगाई जा सकती है या उसकी निचली पट्टी से लटकाई जा सकती है किन्तु वे फुटपाथ के 2-5 मीटर से अधिक निकट तक नहीं बढ़ी होनी चाहिये।

(सात) विशेष अनुमति भवन से लटकती हुई या पोल पर लटकती हुई सभी ऐसी अस्थाई झण्डियां जो मार्ग या सार्वजनिक स्थलों के आर–पार बढ़ जायें, नगर आयुक्त के अनुमोदन के अधीन होंगी।

टिप्पणी– मनोरंजन और अन्य कार्यकमों में सम्बन्धित इश्तहार को इश्तहार फलक से भिन्न भवन की दीवारों पर नहीं लगाया जायेगा। ऐसे इश्तहारों और पोस्टरों के लिए उत्तरदायी संगठन ऐसे विरूपण और विज्ञापन पट्टिकाओं को न हटाने के लिए उत्तरदायी माने जायेंगे।

17. सभी विज्ञापन पटों/पट्टिकाओं के लिए सामान्य अपेक्षायें– (1) **भार** : विज्ञापन पट्टिकायें इस प्रकार निर्मित होंगी कि वे भाग–6 संरचनात्मक अभिकल्प खण्ड–1, राष्ट्रीय भवन संहिता 2005 के भार बल और प्रभाव में दिये गये आंधी डेड से सिस्मिक और अन्य लोड को सुरक्षित रूप से सहन कर सकें।

(2) **प्रदीप्ति** : कोई भी विज्ञापन पट्टिका जो विद्युत साधनों और विद्युत युक्तियों या वायरिंग से भिन्न हो, राष्ट्रीय भवन संहिता 2005 के भाग–8 भवन सेवायें खण्ड–2 विद्युत और सम्बद्ध संस्थापन की अपेक्षाओं के अनुसार संस्थापित या प्रकाशित नहीं की जायेगी। किसी भी दशा में कोई खुली चिंगारी या दीप्ति प्रदर्शन के उद्देश्यों के लिए तब तक नहीं इस्तेमाल की जायेगी, जब तक वह नगर आयुक्त द्वारा विशेष रूप से अनुमोदित न हों।

(3) विज्ञापन पट्टिकाओं की डिजाइन और स्थान–(क) किसी भी विज्ञापन पट्टिका से पदयात्रियों के आवागमन, अग्नि से बचाव, निकास, या अग्नि शमन प्रायोजनों के साधन के रूप में प्रयुक्त दरवाजे या खिड़की या द्वार में रूकावट नही आयेगी।

(ख) किसी भी पट्टिका से प्रकाश व संवातन के द्वार में किसी प्रकार या ढंग से रूकावट नहीं होगी।

(ग) यदि संभव हो, विज्ञापन पट्टिकाओं को एक साथ सम्मिलित रूप में एकल की जानी चाहिये। भू-दृश्य में अव्यवस्थित विज्ञापन पट्टिका से बचना चाहिये।

(घ) अनावश्यक खंभो को कम करने और विज्ञापन पट्टिकाओं को प्रकाशित करने को सुगम बनाने के लिए पट्टिकायें लाइटिंग फिक्स्चर से युक्त होनी चाहिये।

(ङ) सूचना विज्ञापन पट्टिकायें स्वाभाविक सभा स्थलों पर लगाई जानी चाहिये और उन्हें दर्शनीय फर्नीचर के अभिकल्प में सम्मिलित किया जाना चाहिये।

(च) जहाँ विज्ञापन पट्टिकाओं से पैदल आवागमन में बाधा पहुँचें वहाँ विज्ञापन पट्टिका को लगाये जाने से बचना चाहियें।

(छ) विज्ञापन पट्टिका इस प्रकार लगानी चाहिये जिससे कि सामने से और पीछे से पदयात्रियों का आवागमन संभव हो सकें।

(ज) दृष्टिहीनों और आंशिक रूप से दृष्टिहीनों के लिए पठनीय बनाने के उभरे हुए अक्षरों का प्रयोग किया जाना चाहिये।

(झ) कोई भी विज्ञापन पट्टिका किसी भी वृक्ष या झाड़ी में नहीं लगायी जायेगी।

(4) दहनशील पदार्थों का प्रयोग :–(एक) **सजावटी विशिष्टता-**ढलाई, ढक्कन लगाने, ब्लाक्स, अक्षरों व जाली के लिए जहाँ अनुमति हो और पूर्णतः सजावटी विशिष्टता वाले विज्ञापन पट्टिकाओं के लिए प्रयोग किये जा सकने वाले लकड़ी के सदृश दहनशील विशेषता वाले लकड़ी या प्लास्टिक या अन्य पदार्थ।

(दो) **विज्ञापन पट्टिका का फलक**–विज्ञापन पट्टिका का अग्रभाग अनुमोदित दहनशील पदार्थ से बना होना चाहिये, परन्तु प्रत्येक अग्रभाग का क्षेत्रफल 10 वर्गमीटर से अधिक नहीं होना चाहिये और विद्युत लाइटिंग की वायरिंग धातु की नाली में बन्द होनी चाहिये और फलक से 5 सेन्टीमीटर से अन्यून के निकास के साथ संस्थापित होनी चाहिये।

(5) **विज्ञापन पट्टिकाओं को हटाये जाने से नुकसान या विरूपण**–जब भी कोई विज्ञापन पट्टिका हटाई जाये चाहे यह कार्य नगर आयुक्त की नोटिस या उसके आदेश के कारण हो या अन्यथा हो, ऐसे भवन या स्थल जिस पर या जिससे ऐसी विज्ञापन पट्टिका, प्रदर्शित की गयी थी, में किसी नुकसान या विरूपण की क्षतिपूर्ति विज्ञापनकर्ता से की जायेगी। यदि विज्ञापन पट्टिका के हटाये जाने के दौरान सड़क की सतह/फुटपाथ/यातायात सिग्नल या किसी अन्य सार्वजनिक उपयोगिता सेवा को क्षति पहुँचायी है तो विज्ञापनकर्ता से वसूल की गयी धनराशि से निगम द्वारा तत्काल मरम्मत करा देना चाहिये।

(6) **अनुज्ञा पत्र के ब्योरे का प्रदर्शन**–अनुज्ञा-पत्र का ब्यौरा और अनुज्ञा की सम्पत्ति का दिनांक प्रत्येक विज्ञापन पट्टिका पर इस प्रकार लगाया जायेगा कि इसे नग्न नेत्रों से देखा व पढ़ा जा सके।

18–दुकानों पर विज्ञापन–किसी दुकान पर कोई भी विज्ञापन नगर आयुक्त की पूर्व अनुमति के बगैर और अनुज्ञा शुल्क के पूर्व भुगतान के बिना दफ्ती लटकाकर, स्टीकर चस्पा करके, पेंटिंग, लेखन द्वारा या किसी अन्य विधि से संप्रदर्शन द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जायेगा।

स्पष्टीकरण-(एक) यदि सामग्री बेचे जाने वाली दुकान का नाम अथवा उसके बिना भी, फलक लटकाकर, पेन्टिंग द्वारा या किसी भी अन्य विधि से संप्रदर्शित या प्रदर्शित किया जाय, तो प्रत्येक दुकान के लिए केवल एक ऐसे विज्ञापन पट्ट को विज्ञापन नहीं माना जायेगा और वह इस उपविधि के अधीन विज्ञापन अनुज्ञा शुल्क देय नहीं होगा।

(दो) परन्तु यदि कोई विज्ञापन लटकाकर, चिपकाकर अथवा किसी अन्य रीति से इस प्रकार संप्रदर्शित किया जाय कि उसमें विक्रय की जाने वाली वस्तुओं का उल्लेख हो और गुण आदि का विवरण हो तथा वह सामान्य जनता

का ध्यान विज्ञापन के रूप में स्वतन्त्र रूप से आकर्षित कर रहा हो तो यह इस उपविधि के अधीन विज्ञापन अनुज्ञा शुल्क देय होगा।

19–मार्गाधिकार (राष्ट्रीय राजमार्ग/राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को छोड़कर) के भीतर अनुज्ञा प्राप्त विज्ञापन–सम्बन्धित मार्ग की क्षमता, क्षेत्र के सम्पूर्ण सौंदर्यबोध और सार्वजनिक सुरक्षा पर निर्भर करते हुए निम्नलिखित विज्ञापनों को मार्गाधिकार के भीतर राष्ट्रीय राजमार्ग/राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को छोड़कर, अनुज्ञा प्रदान की जायेगी।

मार्ग प्रकाश के खम्भों पर विज्ञापन–(एक) अभिकल्प–विज्ञापन फलक का आकार चौड़ाई 0.79 मीटर गुणे 1.2 मीटर से अधिक नहीं रखी जायेगी और विज्ञापन के निचले तल की भू-तल से ऊँचाई 2.5 मीटर से कम नहीं रखी जायेगी। किसी भी दशा में विज्ञापन फलक वाहन मार्ग में प्रक्षिप्त नहीं होगा।

(2) बस सायवानों पर विज्ञापन :–

अभिकल्प–बस सायवानों (बस शेल्टर) के विज्ञापन फलक पर क्षेत्र व मार्ग नम्बर को देखने के लिए 1.5 मीटर फलक की लम्बाई को छोड़ते हुए विज्ञापन की अनुज्ञा प्रदान की जायेगी। यस सायबान पर विज्ञापन पट की लम्बाई साययान की कुल लम्बाई से अधिक न होगी तथा अधिकतम ऊँचाई 0.90 मीटर रखी जायेगी। प्रत्येक बस सायबान निगम द्वारा उपलब्ध करायी गयी डिजाइन के अनुसार ही निर्मित कराया जायेगा तथा उस पर नगरीय परिवहन विभाग द्वारा अनुमोदित किराया सूची, सिटी बसों का रूट नम्बर एवं उसकें निर्धारित मार्ग का विवरण अंकित करना अनिवार्य होगा। सम्बन्धित विज्ञापनकर्ता, जिसे बस सायबान पर विज्ञापन प्रदर्शन की अनुज्ञा प्रदान की गयी हो, उसे वस सायबान का अनुरक्षण स्वयं के व्यय पर समय-समय पर कराना अनिवार्य होगा।

(3) स्थानों की पहचान के लिए महत्वपूर्ण जंक्शनों पर विज्ञापन–नियम–13 में विहित यातायात सुरक्षा उपायों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न स्थानों पर पहुँचाने को सुगम बनाने के लिए नगर आयुक्त द्वारा महत्वपूर्ण मार्ग जंक्शनों पर 2 मीटर x 0.35 मीटर आकार की पट्टी से युक्त मानक रूप में फलक लगाये जा सकते है। विज्ञापनकर्ता को नगर आयुक्त के अनुमोदन के अनुसार फलक की पट्टियों पर संस्तुत रंग व आकार में नामों, दूरी व दिशा आदि पेंन्ट करने की अनुज्ञा होगी।

(4) यातायात रोटरी/सड़क – नगर आयुक्त यातायात विभाग (राजपत्रित अधिकारी/यातायात प्रभारी) के परामर्श से यातायात रोटरी/सड़क यातायात बूथ के विकास व रख-रखाव की अनुज्ञा दे सकते है। यातायात रोटरी आईलैण्ड/यातायात/पुलिस बूथ पर उसकी कुल चौड़ाई एवं ऊँचाई से अधिक का विज्ञापन प्रदर्शित नहीं किया जायेगा तथा विज्ञापन की ऊँचाई अधिकतम 0.90 मीटर रखी जायेगी। इसके लिए विज्ञापनकर्ता को उपविधि में विहित दरों पर विज्ञापन अनुज्ञा शुल्क तथा निर्धारित न्यूनतम प्रीमियम जमा करना होगा।

(5) मैदानों, पगडंडियों के किनारे रक्षक पट्टियों– नगर आयुक्त अभिकरण को मैदान/पगडंडी के किनारे रक्षक पट्टियों की व्यवस्था करने एवं उनका रख-रखाव करने के साथ-साथ अभिकरण को नगर आयुक्त द्वारा यथा अनुमोदित पट्टियों पर नाम उत्पाद को संप्रदर्शित करने की अनुज्ञा प्रदान कर सकते है। अभिकरण रक्षक पट्टी के अभिकल्प के लिए नगर आयुक्त को अनुमोदन प्राप्त करने और नगर आयुक्त के संतोषप्रद रूप में समय-समय पर रक्षक पट्टी/विभाजक का रख-रखाव करने और मुख्यतः पेन्ट करने के लिए आबद्धकर होगा। इस पर लगने वाले विज्ञापन पट का अधिकतम आकार 0.45 मीटर गुणे 0.75 मीटर होगा तथा सड़क से न्यूनतम ऊँचाई 2.5 मी० होगी।

(6) वृक्ष रक्षक (ट्री गार्ड)– नगर आयुक्त अभिकरण को पौधों के चारों तरफ अनुमोदित अभिकल्प के वृक्ष रक्षक की व्यवस्था एवं रखरखाव करने के साथ-साथ अभिकरण को नगर आयुक्त द्वारा यथा अनुमोदित वृक्ष रक्षकों पर नाम/उत्पाद का संप्रदर्शित करने की अनुज्ञा दे सकता है परन्तु 0.90 मीटर से कम चौड़े डिवाईडरों पर ट्री-गार्ड लगाये जाने की अनुमति नही होगी।

(7) पुष्प पात्र स्टैण्ड (फ्लावर पॉट स्टैण्ड)– नगर आयुक्त किसी अभिकरण को सड़क विभाजक पर अनुमोदित अभिकल्प के पुष्प पात्र स्टैण्ड की व्यवस्था एवं रख-रखाव करने की अनुज्ञा प्रदान कर सकते है। दो पुष्प

पात्र स्टैण्डों के मध्य कम से कम 05 मीटर की दूरी होनी चाहिये। अधिकतम 0.45 गुणे 0.75 मीटर माप के विज्ञापन पट्ट अपने दोनों ओर संप्रदर्शित किये जा सकते है, परन्तु सड़क सतह से ऊपर विज्ञापन पट्ट के निचले भाग का उर्ध्व निकास 2.5 मीटर से कम नहीं होना चाहिये। परन्तु यह कि विज्ञापन पट्ट की चौड़ाई दोनों ओर के विभाजकों की चौड़ाई से 0.25 मीटर कम होगी ओर पुष्प पात्र को उसके संरेखण (विभाजक के दिशा के समानान्तर) में रखा जायेगा।

20—छूट— (1) इस उपविधि की कोई बात निम्नलिखित विज्ञापनों एवं विज्ञापन पट्टों पर लागू नही होगी—

(एक) यदि किसी कार्यालय, दुकान या अधिष्ठान का केवल नाम किसी ऐसे विज्ञापन पट्ट पर प्रदर्शित किया जाता है जो ऐसे कार्यालय, दुकान या अधिष्ठान पर परिनिर्मित या संस्थापित किया गया हो।

(दो) यदि किसी आवासीय भवन के स्वामी का केवल नाम व पता ऐसे भवन से लगे किसी विज्ञापन पट्ट पर प्रदर्शित किया जायें।

(तीन) किसी सरकारी या अर्धसरकारी कार्यालय का नाम व पता ऐसे परिसरों के भीतर रखे किसी विज्ञापन पट्ट पर प्रदर्शित किया जायेगा।

(चार) यातायात विभाग द्वारा प्रदत्त सभी यातायात विज्ञापन पट्ट, संकेतन, यातयात चेतावनी और संदेश, किसी न्यायालय के आदेश या निर्देशों के अधीन संप्रदर्शित सभी नोटिसें, पैट्रोल और डीजल की उपलब्धता को इंगित करने वाले सभी विज्ञापन पट्ट, परन्तु उनकी माप 0.6 मीटर गुणे 0.6 मीटर से अधिक न हो।

(पांच) यदि विज्ञापन पट्ट किसी भवन की खिड़की के भीतर प्रदर्शित किये जाये, किन्तु उसमें भवन का प्रकाश व संवातन प्रभावित न हो।

(छ) यदि यह ऐसी भूमि या भवन, जिस पर ऐसा विज्ञापन प्रदर्शित किया जाता है, के भीतर चलाये जा रहे व्यापार या कारोबार से या ऐसी भूमि या भवन के विक्रय मनोरंजन या बैंक या अक्षरांकन या उसके भीतर किसी अन्य कार्य से या किसी ऐसी ट्रैमकार, ओननीयस या अनय वाहन, जिस पर ऐसा विज्ञापन प्रदर्शित किया जाता हो, के स्वामी द्वारा चलाये जा रहे व्यापार या कारोबार से सम्बन्धित हो, परन्तु यह 0.90 वर्गमीटर से अधिक न हो।

(सात) इसके अतिरिक्त नियम 19 के उप नियम (2) से (5) के अधीन आच्छादित विज्ञापन पट्टों के लिए किसी अनुज्ञा की आवश्यकता नही है। फिर भी ऐसी छूट से यह अर्थ नही लगाया जायेगा कि विज्ञापन पट्ट का स्वामी इस उपविधि के अनुपालन में परिनिर्माण या रख-रखाव के उत्तरादायित्व से निर्मुक्त है।

(2) दीवार विज्ञापन पट्ट :— नीचे सूचीबद्ध दीवारों के लिये किसी अनुज्ञा पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

(एक) **भण्डारण विज्ञापन पट्ट** :— किसी प्रदर्शित खिड़की के ऊपर किसी भण्डारण या कारबार अधिष्ठान के दरवाजे के ऊपर परिनिर्मित या अप्रकाशित विज्ञापन पट्ट जो मालिक के नाम और उसमें संचालित कारबार की प्रकृति को घोषित करते हों, विज्ञापन पट्ट 01 मीटर से ऊँचे और कारबार अधिष्ठान की चौड़ाई से अधिक नहीं होने चाहिये।

(दो) **सरकारी भवन विज्ञापन पट्ट** :— किसी नगर पालिका राज्य या केन्द्रीय सरकार के भवन पर परिनिर्मित ऐसे विज्ञापन पट्ट जो अध्यासन के नाम प्रकृति या सूवना घोषित करते हों।

(तीन) **नाम पट्ट** :— किसी भवन या संरचना पर परिनिर्मित कोई ऐसा विज्ञापन पट्ट जो भवन के अध्यासी के नाम का इंगित करता हो और जो क्षेत्रफल में 0-5 वर्गमीटर से अधिक न हो।

(चार) ऐसे विज्ञापन पट्ट जो किसी यात्रा मार्ग, स्टेशन या सार्वजनिक सुविधा के स्थानों की ओर इंगित करते हो।

(3) अस्थाई विज्ञापन पट्ट :— (एक) निर्माण स्थल संकेतरू निर्माण संकेत, इंजीनियर एवं वास्तुविद के संकेत, और अन्य समान संकेत जो निर्माण अभियान के सम्बन्ध में नगर आयुक्त द्वारा प्राधिकृत किये जायें।

(दो) **विशेष संप्रदर्शित संकेत** :— अवकाशों, सार्वजनिक प्रदर्शिनयों या नागरिक कल्याण की प्रोन्नति या धर्मार्थ प्रयोजन के लिए प्रयोग किये जाने वाले विशेष सजावटी संप्रदर्शन, जिस पर, कोई वाणिज्यिक विज्ञापन न हो.

परन्तु यह कि नगर आयुक्त किसी परिणामिक नुकसान के लिये उत्तरादायी नही हो। (नियम– 15 (2) अस्थाई विज्ञापन पट्ट के लिए आवश्यकता देखिये।

21–विशेष विज्ञापन–(1) यदि अनुसूची–2 जिसके अन्तर्गत प्रतिषिद्ध क्षेत्र भी है, द्वारा कोई विशेष या सार्वजनिक हित का विज्ञापन आच्छादित नहीं है तो नगर आयुक्त उसे ऐसे अनुबन्ध एवं शर्तों पर और इस उपविधि द्वारा निर्धारित अनुज्ञा शुल्क के दो गुना, अनुज्ञा शुल्क के भुगतान पर परिनिर्मित करने, प्रदर्शित करने, संप्रदर्शित करने, लगाने, चस्पा करने, लिखने, रेखाकंन करने या लटकाने की अनुज्ञा प्रदान कर सकते हैं।

(2) प्रत्येक ऐसे अनुज्ञा, अनुज्ञा के दिनांक से एक माह तक के लिए विधिमान्य होगी। ऊपर उल्लिखित अवधि की समाप्ति पर अनुज्ञा को अग्रेतर एक माह के लिए बढ़ाया जा सकता है। यदि अनुज्ञा की आवश्यकता किसी अग्रेतर अवधि के लिए हो तो नगर आयुक्त के समक्ष स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना चाहिये।

22– विशेष नियंत्रण क्षेत्र–(1) जब कभी नगर आयुक्त की राय में इस उपविधि में निर्बन्धनों के अनुसार अन्यथा अनुमति विज्ञापन युक्ति से निगम के अधिकार क्षेत्र के भीतर किसी विशिष्ट क्षेत्र को क्षति पहुँचने या उसके विरूपित होने की सम्भावना हो, तो वह ऐसे क्षेत्र को विशेष नियन्त्रण क्षेत्र घोषित कर सकता है। सार्वजनिक उपयोग के पार्को और भूमि को भी विशेष नियन्त्रण क्षेत्र के रूप में सम्मिलित किया जा सकता है।

(2) उपनियम (1) के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुये, ऐसे क्षेत्र के भीतर किसी विज्ञापन का परिनिर्माण और प्रदर्शन निषिद्ध किया जायेगा या किसी प्रकार से जैसा कि नगर आयुक्त द्वारा आवश्यक समझा जाय सीमित किया जायेगा। नगर आयुक्त निगम की अधिकारिता वाले क्षेत्र में व्यापक प्रसार वाले किसी एक या अधिक समाचार पत्रों में, ऐसे क्षेत्र की घोषणा करने के सम्बन्ध में अपने आशय को प्रकाशित करेगा। ऐसे क्षेत्र के भीतर सम्पत्ति का कोई स्वामी, जो ऐसी घोषणा से व्यथित अनुभव करें, ऐसे क्षेत्र की घोषणा के विरूद्ध ऐसे प्रकाशन से एक माह के भीतर नगर आयुक्त को अपील कर सकता है, जिसका विनिश्चय अन्तिम होगा।

(3) किसी बरामदा/दुकान विज्ञापन की शब्दावल, विशेष नियंत्रण के किसी क्षेत्र में नगर आयुक्त द्वारा अनुमत हो, स्वामी या फर्म के नाम, जो उस परिसर के अध्यासी हो. तक सीमित होगी। भवन या संस्था का नाम, चलाये जा रहे साधारण व्यवसाय या व्यापार का नाम यथा ज्वैलर्स, कैफे डांसिग या भवन के प्रवेश की स्थिति के सम्बन्ध में सूचना हो सकती है या सिनेमा या नाटक कार्यक्रम के सम्बन्ध में या इसी प्रकार की कोई सूचना हो सकती है। किसी भी बरामदे के विज्ञापन में विशेष नियन्त्रण के किसी क्षेत्र में व्यापार की किसी विशिष्ट वस्तु का विज्ञापन नही होगा और न ही मूल्य या मूल्य में कमी से सम्बन्धित ऐसा कोई विज्ञापन होगा।

(4) विशेष नियंत्रण के क्षेत्र से तीस मीटर दूरी के भीतर उप नियम (3) के अधीन दी गयी अनुज्ञा के सिवाय समान्यतः कोई अन्य विज्ञापन पट्ट नहीं प्रदर्शित होगा।

23–निषिद्ध क्षेत्र की घोषणा–निगम या राज्य सरकार या केन्द्र सरकार किसी क्षेत्र या किन्हीं क्षेत्रों को विज्ञापन या विज्ञापनपटों का परिनिर्माण, प्रदर्शन, संप्रदर्शन, लगाना, चिपकाना, लेखन, आरेखण या लटकाने के लिए निषिद्ध घोषित करें। इस प्रकार के आदेश के विरुद्ध घोषणा की तिथि से एक माह के भीतर अपील आयुक्त, बरेली मण्डल के समक्ष की जा सकती है।

24–झण्डियों पर रोक–(1) कोई भी व्यक्ति नगर आयुक्त से पूर्व में प्राप्त लिखित अनुज्ञा के बिना किसी झण्डी का प्रदर्शन, सम्प्रदर्शन या लटकाने की क्रिया नहीं करेगा।

(2) कोई भी अनुज्ञा निगम या राज्य सरकार या केन्द्र सरकार द्वारा निषिद्ध क्षेत्र के रूप में निर्धारित क्षेत्र में इस उपविधि के अधीन प्रदान नहीं की जायेगी।

(3) इस उपविधि का उल्लंघन कोई भी व्यक्ति ऐसे शास्ति का दायी होगा, जो नगर आयुक्त द्वारा अधिरोपित की जाये और वह प्रति झण्डी दो सौ रूपये से कम नहीं होगी।

(4) नगर आयुक्त इस नियम में निर्दिष्ट झण्डी को हटा सकता है और उसे समाप्त या विनष्ट कर सकता है।

25–अनुरक्षण और निरीक्षण–(1) अनुरक्षण : सभी विज्ञापन जिनके लिए अनुज्ञा अपेक्षित है, उन्हें अवलम्बों, बंधनी, रस्सा और स्थिरक के साथ भली प्रकार मरम्मत किये जायेंगे, जो कि ढांचागत और कलात्मक दोनों ही दृष्टिकोण से होगी और जब चमकीले या अनुमोदित अज्वलनशील सामग्री से निर्मित नहीं होंगे तो उन पर मोर्चा लगने से रोकने के लिए रंग-रोगन समय-समय पर किया जायेगा।

(2) सुव्यवस्था : प्रत्येक विज्ञापन, के स्वामी का यह कर्तव्य और उत्तरदायित्व होगा कि वह विज्ञापन हेतु छेके गये परिसर में सफाई, स्वच्छता, आवश्यक मरम्मत और स्वास्थ्य सम्बन्धी परिस्थितियों का ध्यान रखें।

(3) निरीक्षण : प्रत्येक विज्ञापन, जिसके लिए परमिट जारी किया गया हो और प्रत्येक विद्यमान विज्ञापन जिसके लिए कोई परमिट अपेक्षित हो, का निरीक्षण प्रत्येक पंचांग वर्ष में कम से कम एक बार किया जायेगा।

26–प्रवेश और निरीक्षण की शक्ति–नगर आयुक्त या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत कोर्ठ निगम अधिकारी या सेवक कोई निरीक्षण, खोज, पर्यवेक्षण, माप या जांच करने के प्रयोजन के लिए या ऐसा कार्य निष्पादित करने के लिए जो इस उपविधि द्वारा तद्धीन प्राधिकृत हो या जो किसी प्रयोजन के लिए आवश्यक हो या इस उपविधि के उपबन्ध के अनुसरण में सहायकों या श्रमिकों के साथ या उनके बिना किसी परिसर में या उस पर प्रवेश कर सकता है, परन्तु।

(एक) सूर्योदय और सूर्यास्त के मध्य के सिवाय, अन्य किसी समय, अध्यासी को नोटिस दिये बिना अथवा भूमि या भवन के स्वामी/अध्यासी के न होने पर भूमि/भवन में प्रवेश नहीं किया जायेगा।

(दो) प्रत्येक स्थिति में ऐसी भूमि या भवन से महिला, यदि कोई हो तो, हट सकने के लिए पर्याप्त अवसर दिया जायेगा।

(तीन) जहां तक ऐसे प्रयोजन की आवश्यकताओं के अनुरूप हो जिसके लिए प्रवेश किया गया है। प्रविष्टि की गयी भूमि या भवन के अध्यासियों के सामाजिक और धार्मिक उपयोगिताओं की ओर सम्यक, ध्यान दिया जायेगा।

27–क्षेत्रों का वर्गीकरण–विज्ञापनों पर अनुज्ञा शुल्क के प्रयोजनार्थ प्रतिषिद्ध क्षेत्र व अन्य क्षेत्रों के वर्गीकरण का विनिश्चय नगर आयुक्त द्वारा निम्नलिखित वर्गों में किया जायेगा :–

(एक) निषिद्ध श्रेणी क्षेत्र

(दो) प्रवर श्रेणी क्षेत्र

(तीन) अ श्रेणी क्षेत्र

(चार) ब श्रेणी क्षेत्र

(पांच) स श्रेणी क्षेत्र

(एक) (क) निजी भूमि भवन एवं सार्वजनिक स्थल विज्ञापन के अन्तर्गत किसी भी प्रकार के विज्ञापन प्रचार हेतु निषिद्ध क्षेत्र :

(ख) स्थल विज्ञापन के अन्तर्गत होर्डिंग एवं यूनिपोल हेतु प्रतिबन्धित क्षेत्र :

(1) राष्ट्रीय राजमार्ग/भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के स्वामित्व वाले मार्ग

(2) नगर आयुक्त वी0वी0आई0पी0 मूवमेंट, यातायात एवं सुरक्षा की दृष्टि से तथा भविष्य में मैट्रों रेल हेतु निर्धारित रूट पर पिलर के निर्माण को दृष्टिगत रखते हुये किसी भी क्षेत्र को प्रचार हेतु प्रतिबन्धित क्षेत्र घोषित किये जाने के लिए अधिकृत होंगे।

(दो) प्रवर श्रेणी क्षेत्र :

प्रवर श्रेणी : सिविल लाईन, रामपुर गार्डन क्षेत्र, रेलवे जंक्शन, पुरानी चुंगी चौकी से चौकी चौराहा होते हुये पटेल चौक मार्ग, कुतुबखाना, घंटाघर क्षेत्र, पटेलचौक से चौपला चौराहा माल गोदाम रोड होते हुये पुलिस लाईन रोड, सिटी स्टेशन मार्ग, चौकी चौराहा से कालेज रोड चौराहा, प्रभा टाकीज मार्ग, शाहमतगंज चौराहा रोडवेज स्टेशन के आस-पास राजेन्द्र नगर चौराहा, प्रेमनगर चौराहा क्षेत्र, जनकपुरी टीबरी, आवास विकास कालोनी क्षेत्र, शाहजहांनपुर व पीलीभीत बाईपास मार्ग, शाहमतगंज व मार्केट के आस-पास सत्या पेट्रोल पम्प के आस-पास, कोहाड़ापीर।

(तीन) अ श्रेणी क्षेत्र :

अ श्रेणी क्षेत्र : माडल टाउन, प्रभात नगर, शाहदाना कालोनी, एकतानगर, गांधीनगर, इन्द्रानगर, नरकुलागंज, कानूनगोयान, नैनीताल रोड, रामपुर रोड व ओवर ब्रिज क्षेत्र, किला क्षेत्र नेकपुर के आस-पास, बदायूं मार्ग, तालाब चौधरी रेलवे क्रासिंग के आस-पास।

(चार) ब श्रेणी क्षेत्र :

ब श्रेणी क्षेत्र : शाहदाना, सुभाषनगर सब्जी मंडी, आई0वी0आर0आई0 रोड, गंगापुर, कालीबाड़ी, माधोबाड़ी, सिकलापुर, बासमंडी सराय खाम, गुलाबनगर।

(पांच) स श्रेणी क्षेत्र

स श्रेणी क्षेत्र : कालोनी तथा मोहल्ले की मुख्य मार्गों को छोड़कर अन्दर वाला भाग तथा ऐसे क्षेत्र जो ऊपर उल्लिखित नहीं है। (प्रतिबन्धित क्षेत्रों को छोड़कर)

28–हटाये जाने की लागत– नियम 12 के उप नियम (1) में निर्दिष्ट किसी विज्ञापन या विज्ञापन पट के हटाने या साफ किये जाने की लागत निम्नवत् होगी–

(क) 6.1 x 3.05 मी0 या उससे कम के प्रति विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट के हटाने की वास्तविक आय–

(ख) ऊपर खण्ड (क) में निर्दिष्ट विज्ञापनों या विज्ञापन पट्टों से बड़े प्रति विज्ञापन एवं विज्ञापन पट्ट को हटाने की लागत–

(ग) निजी भवन पर (छत के ऊपर) किसी विज्ञापन अथवा सम्पूर्ण विज्ञापन पट को हटाने की लगात।

(घ) किसी सार्वजनिक अथवा निजी दीवारों पर की गयी पेंटिग के माध्यम से किये गये प्रचार को साफ करने लागत–

(क) 6.1 x 3.05 मीटर या उससे कम के प्रति रु0 5000/– विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट के हटाने की वास्तविक आय–

(ख) ऊपर खण्ड (क) में निर्दिष्ट विज्ञापनों या रु0 10000/– विज्ञापन पट्टों से बड़े प्रति विज्ञापन एवं विज्ञापन पट्ट को हटाने की लागत–

(ग) निजी भवन पर (छत के ऊपर) किसी रु0 20000/– विज्ञापन अथवा सम्पूर्ण विज्ञापन पट को प्रति विज्ञापन पट हटाने की लागत–

(घ) किसी सार्वजनिक अथवा निजी दीवारों पर रु0 100/– की गयी पेंटिग के माध्यम से किये गये प्रति वर्गफिट प्रचार को साफ करने की लागत।

29–अपराधों के लिए दण्ड और उनका प्रशमन–(1) इस उपविधि के उपबन्धों का किसी प्रकार का उल्लंघन ऐसे जुर्माने से जो रु0 10000/– (दस हजार रुपये) तक हो सकता है और उल्लंघन करते रहने की दशा में, प्रथम उल्लंघन की दोष सिद्धि के पश्चात्, प्रत्येक ऐसे दिन के लिए, जिस दौरान ऐसा उल्लंघन जारी रहा हो, ऐसे जुर्माने से, जो रु0 500/– (पांच सौ रुपये) प्रतिदिन तक एवं प्राथमिकी दर्ज कराये जाने तक हो सकता है, दण्डनीय होगा।

(2) उप नियम (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुये भी, इस उपविधि के अधीन दण्डनीय किसी अपराध को अपराध के लिए निर्धारित धनराशि के आधे से अनन्यून और तीन चौथाई से अनधिक धनराशि वसूल करने पर नगर आयुक्त या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा प्रशमित किया जा सकता है।

प्रपत्र सं0.....

मूल्य रु 1000/–

अनुसूची–1

पंजीकरण फॉर्म

(देखिए उप–विधि 5(1)

नगर निगम, बरेली

बाहरी विज्ञापन प्रदर्शन के लिये पंजीकरण

01–कम्पनी अधिनियम 2013 (2013 का केन्द्रीय अधिनियम 18) या समिति दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 (2009 का केन्द्रीय अधिनियम, 6) में रजिस्ट्रेशन ब्योरों सहित .....

.....

02–रजिस्टर्ड पता .....

03–टेलीफोन नम्बर ..... व्यापार .....

04–निदेशकों/स्वामियों/भागीदारों के ब्योरें .....

क्र0 सं0	फर्म का नाम	डी0आई0एन0 नम्बर	मोबाईल नं0	ई–मेल पता
01				
02				

05–कम्पनी के समय ज्ञापन तथा संगम अनुच्छेद .....

06–पिछले 03 वर्षों के विज्ञापन कारोबार में अभिकरण का अनुभव, ब्योरे यदि उपलब्ध हों .....

.....

07–अभिकरण के प्रत्येक निदेशक के कार्य अनुभव का विवरण .....

08–निदेशक का विवरण, जो किसी अन्य अभिकरण के निदेशक रहते हुये किसी मामले में दोषी रहे हों .....

.....

09–पिछले 03 वर्षों की बैलेंसशीट, यदि उपलब्ध हो .....

10–अभिकरण के प्राधिकृत हस्ताक्षरी के लिये न किसी व्यक्ति निदेशक बोर्ड (संकल्प पारित करके) प्राधिकार पत्र .....

.....

11–बरेली नगर निगम में पिछले 05 वर्षों में प्राप्त विज्ञापन अधिकार/अनुमति के ब्योरे .....

.....

12–वचन के अभिकरण, बरेली नगर निगम में उसके विरुद्ध कोई राशि लम्बित नहीं है .....

.....

13–संस्था की किस्म .....

14–पेन नंबर .....

15–जी0एस0टी नंम्बर .....

16–पंजीकरण राशि .....

17– आवेदक फर्म/कम्पनी को पिछले 03 वर्षों में किसी भी सरकारी संस्था द्वारा काली सूची में डाला नहीं गया है : ☐ हां ☐

18–आवेदक फर्म/कम्पनी में कोई लम्बित बकाया नहीं है– हां ☐ नहीं ☐

19–यदि हां कुल लम्बित राशि का विवरण दें .....

20–आवेदक फर्म/कम्पनी में कोई भी मामला न्यायालय में लम्बित नहीं है– हां ☐ नहीं ☐

मैं/हम इस इसके द्वारा बनाई गयी विज्ञापन उपविधि/पॉलिसी के निबन्धों तथा शर्तों तथा मार्गदर्शनों का पालन करूंगा/करेंगे– हां ☐ सहमत ☐

उपरोक्त सूचीबद्ध सूचना भी सत्य तथा प्रमाणिक है तथा इसके सम्बन्ध में प्रतिकूल निष्कर्ष के मामले में रजिस्ट्रेशन रद्द हो जायेगा। जमा करें ☐

(ऑफलाईन प्रस्तुतिकरण के मामले में, कृपया इस प्रारूप प्रिंट आउट ले तथा "नगर आयुक्त, बरेली नगर निगम में भुगतान योग्य" के पक्ष में नगर निगम द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट ऐसी धनराशि के डिमान्ड ड्राफ्ट सहित इसे प्रस्तुत करें)

टिप्पणी :– यह केवल एक प्रतीकी प्रारूप है तथा समय–समय पर ..... के नगर निगम द्वारा रुपान्तरण/संशोधन के अध्याधीन है। वेबाइट से नवीनतम संस्करण हमेशा प्रयोग किया जाना है।

नोट :– सभी सूचना भरना अनिवार्य है।

आवेदक के हस्ताक्षर/मोहर

नाम .....

पता .....

दूरभाष .....

प्रपत्र सं0 .....

मूल्य रु 1000/–

अनुसूची–2

(नियम 6(1) देखें)

विज्ञापन चिन्ह स्थापित करने की अनुमति हेतु आवेदन-पत्र

आवेदक/विज्ञापनकर्ता का नाम .....

01–अभिकरण, प्रतिष्ठान, कम्पनी या संस्था का नाम .....

.....

पता .....

.....

विज्ञापनकर्ता का पासपोर्ट आकार का रंगीन चित्र

02–आवेदित विज्ञापन या विज्ञापन पट का प्रकार .....

03–विज्ञापन या विज्ञापन पट का आकार (लम्बाई x चौड़ाई मीटर में) .....

.

04–स्थल नक्शा सहित स्थल की अवस्थिति .....

05–भूमि, भवन या स्थान के स्वामी या निवासी का नाम .....

.....

06–क्या यह सार्वजनिक स्थल है या व्यक्तिगत भूमि या भवन है? .....

07–(एक) यदि निजी स्थल या भवन है तो स्वामित्व प्रमाण-पत्र के साथ भू/भवन स्वामी की लिखित अनुमति, विकास प्राधिकरण/आवास विकास परिषद् का अनापत्ति प्रमाण-पत्र संलग्न करें।

(दो) भू/भवन स्वामी द्वारा इस आशय का वचन-पत्र, कि विज्ञापनकर्ता की चूक की दशा में वह देय अनुज्ञा शुल्क के भुगतान का दायी होगा, संलग्न करें।

(तीन) नगर आयुक्त द्वारा अनुमोदित संरचना अभियन्ता (Structure Engineer) द्वारा दिया गया भवन के भार वहन क्षमता सम्बन्धी रिपोर्ट।

08–(एक) अनुसूची–2 के अनुसार वार्षिक अनुज्ञा शुल्क .....

(दो) किश्त की धनराशि .....

09–देय प्रीमियम/नवीनीकरण अनुज्ञा शुल्क .....

10–कोई अन्य विवरण .....

संलग्क :–

दिनांक :–

आवेदक के हस्ताक्षर

दूरभाष नं0

मोबाई नं0

अनुसूची–3

(नियम 26 देखें)

विज्ञापन और विज्ञापन पट पर अनुज्ञा शुल्क की दरें

अनुज्ञा शुल्क की दरें–

01–एक स्तम्भ विज्ञापन पट – 20 x 10 (फुट)

रु0 3500 (तीन हजार पांच सौ) प्रति वर्ग मीटर प्रतिवर्ष

02–एक स्तम्भ (यूनीपोल) पर विज्ञापन पट – 30 x 10 (फुट) एवं 20 x 10 (फुट) रु0 3500 (तीन हजार पांच सौ) प्रति वर्ग मीटर प्रतिवर्ष

03–कैन्टीलीवर पर विज्ञापन – 20 x 10 (फुट)

रु0 3500 (तीन हजार पांच सौ) प्रति वर्ग मीटर प्रतिवर्ष

04—गेट एन्ट्री पर विज्ञापन — 50 x 10 (फुट)/सड़क की चौड़ाई के आधार पर

रु0 3500 (तीन हजार पांच सौ) प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष

05—विद्युत पोल/ट्री-गॉर्ड/फ्लॉवर पॉट/जन सुविधा पर विज्ञापन पट—

रु0 3500/— (तीन हजार पांच सौ) प्रतिवर्ग मीटर प्रतिवर्ष

06—बस शेल्टर/पुलिस बूथ/ट्रैफिक आईलैण्ड :—

(1) प्रवर श्रेणी क्षेत्र : रु0 4500/—(चार हजार पांच सौ) प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष

(2) "अ" श्रेणी क्षेत्र : रु0 3750/—(तीन हजार सात सौ पचास) प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष

(3) "ब" श्रेणी क्षेत्र : रु0 3000/—(तीन हजार) प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष

(4) "स" श्रेणी क्षेत्र : रु0 2250/—(दो हजार दो सौ पचास) प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष

07—(1) एल0ई0डी0 स्क्रीन के माध्यम से संचालित विज्ञापन हेतु उपरोक्त अनुज्ञा शुल्क के क्रम संख्या-1 से 5 तक निर्दिष्ट दरों पर 100 प्रतिशत अतिरिक्त अनुज्ञा शुल्क देय होगा।

(2) ट्यूबलाईट, एल0ई0डी0 लाईट, सोडियम लाईट, बल्ब व अन्य माध्यम से प्रकाशित/संचालित विज्ञापन पट हेतु उपरोक्त अनुज्ञा शुल्क की क्रम संख्या 1 से 5 तक निर्दिष्ट दरों पर 50 प्रतिशत अतिरिक्त अनुज्ञा शुल्क देय होगा।

(3) निजी भूमि/भवनों पर प्रदर्शित विज्ञापनों हेतु उपरोक्त अनुज्ञा शुल्क के क्रम संख्या 1 से 5 की निर्दिष्ट दरों का 75 प्रतिशत अनुज्ञा शुल्क देय होगा।

08—(1) शक्ति चालित चार पहिया वाहन पर विज्ञापन (सड़क प्रदर्शन को छोड़कर)

(एक) हल्का वाहन : रु0 625.50/—(छः सौ पच्चीस एवं पचास पैसे) प्रतिमाह प्रति वाहन

(दो) भारी वाहन : रु0 2500/—(दो हजार पांच सौ) प्रतिमाह प्रति वाहन

(2) सड़क प्रदर्शन निम्नलिखित दर पर :

(एक) तीन पहिया : रु0 225/— (दो सौ पच्चीस) प्रतिदिन

(दो) चार पहिया : रु0 450/— (चार सौ पचास) प्रतिदिन

(तीन) चार पहिया : रु 1125/— (ग्यारह सौ पच्चीस) प्रतिदिन

नोट :— यदि वाहनों पर डिजिटल/इलेक्ट्रोनिक माध्यमों से प्रदर्शन किया जाता है तो उपरोक्त दरें 100 प्रतिशत वृद्धि के साथ देय होगा।

09— गुब्बारे : रु0 750 (सात सौ पचास) प्रतिदिन

10— छतरी (कैनोपी) : रु0 337 (तीन सौ सैंतीस) प्रतिदिन

11— ऑटो रिक्शा थ्री व्हीलर : रु0 150 (एक सौ पचास) प्रतिदिन

12— बसों पर : रु0 300 (तीन सौ) प्रति वर्ग मीटर प्रतिमाह

13—रेलवे की जमीन पर लगने वाली होर्डिंग जिसका भाग सड़क के सम्मुख होने की दशा में अनुसूची-2 में अंकित अनुज्ञा शुल्क की दरों के क्रमांक-1 के अनुसार 75 प्रतिशत देय होगा।

14—उत्सव, मेला, प्रदर्शन, सर्कस तथा इस प्रकार जनता को आकर्षित करने वाले प्रदर्शन पर न्यूनतम 03 माह का अनुज्ञा शुल्क मद संख्या-1 के अनुसार लिया जायेगा।

15–ध्वनि विस्तारक यंत्र : रु0 150/– प्रति बाक्स/स्पीकर प्रतिदिन

16–जिन मदों का उल्लेख ऊपर नहीं किया गया है उनका अनुज्ञा शुल्क क्रमांक-1 के अनुसार देय होगा।

17–निजी भूमि/भवन पर स्ट्रक्चर लगाने से पूर्व भवन की मजबूती, स्ट्रक्चरल इंजीनियर से भवन की गुणवत्ता सुदृढ़ीकरण का प्रमाण-पत्र, भवन स्वामी का अनुबन्धनामा, विकास प्राधिकरण/आवास विकास परिषद् का अनापत्ति प्रमाण-पत्र सम्बन्धित को प्रस्तुत करना होगा। इस अनुसूची में विनिर्दिष्ट अनुज्ञा शुल्क की दरें अनुवर्ती वित्तीय वर्ष जिसमें यह उपविधि प्रवृत्त हुयी हो, के दो वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद दस प्रतिशत तक बढ़ी हुयी समझी जायेगी। तत्पश्चात् इसी प्रकार की वृद्धि प्रत्येक दो वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् प्रभावी होगी।

स्पष्टीकरण :–

1– अनुज्ञा शुल्क अग्रिम रूप से संदेय योग्य होगा।

2– यदि कोई विज्ञापनकर्ता किसी विज्ञापन को 03 माह से अधिक अवधि के लिये प्रदर्शित करना चाहता है तो नगर आयुक्त निर्देश कर सकते हैं कि अनुज्ञा शुल्क मासिक आधार पर आंगणित होगा। सम्पूर्ण धनराशि एक बार में जमा करायी जायेगी।

3– अनुज्ञा शुल्क के सभी अवशेष अधिनियम के अध्याय इक्कीस के अनुसार वसूली योग्य होंगे।

संजीव कुमार मौर्य,
नगर आयुक्त,
नगर निगम, बरेली।

कार्यालय, नगर पंचायत उसहैत, बदायूँ

विज्ञप्ति

07 जून, 2024 ई0

सं0 34/न0पं0उसहैत/2024-25–उ0प्र0 नगर पलिका अधिनियम 1916 की धारा-298 (2) सूची 1 के अर्न्तगत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये नगर पंचायत उसहैत बदायूँ द्वारा विधिक (शुल्क) नियमावली, 2024 उपविधि नगर पंचायत उसहैत जनपद बदायूँ द्वारा नगर पंचायत सीमा के अन्तर्गत विविध कर (शुल्क) उपविधि नियमावली 2024 प्रस्तावित करते हुये उपरोक्त नियमावली धारा 301 के अन्तर्गत प्रकाशन पश्चात् उसके किसी बिन्दु या सभी बिन्दुओं पर किसी व्यक्ति/समूह को आपत्ति हो या सुझाव हो तो अपनी लिखित आपत्ति/सुझाव नगर पंचायत के कार्यालय में प्रकाशन तिथि के 30 दिन के अन्दर प्राप्त करा सकता है। तत्क्रम में नगर पंचायत उसहैत द्वारा बोर्ड दिनॉक 13 दिसम्बर, 2023 को प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया तत्क्रम में दैनिक समाचार-पत्र दैनिक जागरण दिनांक 07 जून, 2024 को प्रकाशित कराकर 30 दिवस के अन्दर अपत्ति एंव सुझाव आमत्रित किया गया निर्धारित समावधि 30 दिन के अन्दर कोई भी आपत्ति एवं सुझाव प्राप्त नही हुआ। उपरोक्त उपविधि को उसी रूप में सर्वसम्मति से स्वीकृती प्रदान की गयी है। निम्नवत् उपविधि को गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी माना जायेगा।

(1)– संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारम्भ–

(क) यह उपविधि नगर पंचायत उसहैत नगरी ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन तथा स्वच्छता उपविधि 2024 कहलायेगी।

(ख) यह उपविधि नगर पंचायत उसहैत सीमा के अन्दर लागू होगी।

(ग) यह गजट प्रकाशन के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

(2)– परिभाषाएं–

(क) '' अधिनियम'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 से है।

(ख) ''नगर पंचायत'' से तात्पर्य नगर पंचायत उसहैत से है।

(ग) ''अध्यक्ष/प्रशासक'' का तात्पर्य नगर पंचायत उसहैत के अध्यक्ष/प्रशासक से है।

(घ) '' बोर्ड'' का तात्पर्य नगर पंचायत उसहैत के निर्वाचित बोर्ड अथवा शासन द्वारा स्थापित की गई व्यवस्था से है।

(ड) '' अधिशासी अधिकारी'' से तात्पर्य नगर पंचायत उसहैत के अधिशासी अधिकारी से है।

(च) '' अर्थदण्ड/जुर्माना'' का तात्पर्य इस उपविधि के अन्तर्गत आरोपित अर्थदण्ड/जुर्माना से है।

(3)– अपशिष्ट उत्पन्नकर्ता के कर्तव्य/नियम, प्रत्येक अपशिष्ट उत्पन्नकर्ता–

(क) उत्पन्न किए गए अपशिष्ट के पृथककृत और पृथक शाखाओं अर्थात जैव निम्नीकरणीय (बायोडिग्रेडेबल) अजैव निम्नीकरणीय (नॉन बायोडिग्रेडेबल) खतरनाक घरेलू परिसंकटमय अपशिष्ट के तीन अलग अलग डिब्बो मे भण्डारित करेगा और समय समय पर नगर पंचायत उसहैत द्वारा निर्देशो या अधिसूचना के अनुसार पृथक किये गये अपशिष्ट को संग्रहकर्ता को सौपेगा।

(ख) प्रयोग किए गए सेनेटरी अपशिष्ट जैसे डायपर, सेनेटरी पैडों आदि उत्पादों के निर्माताओ या ब्राण्ड स्वामियों द्वारा उपलब्ध कराए गए थैले मे सुरक्षित रूप से लपेट कर या अजैविक निम्नीकरण अपशिष्ट के लिए डिब्बे में उसे डालेगा।

(ग) सन्निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट को पृथक रूप से अपने ही परिसर में भण्डारित करेगा और ऐसा सनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट नियम 2016 के अनुसार पडेगा।

(घ) अपने परिसर से उत्पन्न कृषि अपशिष्ट उद्यान अपशिष्ट को परिसर मे ही पृथक रूप से भंडारित एकत्रित व निस्तारित करेगा और समय समय पर स्थानीय निकाय द्वारा जारी आदेशो का पालन करेगा।

(4)– कोई अपशिष्ट उत्पन्न कर्ता उसके कर्ता उसके द्वारा अपशिष्ट को गली, खुले सार्वजनिक स्थानो व नालो या जलाशयो मे न फेकेगा, न जलायेगा और न ही गाड़ेगा।

(5)– कोई व्यक्ति अग्रिम रूप से तीन कार्य दिवस पूर्व स्थानीय निकाय को सूचित किये बिना किसी गैर अनुज्ञप्ति वाले स्थान पर एक सौ व्यक्ति से अधिक ऐसा आयोजन या समारोह आयोजित नही करेगा। ऐसा व्यक्ति या आयोजक आयोजन स्त्रोत पर अपशिष्ट, अपशिष्ट संग्रहण अभिकरण को सौपेगा।

(6)– प्रत्येक मार्ग/पथ विक्रेता अपने कार्यकलाप के दौरान उत्पन्न अपशिष्ट जैसे कि खाद्य प्रयोज्य (डिस्पोजल) प्लेटो, कपों, डिब्बो, रैपरों, नारियल के छिलके बचे भोजन, फल साब्जियों फलो आदि को उपर्युक्त पात्र या वाहन मे डालेगा।

(7)– इन नियमो के अधिसूचित तारीख से एक वर्ष के अन्दर सभी आवास कल्याण और बाजार संघ स्थानीय प्राधिकरण की भागीदारी इन नियमो मे यथा विहित जनित्रो द्वारा अपशिष्ट का स्त्रोत पर पृथक करने, पृथक किये गये अपशिष्टो के अलग-अलग पात्रो मे संगृहण करने मे सहायता और पुनंचक्रणीय सामग्री को अधिकृत अपशिष्ट उठाने वाले अथवा प्राधिकृत पुनंचक्रणीय को सौपना सुनिश्चित करेगें/जैव अवक्रमणीय अपशिष्ट कर जहॉ तक संभव होगा परिसर के अन्दर संसाधित, उपाचारित पर कम्पोस्ट करके अथवा बायोमिथेनेशन के जरिए निपटान किया जायेगा। शेष अपशिष्ट नगर पंचायत उसहैत द्वारा यथा निर्देशित अपशिष्ट संग्रहकर्ताओ या अभिकरण को सौंप दिया जायेगा।

(8)– इन नियमो के अधिसूचना होने की तारीख से एक वर्ष के अन्दर 5000 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल वाले सभी गेट लगे समुदाय और संस्थान स्थानीय प्राधिकरण की भागीदारी मे इन नियमों में यथा विहित जनित्रो द्वारा अपशिष्ट का स्त्रोत पर ही पृथक किये गये अपशिष्ट को अलग अलग पात्रो मे संग्रहण करने मे सहायता करना तथा पुनंर्चक्रको को सौपना सुनिश्चित करेगें। जैव अवक्रमणीय अपशिष्ट को जहॉ संभव होगा परिसर के अन्दर संसाधित उपचारित और कम्पोस्ट करके अथवा बायोमिथेनेशन के जरिए निपटान किया जायेगा। शेष अपशिष्ट नगर पंचायत उसहैत द्वारा यथा निर्देशित अपशिष्ट संग्रहकर्ताओ या अभिकरण को दिया जायेगा।

(9)– इन नियमो के अधिसूचित होने की तारीख से एक वर्ष के अन्दर सभी होटलो एवं रेस्टोरेन्टो स्थानीय प्राधिकरण की भागीदारी में इन नियमों मे यथा विहित जनित्रो द्वारा अपशिष्ट को स्त्रोत पर पृथक किये गये अपशिष्ट को अलग-अलग पात्रो मे संग्रह करने में सहायता तथा पुनचक्रणीय सामग्री को अधिकृत अपशिष्ट उठाने वालो अथवा अधिकृत पुर्नचक्रो को सौपना सुनिश्चित करेगे। जैव अवक्रमणीय अपशिष्ट का जहॉ तक संभव होगा परिसर के अन्दर संसाधित उपचारित और कम्पोस्ट करके अथवा बायोमिथेनेशन के जरिए निपटान किया जाएगा। शेष अपशिष्ट नगर पंचायत उसहैत द्वारा यथा निर्देशित अपशिष्ट संग्रहकर्ताओ या अभिकरण को दिया जायेगा।

(10)– नगर पंचायत उसहैत के अन्दर खुले मे शौच करने वाले व्यक्तियों से 500 रुपये का जुर्माना वसूल किया जायेगा जिसकी अदायगी सम्बधित व्यक्ति को तुरन्त करनी होगी।

(11)– सार्वजनिक स्थलों, सडकों व नालियों में कूडा डालने पर न्यूनतम 250 रु0 तथा अधिकतम 1,000 रु0 जुर्माना वसूल किया जायेगा।

(12)– माननीय उच्च न्यायालय की सुनवाई दिनांक 09 नवम्बर, 2016 नगर विकास अनुभाग-5 के आदेश सं0-35992/नौ-5-2016-29रिट/204 दिनांक 08 नवम्बर 2016 के अनुपालन में सड़क के किनारे भवन निर्माण अवशेष रखने पर 50,000.00 का अर्थिक दण्ड वसूल किया जायेगा।

(13)– ऐसे आवासीय या व्यवसायिक परिसर जो प्रतिदिन 100 किलो से अधिक कूड़ा उत्पन्न करते है उन्हे स्वयं अपने परिसर में जैविक कचड़े का निस्तारण करना पडेगा।

(14)– सभी अपशिष्ट उत्पन्न कर्ताओ से उपशिष्ट संग्रहण हेतु यूजर चार्ज निम्न दरो पर वसूल किया जायेगा।

(1) आवसीय भवन (प्रति परिवार) – 30 रु0/माह

(2) व्यवसायिक भवन प्रत्येक दुकान, जलपान होटल – 100 रु0/माह

(3) व्यवसायिक भवन प्रत्येक काम्पलेक्स, होटल – 500 रु0/माह

(4) व्यवसायिक भवन फैक्ट्री, अर्द्धसरकारी संस्थान – 500 रु0/माह

(5) व्यवसायिक भवन चिकित्सा क्लीनिक – 200 रु0/माह

(6) व्यवसायिक भवन नर्सिग होम – 300 रु0/माह

(7) गेस्ट हाउस, रेस्तरा, निकाय क्षेत्र मे शादी/तिलक/अन्य आयोजन का समारोह – 500 रु0/माह

(8) निकाय क्षेत्र मे किसी व्यक्ति विशेष के मरे जानवर उठाने का शुल्क – 500 रु0/ प्रति जानवर

(15)– यूजर चार्ज भुगतान न करने की दशा में अधिशासी अधिकारी या उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को इस उपविधि में वार्णित की गई दरों के अनुसार देय धनराशि के अतिरिक्त उसका 20 गुना तक शमन शुल्क (कम्पाउडिंग फीस) वसूल करने का अधिकार होगा। यदि कोई उपभोक्ता एक वर्ष का यूजर्स अग्रिम (एडवांस) जमा करता है तो वह 01 माह के यूजर चार्ज की छूट प्राप्त करने का अधिकार होगा।

(16)– विधवा/बेसहारा/दिव्यांग/सेवानिवृत्त सैनिक महिला एकल रूप से (50 वर्ग गज मकान मे स्वयं निवास करती है।) यूजर्स चार्ज से शासनादेश के अनुसार मुक्त रखा जायेगा जिसका प्रमाण-पत्र प्रत्येक वर्ष नगर पंचायत उसहैत से प्राप्त करना होगा। यदि भवन का आंशिक भाग किराये पर दिया गया है तो वह भवन स्वामी छूट प्राप्त करने हेतु पात्र नही होगा।

(17)– वह वरिष्ठ नागरिक जो स्वयं के घर मे निवासित हो एवं शारीरिक अथवा मानसिक रूप से अस्वस्थ हो एवमं उनके साथ वृद्ध पत्नी के अतिरिक्त अन्य कोई परिवारीजन अथवा अन्य सहायक निवासित न हो उनको यूजर चार्ज से मुक्त रखा जायेगा। परन्तु ऐसे वरिष्ठ नागरिक को नगर पंचायत उसहैत से इस सम्बन्ध मे प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होगा तथा प्रतिवर्ष उसका नवीनीकरण कराना होगा। निकाय मे जिन परिवारों की आर्थिक स्थिति दयनीय होगी उसका प्रार्थना-पत्र प्राप्त निर्धारित अवधि में होने पर वसूली/निःशुल्क करने हेतु अधिशासी अधिकारी/निकाय को निर्णय करने का होगा।

(18)– अपशिष्ट उत्पन्नकर्ताओ हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र शुल्क प्रतिवर्ष–

(1) मछली फुटकर बिक्री	– 500.00
(2) मछली थोक बिक्री	– 1,000.00
(3) व्यक्तिगत जगह पर प्राइवेट हाट/बाजार लगवाना	– 18,000.00
(4) फल/सब्जी बिक्री	– 500.00
(5) फल/सब्जी थोक बिक्री	– 1,000.00
(6) अण्डा फुटकर बिक्री	– 500.00
(7) मुर्गा, बकरा, भैंस-भैस	– 1,000.00

(19)– **दण्ड**– उक्त धाराओ का उल्लंघन करना अपराध माना जायेगा। उल्लंघन की दशा में 5,000.00 जुर्माना से दण्डनीय होगा। जो प्रथम दोष सिद्धि के दिनांक के पश्चात् प्रत्येक ऐसे दिन के लिए जिसमें अपराधी द्वारा अपराध सिद्ध किया जाना सिद्धि है रु0 50.00 तक होगा। जुर्माना लगाये जाने को अधिकार अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत उसहैत को निहित होगा तथा वसूली नगर पालिका अधिनियम 1916 के अध्याय में निहित प्रावधानो के अन्तर्गत की जायेगी।

अध्यक्ष
नगर पंचायत उसहैत
बदायूँ

कार्यालय नगर पंचायत उसहैत, बदायूँ

07 जून, 2024 ई0

सं0 35/न0पं0उसहैत/2024-25/बायलाज/2024-25–उ0प्र0 नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगर पंचायत उसहैत द्वारा विधिक कर (शुल्क) नियमावली 2024 उपविधि नगर पंचायत उसहैत जनपद बदायूँ द्वारा नगर पंचायत सीमा के अन्तर्गत विविध कर शुल्क उपविधि नियमावली 2024 प्रस्तावित करते हुये उपरोक्त नियमावली धारा-301 के अन्तर्गत प्रकाशन के पश्चात उसके किसी विन्दु या सभी बिन्दुओं पर किसी व्यक्ति/समूह को आपत्ति हो या सुझाव हो तो अपनी लिखित आपत्ति नगर पंचायत के कार्यालय में प्रकाशन तिथि के 15 दिन के अन्दर प्राप्त करा सकता है। तत्क्रम में नगर पंयाचत उसहैत द्वारा बोर्ड दिनांक 13 दिसम्बर, 2023 प्रस्ताव सं0-10 द्वारा प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया तत्क्रम में दिनांक समाचार-पत्र अमर उजाला 12 जून एवं

दैनिक जागरण 8 जून, 2024 को प्रकाशित कराकर 15 दिवस के अन्दर आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित किया गया निर्धारित समय अवधि 15 दिवस के अन्दर कोई भी आपत्ति एवं सुझाव प्राप्त नही हुआ। बोर्ड बैठक 13 दिसम्बर, 2023 के प्रस्ताव संख्या 10 के द्वारा उपरोक्त उपविधि को उसी रूप में सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी है। निम्नवत् उपविधि को गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी माना जायेगा।

1– संक्षिप्त नाम प्रारम्भ और प्रवत्ति–

(1) यह नियमावली नगर पंचायत उसहैत की सीमान्तर्गत वाणिज्य नियत्रंण लाइसेन्स व अन्य शुल्क उपनियमावली कहलायेगी।

(2) यह नियमावली सरकारी गजट, में प्रकाशन के दिनांक से प्रभावी मानी जावेगी।

2– परिभाषाएँ–

(क) अधिनियम का तात्पर्य नगर पालिका अधिनियम, 1916 है।

(ख) नगर पालिका परिषद तात्पर्य नगर पंचायत उसहैत से है।

(ग) शुल्क के तात्पर्य नगर पंचायत उसहैत द्वारा वर्णित मदो पर लगाये शुल्क से है।

(घ) प्रभावी अधिकारी का तात्पर्य नगर पंचायत उसहैत के प्रभारी अधिकारी से है।

(ड) अधिशासी अधिकारी का तात्पर्य नगर पंचायत उसहैत के अधिशासी अधिकारी से है।

(च) निरीक्षणकर्ता से तात्पर्य नगर पंचायत द्वारा अधिकृत/कर्मचारी से है।

उपनियम

1– यह नियम नगर पंचायत उसहैत के सीमान्तर्गत लागू होगें।

2– नियमावली में निर्धारित दरें धनराशि शुल्क से रूप में कार्यालय नगर पंचायत उसहैत में अदा करके लाइसेन्स प्राप्त कर लिया जायेगा।

3– लाइसेन्स शुल्क की अवधि प्रतिवर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक रहेगी।

4– लाइसेन्स शुल्क वर्ष के प्रथम माह अप्रैल में देय होगी।

5– नियमावली तालिका में वर्णित मदो पर शुल्क लिये जाने की सूची तैयार करने का अधिकारी अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत उसहैत का है।

6– नगर पंचायत अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी/अधिकृत कर्मचारी किसी भी समय दुकान के लाइसेन्स का निरीक्षण कर सकते है और प्रत्येक दुकान के अन्दर आवश्यक स्थिति में प्रवेश कर सकते है।

7– अधिशासी अधिकारी/अधिकृत कर्मचारी सभी लाइसेन्स निर्गत कर सकता है।

8– जो शुल्क इस तालिका में नही उन्हे सम्बन्धित व्यवसाय के समकक्ष मानकर उसी के अनुरूप लाइसेन्स शुल्क लिया जायेगा।

9– इस उपनियम के प्रभावी होते ही पूर्व से प्रभावी लाइसेन्स उपनियमावली की शुल्को की दरों को स्वतः ही निरस्त माना जायेगा।

10– प्रत्येक व्यवसाय का लाइसेन्स लेना अनिवार्य होगा।

क्र0 सं0	विवरण	धनराशि
1	2	3
		रुपये–
1	होटल रेस्टोरेन्ट–	
	1– होटल लाजिंग तथा गेस्ट हाउस 10 शैया तथा बारातघर	1,000.00
	2– होटल लाजिंग तथा गेस्ट हाउस 100 शैय से 20 शैया तक	10,000.00
	3– सामान्य होटल	200.00
	नर्सिग होम–	
	1– नर्सिग होम (20 बेड तक)	2,000.00
	2– नर्सिग होम (30 बेड तक)	5,000.00
	3– प्रसूति गृह (20 बेड तक)	4,000.00
2	4– प्राइवेट अस्पताल	5,000.00
	5– पैथोलॉजी सेन्टर	1,000.00
	6– एक्सरे क्लीनिक	2,000.00
	7– डेन्टल क्लीनिक	1,500.00
	8– प्राइवेट क्लीनिक	1,500.00
3	परिवहन–	
	1– ट्रांसपोर्ट (बिना वाहन के एजेन्सी)	500.00
	2– ट्रांसपोर्ट एजेन्सी (वाहन सहित)	1,000.00
	3– ऑटो रिक्शा (2 सीटर)	300.00
	4– ऑटो रिक्शा (7 सीटर)	720.00
	5– ऑटो रिक्शा (4 सीटर)	500.00
	6– मिनी बस	1,500.00
	7– बस	2,500.00
	8– तांगा	100.00
	9– रिक्शा किराये पर	100.00
	10– रिक्शा निजी पर	100.00
	11– ठेला/ठेली	100.00
	12– बैलगाड़ी/भैसा गाड़ी	50.00
	13– हाथ ठेला	25.00
	14– ट्रोली	50.00
	15– अन्य चार पहियों के वाहन तथा व्यापारिक प्रयोग हेतु वाहन	500.00

1	2	3
		रुपये–
	16– मोटर गैरिज	100.00
	17– स्कूटर गैरिज/रिपेयरिंग शाप	50.00
	18– मोटर वाहन एजेन्सी (सेल्स सर्विस)	3,000.00
	19– स्कूटर एजेन्सी (2 पहिया/3 पहिया)	1,500.00
	20– साईकिल की दुकान	300.00
4	पैट्रोलियम–	
	1– दुकान मिट्टी के तेल 100 गैलन तक	35.00
	2– मिट्टी के तेल की दुकान 300 गैलन से अधिक	70.00
	3– पेट्रोल पम्प/डीजल पम्प थ्रो (ऑयल कम्पनी)	3,000.00
	4– पेट्रोल पम्प/ डीजल पम्प फुटकर	2,000.00
	5– जेनरेटर डीजल	500.00
	6– अन्य दुकान पैट्रोलियम उत्पादन	500.00
5	अन्य व्यवसाय	
	1– धुलाई गृह (लाण्ड्री)	100.00
	2– ड्राई क्लीनर	150.00
	3– साबुन फैक्ट्री	1,000.00
	4– गुड़ गोदाम	900.00
	5– कंकड़ तथा सुर्खी का भट्टा	1,500.00
	6– चूना	200.00
	7– पेठा बनाने का कारखाना	500.00
	8– ईट भट्टा	800.00
	9– जूता बनाने वाला कारखाना	800.00
	10 लोहा व्यापारी, टिम्बर मर्चेन्ट सीमेन्ट ईट बालू (थोक मोरम वालू) मारबल टाइल्स हार्डवेयर	1,000.00
	11– बिजली सामान के विक्रेता	300.00
	12– कपड़ा फुटकर एंव थोक व्यापारी	500.00
	13– चाय के थोक विक्रेता	100.00
	14– नट फैक्ट्री	100.00
	15– खाल एंव बाल उतारने वालो पर	600.00
	16– वेटरिंग	600.00

1	2	3
		रुपये–
	17– बेकरी	1,000.00
	18– बेकरी (पावर)	1,500.00
	19– हेयर कंटिंग सैलून	100.00
	20– ब्यूटी पार्लर	100.00
	21– कुकिंग गैस एजेन्सी	500.00
	22– जनरल मर्चेन्ट (फुटकर एंव थोक)	2,000.00
	23– कोयला थोक विक्रेता	1,000.00
	24– मसाला/पान मसाला फैक्ट्री	2,000.00
	25– कोयला फुटकर विक्रेता	1,000.00
	26– पेन्ट की दुकान (रंग रोगन)	300.00
	27– ज्वैलर्स (बड़े) 5 लाख टर्न ओवर	1,000.00
	28– ज्वैलर्स (छोटे) 5 लाख टर्न ओवर	500.00
	29– विज्ञापन एजेन्सी	1,000.00
	30– डेरी फार्म	1,000.00
	31– भूसा फार्म थोक	1,000.00
	32– भूसा विक्रेता फुटकर	500.00
	33– ऑडियो लाइब्रेरी	500.00
	34– वीडियो लाइब्रेरी	500.00
	35– केबिल टी0वी0	1,000.00
	36– आर्क्रिटेक्ट कन्सलटेन्ट विधि एकाउन्टेट कास्ट एकाउन्टेट	4,000.00
	37– फाइनेन्स कम्पनी चिटफण्ड	6,000.00
	38– इश्योरेन्स कम्पनी प्रति शाखा	12,000.00
	39– फाउण्डिंग कम्पनी/इंजीनियरिंग इण्डस्ट्रियल	1,000.00
	40– ढलाई भटटी , खराद मशीन	50.00
	41– पशु वध (छोटा)	10.00
	42– पशु (बड़ा)	15.00
	43– सब्जी गोदाम/फल गोदाम	1,000.00
	44– हड्डी, खाल सींग, चमड़ा,खांडसारी आदि फुटकर विक्रेता	500.00
	45– बार/बीयर	4,000.00
	46– शीरा फैक्ट्री	4,000.00
	47– टेन्ट हाउस	1,100.00

1	2	3
		रुपये–
6	दुकान–	रुपये
	1– पान/तम्बाकू की दुकान	100.00
	2– चाय की दुकान	100.00
	3– जनरल मर्चेन्ट की दुकान	200.00
	4– किताबों की थोक दुकान	150.00
	5– किताबो की फुटकर दुकान	200.00
	6– न्यूज पेपर विक्रेता	100.00
	7– लकड़ी की टाल थोक विक्रेता	600.00
	8– लकड़ी की टाल फुटकर विक्रेता	500.00
	9– टिम्बर मर्चेन्ट	2,000.00
	10– रेडियो मैकेनिक, टी0वी0 मरम्मत	300.00
	11– टी0वी0 शॉप / इलैक्ट्रोनिक वस्तुऐं	500.00
	12– फर्टिलाइजर (शॉप)	500.00
	13– फर्टिलाइजर फैक्ट्री	3,000.00
	14– प्लास्टिक ट्रेडर्स	500.00
	15– मिठाई की दुकान	500.00
	16– पानी बतासा की दुकान	200.00
	17– ड्राई फ्रुट की दुकान	200.00
	18– गैस फिलिंग प्लान्ट	4000.00
	19– गैस फिलिंग दुकान (छोटी)	200.00
	20– सब्जी की दुकान/फल की दुकान	200.00
	21– ड्राई फ्रुट की फुटकर दुकान	500.00
	22– बिल्डर्स (रजिस्टर्ड)	5,000.00
	23– मसाले की थोक विक्रेता	1,000.00
	24– मसाले के फुटकर की दुकान	500.00
	25– पीतल एंव स्टील बर्तन/पातल से बनी वस्तुओं के थोक विक्रेता	1,000.00
	26– पीतल एंव स्टील बर्तन/पातल से बनी वस्तुओं के फुटकर विक्रेता	500.00
	27– देशी शराब की प्रति दुकान	1,000.00
	28– अंग्रेजी शराब की दुकान	2,000.00

1	2	3
		रुपये–
	29– पशु वधशाला (स्लाटर हाउस)	500.00
	30– भैंस भैंसा (बड़ा) पशु मांस की दुकान	300.00
	31– बकरा/बकरी (छोटा) पशु मांस की दुकान	500.00
	32– फर्नीचर की दुकान (शोरूम)	1,000.00
	33– क्रॉकरी विक्रेता	500.00
	34– चूड़ी विक्रेता	100.00
	35– जूता (चमड़ा,प्लास्टिक) विक्रेता	100.00
	36– गलास फैक्ट्री /कांच से बनाने वाली समस्त फैक्ट्री	1,000.00
	37– अंग्रेजी व आयुवेर्दिक दवा की फुटकर/थोंक	500.00
	38– फर्नीचर विक्रेता	500.00
	39– रस्सी/बान/बांस बल्ली आदि की दुकान	100.00
	40– अन्य सभी प्रकार की दुकान एंव प्रतिष्ठान	100.00
	41– अन्य सभी प्रकार की फैक्ट्ररिया आदि	500.00
7	पशुपालन–	रुपये
	1– प्रति पशु (बड़ा)	10.00
	2– प्रति पशु (छोटा)	5.00
	3– कांजी हाउस उसमें बन्द जानवरो पर जुर्माना	500.00
	(क) बड़े जानवर	50.00
	(ख) छोटा जानवर	25.00
	4– प्रतिदिन खुराकी छोटे जानवर बकरी आदि	7.00
	5– प्रतिदिन खुराकी बड़ें जानवर गाय भैंस घोड़े आदि	17.00

विलम्ब शुल्क– सभी दुकानो व कारखानो पर प्रतिमाह रुपया 10.00 (दस रुपया मात्र) विलम्ब देय होगा।

दण्ड

नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा (1) के अन्तर्गत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करके नगर पंचायत उसहैत जनपद बदायूँ यह आदेश देता है कि उपरोक्त नियमों का उलघंन करने वालो पर अंकन रुपया 1,000.00 (एक हजार रुपये मात्र) तक जुर्माना किया जा सकता है यदि उल्लघंन जारी रहे तो प्रथम दोष सिद्ध के दिनांक से रुपया 25.00 (पच्चीस रुपये मात्र) प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना किया जा सकता है जुर्माना अदा न करने पर तीन मास तक का कारावास का दण्ड भी न्यायालय द्वारा दिया जा सकता है।

अध्यक्ष
नगर पंचायत उसहैत
बदायूँ

कार्यालय नगर पंचायत उसहैत, बदायूँ

07 जून, 2024 ई0

सं0 36/न0पं0उसहैत/2024-25/बायलाज/2024-25—उ0प्र0 नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगर पंचायत उसहैत द्वारा विधिक कर (शुल्क) नियमावली 2024 उपविधि नगर पंचायत उसहैत जनपद बदायू द्वारा नगर पंचायत सीमा के अन्तर्गत विविध कर शुल्क उपविधि नियमावली 2024 प्रस्तावित करते हुए उपरोक्त नियमावली धारा 301 के अन्तर्गत प्रकाशन के पश्चात उसके किसी द्वारा यू0पी0 नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा-298 (2) प्रथम सूचना के उपखण्ड (बी) एवं (सी) का प्रयोग करते हुए नगर पंचायत उसहैत द्वारा नामांतरण उपविधि तैयार की गई है। जिसकी स्वीकृति बोर्ड बैठक दिनांक 13 दिसम्बर, 2023 के प्रस्ताव संख्या 10 द्वारा स्वीकृति प्रदान करती है। यदि किसी भी व्यक्ति को इस सम्बन्ध में कोई आपत्ति/सुक्षाव प्रस्तुत करना हो तो वह उपविधि प्रकाशन की तिथि से 10 दिवस के अन्दर नगर पंचायत कार्यालय में अपनी लिखित आपत्ति/सुझाव प्राप्त करा सकते है। तत्क्रम में नगर पंयाचत उसहैत द्वारा बोर्ड दिनांक 13 दिसम्बर, 2023 प्रस्ताव सं0-10 द्वारा प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया तत्क्रम में दिनांक समाचार-पत्र अमर उजाला 12 जून एवं दैनिक जागरण 8 जून, 2024 को प्रकाशित कराकर 15 दिवस के अन्दर आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित किया गया निर्धारित समय अवधि 15 दिवस के अन्दर कोई भी आपत्ति एवं सुझाव प्राप्त नही हुआ। बोर्ड बैठक 13 दिसम्बर, 2023 के प्रस्ताव संख्या 10 के द्वारा उपरोक्त उपविधि को उसी रूप में सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी है। निम्नवत् उपविधि को गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी माना जायेगा।

उपविधि

1— संक्षिप्त नाम— यह उपविधि नगर पंचायत उसहैत बदायूँ की अचल सम्पत्तियों के हस्तांतरण सम्बन्धी नियमावली-2024 कहलाएगी।

2— प्रसार— इसका प्रसार नगर पंचायत उसहैत बदायूँ की वर्तमान सीमा तथा आगामी वर्षो में होने वाली सीमा वृद्वि में होगा।

3— नगर पंचायत उसहैत बदायूँ की सीमा का तात्पर्य उत्तर प्रदेश शासन द्वारा समय-समय पर जारी अधिसूचना द्वारा निर्धारित नगर पंचायत उसहैत बदायूँ से है।

4— प्रशासक प्रभारी अधिकारी/अध्यक्ष का तात्पर्य नगर पंचायत उसहैत बदायूँ के प्रशासक/प्रभारी अधिकारी/अध्यक्ष से है।

5— अधिशासी अधिकारी का तात्पर्य नगर पंचायत उसहैत बदायूँ के अधिशासी अधिकारी से है। जो अधिकारी/दण्डाधिकारी होगा। अधिशासी अधिकारी उपविधि में दी गयी शक्तियों का प्रयोग स्वंय अथवा अपने समक्ष अधीनस्थ अधिकारी से करा सकता है।

6— अधिशासी अधिकारी को यह अधिकार होगा कि वे प्रत्येक 5 वर्ष में पुनरीक्षण करायगें। अपरिहार्य परिस्थितियों यदि चार्ज का पुनरीक्षण न हो सकता तो प्रत्येक 5 वर्ष में निर्धारित चार्ज में 10 प्रतिशत की वृद्वि करते हुए चार्ज वसूलना सुनिश्चित करायेगें।

7— यह उपविधि शासकीय गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी।

नगर पंचायत उसहैत की सीमा क्षेत्र के अन्तर्गत अचल सम्पत्तियों के हस्तांतरण सम्बन्धी नियमावली 2024

नगर पंचायत उसहैत सीमान्तर्गत किसी भी व्यक्ति द्वारा नामांतरण का प्रार्थना-पत्र अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत उसहैत के नाम देना होगा। जिनमें कुल 6 (छः) प्रकार के दस्तावेजों के आधार पर नामांतरण किया जा सकेगा।

1– **बैनामा**– कोई भी व्यक्ति नगर पंचायत सीमान्तर्गत यदि किसी सम्पत्ति का बैनामा के आधार पर क्रय करता है तो क्रेता यह सुनिश्चित कर ले कि नगर पंचायत उसहैत पर उस सम्पत्ति की कोई देनदारी बकाया तो नही है। नगर पंचायत उसहैत द्वारा प्राप्त एन0ओ0सी0 उसका आधार होगी। अन्यथा की स्थिति में क्रेता से नगर पंचायत उसहैत द्वारा उस सम्पत्ति की बकायेदारी की वसूली की जायेगी। तत्पश्चात् ही एक अतिरिक्त शुल्क जमा के बाद नामांतरण किया जायेगा।

2– **वसीयत**– किसी भी व्यक्ति द्वारा अपने जीवित रहते हुए होश-हवाश में की गई वसीयत के आधार पर नामांतरण नगर पंचायत उसहैत द्वारा एक निश्चित शुल्क लेकर किया जायेगा।

3– **विरासतन**– किसी भी व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसके वारिसों में वारिसान प्रमाण पत्र के आधार पर नामांतरण नीचे दिये गये एक निश्चित शुल्क को जमा करके किया जायेगा।

4– **दस्तकदारी**– बहनों द्वारा भाइयों के हक में अथवा भाइयों द्वारा बहनों के हक में रजिस्टर्ड दस्तकदारी के आधार पर एक निश्चित शुल्क लेकर नगर पंचायत उसहैत द्वारा नामांतरण किया जायेगा।

5– **बॅटवारानामा**– सामान्यतः परिवार के सदस्यों द्वारा आपस में सहमति के आधार पर रजिस्टर्ड बॅटवारानामा के आधार पर नगर पंचायत उसहैत द्वारा एक निश्चित शुल्क लेकर नामांतरण किया जायेगा।

6– **दानपात्र**– रजिस्टर्ड दान पात्र के आधार पर नगर पंचायत उसहैत द्वारा एक निश्चित शुल्क लेकर नामांतरण किया जायेगा।

नामान्तरण शुल्क

1– नगर पंचायत उसहैत की सीमाओं के अन्दर यदि कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार की अचल सम्पत्ति का हस्तान्तरण (लेखा ट्रान्सफर डीड) क्रय (बैनामा) रेहननामा (बंधकनामा) अथवा दानपात्र भारतीय स्टाम्प ऐक्ट, 1899 संख्या 2 के अधीन करता है। वह तब तक नही कर पायेगा जब तक सभी हस्तान्तरण की जाने वाली या बन्धक की जाने वाली अचल सम्पत्ति के मूल्य पर निम्नलिखित शुल्क का भुगतान कार्यालय नगर पंचायत उसहैत में जमा न कर दें।

1. 5 लाख रु0 तक की सम्पत्ति	– 1,200 रु0
2. 5 लाख से अधिक 10 लाख रुपये तक	– 1,500 रु0
3. 10 लाख से अधिक 25 लाख रुपये तक	– 3,500 रु0
4. 25 लाख से अधिक 50 लाख रुपये तक	– 8,000 रु0
5. 50 लाख से अधिक 1 करोड रुपये तक	– 12,000 रु0
6. 1 करोड़ रुपये से अधिक	– 18,000 रु0 शुल्क देय होगा।

2– नगर पंचायत उसहैत की सीमाओं के अन्तर्गत स्थित किसी भी व्यक्ति की सम्पत्ति का नामान्तरण जो व्यक्ति को वसीयत, विरासत, दस्तकदारी, बॅटवारानामा में प्राप्त हो रही है कार्यालय नगर पंचायत उसहैत में–

7. 5 लाख रु0 तक की सम्पत्ति	– 1,000 रु0
8. 5 लाख से अधिक 10 लाख रुपये तक	– 1,500 रु0
9. 10 लाख से अधिक 25 लाख रुपये तक	– 2,000 रु0
10. 25 लाख से अधिक 50 लाख रुपये तक	– 3,000 रु0
11. 50 लाख से अधिक 1 करोड रुपये तक	– 8,000 रु0
12. 1 करोड़ रुपये से अधिक	– 15,000 रु0 शुल्क देय होगा।

प्रक्रिया

किसी भी व्यक्ति को जिसे नगर पंचायत उसहैत की सीमान्तर्गत सम्पत्ति का नामांतरण करवाना है वह सर्वप्रथम अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत उसहैत के नाम आवेदन कार्यालय नगर पंचायत उसहैत में प्रस्तुत करेगा

नगर पंचायत उसहैत में पढ़े जाने वाले किसी भी महत्वपूर्ण दैनिक समाचार-पत्र में आपत्तियां कम से कम 15 दिन के अन्तर्गत आमंत्रित की जायेगी। नामांतरण लिस्ट मासिक आधार पर दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित की जायेगी। किसी भी प्रकार की आपत्ति न होने पर नामांतरण शुल्क जमा कर नामांतरण कर दिया जायेगा।

नोट

1– किसी भी अचल सम्पत्ति पर नगर पंचायत उसहैत किसी भी प्रकार की बकायेदारी की स्थिति में नामांतरण नही किया जायेगा।

2– अचल सम्पत्ति पर किसी भी प्रकार के न्यायिक विवाद की स्थिति में उक्त नामांतरण को स्वतः निरस्त माना जायेगा तथा नगर पंचायत उसहैत किसी भी प्रकार से वादी-प्रतिवादी के रूप में सम्मिलित नही होगी।

दण्ड

यू0पी0 म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, 1916 की धारा-299(1) के अर्न्तगत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए नगर पंचायत उसहैत यह आदेश देती है कि 1 साल बाद नामान्तरण करवाने पर दण्ड शुल्क 1,000 रु0 2 साल या इससे अधिक समय बाद नामांतरण कराने पर दण्ड शुल्क 3,000 रु0 दण्ड शुल्क लगाया जायेगा

अध्यक्ष
नगर पंचायत उसहैत
बदायूँ

कार्यालय नगर पंचायत उसहैत, बदायूँ

विज्ञप्ति

07 जून, 2024 ई0

सं0 38/न0पं0उसहैत/2024-25–उ0प्र0 नगर पलिका अधिनियम 1916 की धारा-298 (2) सूची 1 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये नगर पंचायत उसहैत बदायूँ द्वारा विधिक (शुल्क) नियमावली, 2024 उपविधि नगर पंचायत उसहैत जनपद बदायूँ द्वारा नगर पंचायत सीमा के अन्तर्गत विविक कर (शुल्क) उपविधि नियमावली 2024 प्रस्तावित करते हुये उपरोक्त नियमावली धारा-301 के अन्तर्गत प्रकाशन पश्चात् उसके किसी बिन्दु या सभी बिन्दुओं पर किसी व्यक्ति/समूह को अपत्ति हो या सुझाव हो तो अपनी लिखित आपत्ति/सुझाव नगर पंचायत के कार्यालय में प्रकाशन तिथि के 30 दिन के अन्दर प्राप्त करा सकता है। तत्क्रम में नगर पंचायत उसहैत द्वारा बोर्ड दिनॉक 13 दिसम्बर, 2023 प्रस्ताव 09 द्वारा प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया तत्क्रम में दैनिक समाचार-पत्र दैनिक जागरण दिनॉक 07 जून, 2024 को प्रकाशित कराकर 30 दिवस के अन्दर अपत्ति एंव सुझाव आमत्रित किया गया निर्धारित समावधि 30 दिन के अन्दर कोई भी आपत्ति एवं सुझाव प्राप्त नही हुआ। उपरोक्त उपविधि को उसी रूप में सर्वसम्मति से स्वीकृती प्रदान की गयी है। निम्नवत् उपविधि को गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी माना जायेगा।

विज्ञापन विनियमन व नियंत्रण नियमावली वर्ष 2024

1– संक्षिप्त नाम प्रसार और प्रारम्भ–

(क) यह उपविधि नगर पंचायत उसहैत बदायूँ के सीमा के अन्तर्गत (समाचार पत्रों के भिन्न विज्ञापनों) विज्ञापन पर किराया निर्धारण एवं वसूली निनियमन एवं नियमन तथा नियंत्रण नियमावली (उपविधि) 2024 कहलाएगी।

(ख) यह उपविधि नगर पंचायत उसहैत बदायूँ द्वारा सरकारी गजट-प्रकाशन में प्रकाशित हो जाने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

(1)– परिभाषा– इस उपनियम में जब तक विषय अथवा प्रसंग मे कोई बात प्रतिकूल न हो–

(क) ''अधिनियम'' से तात्पर्य उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 से है।

(ख) ''बोर्ड'' से नगर पंचायत उसहैत, बदायूँ के निर्वाचित बोर्ड अथवा शासन द्वारा स्थापित की गई व्यवस्था से है।

(ग) ''अध्यक्ष-प्रशासक'' का तात्पर्य नगर पंचायत उसहैत, बदायूँ के अध्यक्ष/प्रशासक से है।

(घ) ''अधिशासी अधिकारी'' का तात्पर्य नगर पंचायत उसहैत, बदायूँ के अधिशासी अधिकारी से है।

(ड) ''शुल्क'' का तात्पर्य इस उपविधि के अन्तर्गत आरोपित शुल्क से है।

(2)– (क) '' विज्ञापन'' का तात्पर्य किसी ऐसे पत्रक, सूचना पोस्टर, चित्र, कपडे के बैनर, कागज के छोटे पोस्टर, चिपकाने वाले या साइन बोर्ड या अन्य किसी ऐसी वस्तु से जो विज्ञापन के लिये प्रस्तुत की जाती हो किसी भी प्रकार के प्रकाशन/सूचना से है, जिसका उपयोग प्रचार-प्रसार उद्देश्य से किया गया हो, जिसके अन्तर्गत दीवार व पोस्टर बैनर, बिल, होर्डिग तथा गुब्बारे का उपयोग किया गया हो, जिसे देखा अथवा पढा जा सके।

(ख) भवन का तात्पर्य किसी भी प्रकार के बने ढांचे से है, जो किसी भी मैटिरियल से बना हो जिसकी बाहरी दीवार और चार दीवारी हो अथवा उसके किसी अन्य भाग से है।

(ग) सक्षम अधिकारी का आशय अधिशासी अधिकारी से होगा।

(3)– कोई भी व्यक्ति/संस्था/एजेन्सी नगर पंचायत उसहैत,, की सीमा के अन्तर्गत किसी भी स्थान पर बिना किसी भवन/ढांचे पर विज्ञापन के उद्देश्य से किसी भी प्रकार की सूचना, पम्पलेट, बिल, पोस्टर, होर्डिग, गुब्बारे तथा किसी अन्य प्रकार के प्रचार माध्यम बिना अधिशासी अधिकारी की अनुमति के न तो प्रदर्शित करेगा, न लिखेगा, न चित्रित करेगा।

(4)– किसी भी प्रकार के ऐसे विज्ञापन जो सामाजिक रूप से अश्लील, अभद्र, आपत्तिजनक अथवा किसी व्यक्ति/समूह की भावना को ठेस पहुचाने वाले हो, पर पूर्ण प्रतिबन्ध होगा।

(5)– किसी भी ऐसे स्थान यथा राजमार्ग की पटरी, नगर मे मुख्य चौराहे, शहर की रोड, साईड पट्टी पर जिससे आवागमन/यातयात मे बाधा या जन असुविधा उत्पन्न हो तथा मा0 उच्चतम न्यायालय/अन्य समस्त अधिकारिता सम्पन्न न्यायालय द्वारा प्रतिबन्धित क्षेत्र पर किसी भी प्रकार के विज्ञापन बोर्ड लगाने पर पूर्ण प्रतिबन्ध होगा।

(6)– किसी भी प्रकार के विज्ञापन हेतु स्थल का उल्लेख सहित आवेदक/व्यक्ति/संस्था/एजेन्सी को लिखित रूप से दो प्रतियों मे आवेदन-पत्र देना अनिवार्य होगा, जिस पर स्थल एवं भाषा सम्बन्धी विभागीय जॉच रिपोर्ट पर संतुष्ट होने पर अधिशासी अधिकारी द्वारा अनुमति प्रदान की जायेगी। यह अनुमति निश्चित अवधि अथवा एक वर्ष तक अनुमन्य होगी।

(7)– अधिशासी अधिकारी के पास यह अधिकार सुरक्षित होगा कि जनहित में आवश्यक समझे तो अनुमति दे या न दे अथवा कारणों का उल्लेख करते हुए प्रतिबन्ध सहित अनुमति प्रदान करें अथवा प्रदान की गई अनुमति का निरस्त कर दें।

(8)– अनुमति निरस्त होने की दशा मे प्रभावित पक्ष को सात दिन के अन्दर अपनी अपील याचिका नगर पंचायत उसहैत अध्यक्ष/प्रशासक माध्यम से बोर्ड के समक्ष रखने का अधिकार होगा।

(9)– नगर पंचायत उसहैत सीमान्तर्गत विज्ञापन हेतु प्रदान की गई स्वीकृति पर निम्नांकित प्रकार से विज्ञापन शुल्क की दर प्रभावी होगी, जिसके अनुसार व्यक्ति/संस्था/एजेन्सी का विज्ञापन शुल्क का भुगतान करना अनिवार्य होगा। नगर पंचायत उसहैत की सीमान्तर्गत दरें निम्न प्रकार रहेगी।

क– दीवार पर लिखना	5.00 (पॉच रु0) प्रति वर्ग फुट –प्रतिमाह
ख– पोस्टर/पम्पलेट आदि	50.00 (पचास रु0) प्रति वर्ग फुट –प्रतिमाह
ग– फ्लैक्स, बैनर आदि	20.00 (बीस रु0) प्रति वर्ग फुट –प्रतिमाह
घ– लोहे, टीन आदि के विज्ञापन बोर्ड	20.00 (बीस रु0) प्रति वर्ग फुट –प्रतिमाह
ड– यूनीपोल	20.00 (बीस रु0) प्रति वर्ग फुट –प्रतिमाह
च– विद्युत नियंत्रित/चलित यूनिपोल	25.00 (पच्चीस रु0) प्रति वर्ग फुट –प्रतिमाह
छ– विज्ञापन बोर्ड (विद्युत नियंत्रित/चलित)	100.00 (सौ रु0) प्रति वर्ग फुट –प्रतिमाह
झ– गुब्बारे या अन्य उडने वाले विज्ञापन	2,000.00 (दो हजार रु0) प्रति वर्ग फुट –प्रतिमाह

(10)– किसी भी प्रकार के विज्ञापन बोर्ड यदि प्राकृतिक आपदा जैसे तूफान, भूकम्प आदि से बोर्ड टूटकर किसी भवन, ढांचे अथवा यातयात आवागमन किसी व्यक्ति, पशु एवं जान माल इत्यादि का क्षति होती है तो सम्बन्धित एजेन्सी/संस्था/व्यक्ति ही हर्जे, खर्चे व कानूनी तौर पर कार्यवाही हेतु जिम्मेदार रहेगी। नगर पंचायत उसहैत इसके लिये जिम्मेदार नही होगी।

(11)– विज्ञापन एवं प्रचार हेतु कोई भी व्यक्ति/संस्था/एजेन्सी नगर पंचायत उसहैत मे निर्धारित रजिस्ट्रेशन शुल्क 10,000.00/– रुपये जमा कराते हुये वार्षिक रूप से रजिस्ट्रेशन कराना आवश्यक होगा इसके उपरान्त सम्बन्धित संस्था/व्यक्ति/एजेन्सी के आवेदन का परीक्षण कर कार्यवाही की जायेगी।

(12)– नगर पंचायत उसहैत को अधिकार होगा कि अधिकतम बोली के आधार पर वार्षिक ठेका नीलाम करे अथवा अपने कर्मचारियों के माध्यम से विज्ञापन शुल्क की धनराशि वसूल करायें।

(13)– नगर पंचायत उसहैत क्षेत्र के मुख्य मार्ग छोडकर 100 मीटर की दूरी पर सडक के दोंनो ओर परीक्षण उपरान्त ही विज्ञापन बोर्ड लगाने की अनुमति प्रदान की जायेगी।

(14)– नगर पंचायत उसहैत के भवनों/बारात घरों, मार्किटो की छतो पर किसी भी व्यक्ति/संस्था/एजेन्सी को विज्ञापन बोर्ड लगाने की अनुमति अधिशासी अधिकारी में निहित अधिकार के तहत दी जायेगी तथा प्राईवेट भवनों/मार्किटो की छतों पर विज्ञापन बोर्ड लगाने पर निर्धारित विज्ञापन शुल्क की 1/2 की धनराशि जमा करनी होगी। साथ ही भवन/मार्किट के स्वामी के साथ विज्ञापनदाताओं द्वारा किये गये अनुबन्ध की सत्यापित कापी भी अपने आवेदन-पत्र के साथ प्रस्तुत करनी होगी, इसके उपरान्त ही अधिशासी अधिकारी द्वारा अनुमति प्रदान की जा सकती है।

(15)– नगर पंचायत उसहैत, (बदायूँ) सीमा अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति/संस्था/एजेन्सी द्वारा निर्धारित शुल्क जमा कराने उपरान्त ही अधिशासी अधिकारी द्वारा अनुमति प्रदान की जायेगी।

(16)– विज्ञापन की अनुमति की अवधि समाप्त होने पर विज्ञापनदाता/व्यक्ति/संस्था/एजेन्सी का स्थापित/लगाई गई विज्ञापन सामग्री यथा बोर्ड, बैनर, पोस्टर, गुब्बारे आदि एक सप्ताह में स्वयं हटाने का उत्तरदायित्व होगा। यह वाध्यकारी कर्तव्य होगा।

(17)– विज्ञापन और वैध स्वीकृति की समाप्ति बाद अथवा बिना वैध स्वीकृति के होते स्थापित किया गया विज्ञापन बोर्ड, बैनर, पोस्टर, गुब्बारे को हटाने विज्ञापन सामग्री को जब्त करने का अधिकार नगर पंचायत उसहैत में निहित होगा तथा हटाने का हर्जा-खर्चा वसूल करने का अधिकार भी होगा। यह खर्च मालिक/विज्ञापनदाता/एजेन्सी

/एजेन्ट से वसूल किया जायेगा यदि एजेन्सी/स्वामी/एजेन्ट/विज्ञापनदाता का एक सप्ताह के अन्दर पता ज्ञान न होगा तो हटाने की तिथि से एक माह के बाद नीलाम करने का अधिकार नगर पंचायत उसहैत में निहित होगा।

(18)– निम्नांकित प्रकार के विज्ञापनों पर उपविधि के नियम प्रभावी नही होंगे।

क– केन्द्रीय/राज्य सरकार पर उपविधि के नियम प्रभावी नही होंगे।

ख– किसी व्यवसायी द्वारा अपनी दुकान/भवन पर अपने निजी व्यवसाय से सम्बन्धित पहचान हेतु लगाया गया विज्ञापन बोर्ड/बैनर इत्यादि।

(19)– कोई भी विज्ञापनदाता/संस्था/एजेन्सी का स्वामी किसी चालित वाहन पर विज्ञापन कर रहा हो, तो उससे ठेली/रिक्शा/चालाक वाहन से नियमानुसार निर्धारित शुल्क जमा कराते हुए विज्ञापन शुल्क 10/– रुपये प्रति वर्ग फुट प्रतिमाह की दर से जमा करना होगा।

(20)– किसी भी वाद-विवाद की दशा में अधिशासी अधिकारी का निर्णय बाध्यकारी होगा। जिसकी अपील अध्यक्ष/प्रशासक नगर पंचायत उसहैत के समक्ष 30 दिन के अंतर्गत की जा सकती है।

(21)– कोई भी विज्ञापनदाता/संस्था/एजेन्सी का स्वामी इस उपविधि से प्रविधानों का उल्लंघन करके किसी भी विज्ञापन सामग्री का उपयोग करता है तो वह दोषी माना जायेगा। ऐसे दोषी पर उत्तर प्रदेश, नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा-299 के अन्तर्गत आर्थिक दण्ड आधिरोपित होगा।

दण्ड

उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा-299(1) के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके नगर पंचायत उसहैत द्वारा इस उपविधि के किसी भी अनुच्छेद का उल्लंधन करने वाले पर 1,000.00 (एक हजार रुपये) अर्थदण्ड वसूल किया जा सकता है और उल्लंघन निरन्तर जारी रहने की दशा में दोष सिद्ध होने पर अपराधी से ऐसे प्रत्येक दिन के लिये 25 रुपये प्रतिदिन अर्थदण्ड वसूल किया जा सकता है।

अध्यक्ष
नगर पंचायत उसहैत,
बदायूँ।

कार्यालय, नगर पंचायत उसहैत, जनपद बदायूँ

नगर पालिका अधिनियम 1916 के अर्न्तगत केयरिंग चार्ज उपविधि-2024

07 जून, 2024 ई0

सं0 39/न0पं0उसहैत/2024–25–सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नगर पंचायत उसहैत, बदायूँ में नगर पालिका अधिनियम-1916 की सुसंगत धाराओं तथा धारा-298 सूची–1 की उपसूची क से त्र तक में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पर्यावरण संरक्षण, लोक स्वास्थ्य, सार्वजनिक सुरक्षा जनहित तथा स्वच्छ भारत मिशन योजना के सुचारू रूप से किया जाने हेतु नगर का स्वच्छ एवं सुन्दर बनाने के लिए नगर पंचायत उसहैत, बदायूँ की सीमान्तर्गत केयरिंग चार्ज उपबिधि–2024 बनायी गयी है। यदि किसी भी व्यक्ति को इस सम्बन्ध में कोई आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत करना हो तो वह उपविधि प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर नगर पंचायत उसहैत कार्यालय को अपनी लिखित आपत्ति/सुझाव प्राप्त करा सकता है। निर्धारित समय सीमा के पश्चात् प्राप्त किसी भी आपत्ति/सुझाव पर कोई विचार नही किया जायेगा।

उपविधि

1. संक्षिप्त नाम– यह उपविधि नगर पंचायत उसहैत, बदायूँ की केयरिंग चार्ज उपविधि–2024 कहलाएगी।
2. प्रसार–इसका प्रसार नगर पंचायत उसहैत, बदायूँ की वर्तमान सीमा तथा आगामी वर्षो में होने वाली सीमा वृद्धि में होगा।
3. नगर पंचायत उसहैत, बदायूँ की सीमा का तात्पर्य उत्तर प्रदेश, शासन द्वारा समय-समय पर जारी अधिसूचना द्वारा निर्धारित प्रारूप नगर पंचायत उसहैत, बदायूँ से है।
4. प्रशासक प्रभारी अधिकारी/अध्यक्ष का तात्पर्य नगर पंचायत उसहैत, बदायूँ के प्रशासक/प्रभारी अधिकारी/अध्यक्ष से है।
5. अधिशासी अधिकारी क तात्पर्य नगर पंचायत उसहैत, बदायूँ के अधिशासी अधिकारी से है। जो केयरिंग चार्ज अधिकारी/दण्डाधिकारी होगा। अधिशासी अधिकारी उपविधि में दी गयी शक्तियों का प्रयोग स्वयं अथवा अपने सक्षम अधीनस्थ अधिकारी से करा सकता है।
6. अधिशासी अधिकारी का यह अधिकार होगा कि वे प्रत्येक 5 वर्षो में केयरिंग चार्ज का पुनरीक्षण करायेंगे। अपरिहार्य परिस्थितियों में यदि चार्ज का पुनरीक्षण न हो सका तो प्रत्येक 5 वर्ष में निर्धारित चार्ज मे 10 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए चार्ज वसूलना सुनिश्चित करायेंगे।
7. यह उपविधि शासकीय गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी।

केयरिंग चार्ज की दरें

क्र0 सं0	कृत्य	पंचायत द्वारा आरोपित धनराशि
1	2	3
		रुपये
1	आवासीय भवन स्वामियों द्वारा खुले में कूडा-कचरा डालने पर।	200.00 प्रतिदिन
2	दुकानदारों द्वारा खुले में कचरा डालने पर।	500.00 प्रतिदिन
3	रेस्टोरेन्ट मालिकों द्वारा खुले मे कचरा डालने पर।	500.00 प्रतिदिन
4	होटल मालिको द्वारा खुले मे कचरा डालने पर।	500.00 प्रतिदिन
5	बारात घर, गेस्ट हाउस, कोल्ड स्टोरेज, बैकट हाल द्वारा खुले में कचरा डालने पर।	2500.00 प्रतिदिन
6	औद्योगिक प्रतिष्ठान द्वारा खुले मे कचरा डालने पर।	5000.00 प्रतिदिन
7	हलवाई, चाट, पकौडी, फास्ट फूड, आईसक्रीम, गन्ने का रस एवं अन्य जूस एवं फूड आदि ठेला व्यवसायियों द्वारा खुले मे कचरा डालने पर।	300.00 प्रतिदिन
8	डेरी मालिकों द्वारा गोबर को सार्वजनिक स्थानो पर फेकना अथवा नाला/नालियों में बहाने पर/नाले नालियों पर अतिक्रमण करने पर।	1000.00 प्रतिदिन
9	निजी ट्रैक्टरों द्वारा बजरी, कचरा, मलबा, गोबर इत्यादि परिवहन करते हुए नगर पंचायत उसहैत की सडकों पर अपनी सामग्री विखेरने व गन्दगी फैलाने पर।	200.00 प्रतिदिन

1	2	3
		रुपये
10	सरकारी भवनों, चौराहों, तिराहों, सरकारी कार्यालयों की दीवारों व उनके गेट, सरकारी विद्युत पोल पर निजी वाणिज्यिक प्रचार-प्रसार हेतु पोस्टर, स्लोगन लिखकर सरकारी दीवारे ऐतहासिक भवनों का सुन्दरता का खराब करने व बैनर्स लगाने पर उस संस्था अथवा मौके पर पाये गये व्यक्ति से (प्रत्येक कृत्य पर)।	1000.00 प्रतिदिन
11	बिना सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के रोड कटिंग करने पर तथा नाला/नाली को तोडने एवं क्षतिग्रस्त करने पर।	3000.00 प्रतिदिन तथा मरम्मत चार्ज अतिरिक्त होगा।
12	अपने भवन का सैप्टिक टैंक न होने/जल प्रवाहित शौचालय न बनवाकर गन्दगी को नाली में खुले रूप में बहाने पर तथा भवन में सैप्टिक टैंक/जल प्रभावित शौचालय होने पर भी उसे तोडकर उसका पानी/गन्दगी को नाली में खुले में बहाने पर।	2000.00 प्रतिदिन
13	अपने भवन, दुकानों पर नीले एवं हरे रंग के ढक्कनदार कूडेदान न रखने।	500.00 प्रतिदिन
14	मीट की दुकानों के सामने दुकानदार द्वारा काटे गये जानवरों की हडिडयों, मलबा, मलीदा, खून, मुर्गे के पंख, अण्डों के छिलके इत्यादि सार्वजनिक मार्ग स्थल पर डालकर गन्दगी फैलाने पर।	1000.00 प्रतिदिन
15	मुर्गे, मछली, अण्डे की पकौडी बनाकर बेचने वाले दुकानदार द्वारा मांस एवं हड्डियों, मलबा, मलीदा, खून, मुर्गे के पंख, अण्डों के छिलके इत्यादि सार्वजनिक मार्ग स्थल पर डालकर गन्दगी फैलाने पर।	1000.00 प्रतिदिन
16	सार्वजनिक मार्ग, चौराहा व भवनों, दुकानों आदि के सामने गाय, भैस, बकरी, कुत्ते, भेड, गधा, घोडा, खच्चर, सूअर, इत्यादि पालतू जानवरो से गन्दगी फैलाने पर सम्बन्धित पशु के स्वामी से। पालतू जानवरों के खुले घूमते पाये जाने पर उनको नगर पंचायत उसहैत के कांजी हाउस मे बन्द किया जायेगा, जिनको निर्धारित जुर्माना दे कर 7 दिन के अन्दर छुडाया जा सकेगा। 7 दिन तक न छुडाने पर उक्त जानवर को जब्त कर नीलाम किया जायेगा।	500.00 प्रतिदिन
17	सड़क किनारे बैठकर मांस-मछली बेचने वाले दुकानदार द्वारा मांस एवं हड्डियों, मलबा, मलीदा, खून, मुर्गे के पंख, अण्डों के छिलके इत्यादि सार्वजनिक स्थल पर डालकर गन्दगी फैलाने पर।	500.00 प्रतिदिन
18	सार्वजनिक स्थान, जमीन व सडक के किनारे बैठकर बेचकर उनसे निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थो, कूडे कचरे को सार्वजनिक मार्ग स्थल पर डालकर गन्दगी फैलाने पर।	200.00 प्रतिदिन
19	हेयर कटिंग सैलून वालो द्वारा सार्वजनिक मार्ग स्थल, नाला, नाली आदि में गन्दगी बाल इत्यादि डालने पर।	500.00 प्रतिदिन

1	2	3
		रुपये
20	(अ) दुकानदारों अथवा व्यवसायियों द्वारा सार्वजनिक मार्ग, चौराहों, सडक अथवा दुकानों के सामने की खाली सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर व्यवसाय करने पर 3×2 फुट।	500.00 प्रतिमाह
	(ब) सब्जी ढकेल।	600.00 प्रतिमाह
	(स) अन्य ।	300.00 प्रतिमाह
21	सार्वजनकि मार्ग, सडक, फुटपाथ, सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर भोजनालय, ढाबा, होटल आदि चलाकर गन्दगी फैलाने पर।	2000.00 प्रतिदिन
22	प्राईवेट अस्पताल, नार्सिग होम, क्लीनिक, दवाखाना, मेडिकल स्टोर, पैथोलॉजी लैव इत्यादि के द्वारा सार्वजनिक मार्ग, सडक पर फुटपाथ पर अपशिष्ट पदार्थो को डालकर गन्दगी फैलाने पर।	1000.00 प्रतिदिन
23	विभिन्न चिकित्सकीय संस्थानों जैसे प्राइवेट अस्पताल, नर्सिग होग, क्लीनिक, पैथोलॉजी लैब इत्यादि के जैव चिकित्सकीय अपशिष्ट को नगरीय ठोस अपशिष्ट में अथवा सार्वजनिक स्थान पर डालने पर।	2000.00 प्रतिदिन
24	सड़क किनारे वॉशिंग मशीन लगाकर गाडियों की धुलाई करने पर।	500.00 प्रतिदिन तथा पानी का कनैक्शन काटने पर चार्ज अतिरिक्त होगा।
25	सड़क किनारे, फुटपाथ, रेलवे लाइन किनारे, सार्वजनिक मार्ग, सरकारी भूमि एवं खुले मे शौच करने पर।	500.00 प्रति व्यक्ति प्रतिदिन
26	सड़क किनारे, फुटपाथ, सार्वजनिक मार्ग, सरकारी भूमि, सरकारी कार्यालयों की दीवारों पर थूकने, तम्बाकू पान आदि की पीक थूकने पर।	200.00 प्रतिदिन
27	अपने व्यवसायिक प्रतिष्ठान में कूडादान (Dustbin) न रखने पर।	500.00 प्रतिदिन
28	सडक पटरी, सार्वजनिक भूमि, सार्वजनिक मार्ग पर जनरेटर रखकर अतिक्रमण करने पर। (निजी कार्य-क्रम परिग्रहण संस्कार आदि कर से मुक्त।	
(क)	5 के0वी0ए0 जनरेटर तक	1000.00 प्रति जनरेटर प्रतिदिन
(ख)	5 के0वी0ए0 से 10 के0वी0ए0 तक	2000.00 प्रति जनरेटर प्रतिदिन
(ग)	10 के0वी0ए0 से अधिक पर	3000.00 प्रति जनरेटर प्रतिदिन
29	सार्वजनिक नाले, नालियों, स्थानों पर स्लैब/स्थायी/अस्थायी अतिक्रमण करने तथा अवैध प्रक्षेप (छज्जा, टीनशेड आदि) डालने पर।	1000.00 प्रतिदिन

1	2	3
		रुपये
30	नगर पंचायत उसहैत की सम्पत्ति, शासकीय सम्पत्तियों, भवनों, दुकानों आदि को क्षति पहुॅचाने एवं पंचायत के बिना अनुमति के उसमें किसी भी प्रकार का निर्माण/परिवर्तन करने पर।	5000.00 प्रतिदिन
31	नगर पंचायत उसहैत सीमान्तर्गत बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के भवन निर्माण करने पर।	2000.00 प्रतिदिन
32	नगर पंचायत उसहैत के बिना लिखित अनुमति के पंचायत की पाइप लाइनों से जल संयोजन लेना, पाइप लाइनों में छेड-छाड करना/क्षति पहुचाना।	2000.00 प्रतिदिन
33	नगर पंचायत उसहैत सीमान्तर्गत बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति संतापकारी खतरनाक एवं आपत्ति जनक व्यापार जैसे– पटाखे बनाना/बिक्री करना आदि जिससे जनसुरक्षा को खतरा हो उन पर।	5000.00 प्रतिदिन
34	सार्वजनिक स्थलों/सार्वजनिक सम्पत्तियों/मार्गो/पार्को पर लगे पेड पौधा को नुकसान पहुचाने पर।	2000.00 प्रतिदिन
35	नगर पंचायत उसहैत की सीमान्तर्गत बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के ज्वलनशील सामग्री का ढेर लगाने पर।	5000.00 प्रतिदिन
36	नगर पंचायत उसहैत की सीमान्तर्गत बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के पशुओं को काटने पर।	2,000.00 प्रतिदिन
37	नगर पंचायत उसहैत की भूमि पर जल संचलन स्त्रोत जैसे– टिल्लू पम्प, जैड पम्प, समरसेबिल पम्प लगाने पर (व) निरन्तर रखने पर प्रतिवर्ष।	10,000.00एक वार। 2000.00 प्रतिवर्ष
38	नगर पंचायत उसहैत की सीमान्तर्गत पालतू कुत्तों के पहचान हेतु बेल्ट न बॉधने एवं वैक्सीन (Anti Rabies Vaccine) न लगवाने पर। (नगर पंचायत उसहैत की सीमा के गंदगी करने पर)	1000.00 प्रतिदिन
39	भवन/दुकान स्वामियों द्वारा नल की टोटी खुली पाये जाने पर।	500.00 प्रतिदिन
40	नगर पंचायत उसहैतकी सीमान्तर्गत पालतू कुत्तों का नगर पंचायत उसहैत में रजिस्ट्रेशन न कराये जाने पर।	1000.00 प्रतिदिन
41	नगर पंचायत उसहैत सीमान्तर्गत लकडी की टाल लगाकर सार्वजानिक मार्गो स्थलों आदि पर अतिक्रमण करने पर।	2000.00 प्रतिदिन
42	नगर पंचायत उसहैत में फेरी द्वारा किसी भी प्रकार सामान बेचे जाने पर।	100 प्रतिदिन
43	खाली प्लाट पर गंदगी जमा करने व डालने पर।	1000 प्रतिदिन

नवाब हसन,
अध्यक्ष,
नगर पंचायत उसहैत,
बदायूँ।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम रेहाना बेगम पत्नी स्व0 इसरार अहमद है, जो मेरे पैन कार्ड संख्या–DITPR0403Q आधार कार्ड सं0–9774 3616 5815, रेलवे द्वारा प्रदत्त उम्मीद कार्ड संख्या–33293159983B में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पति के सर्विस बुक में पी0पी0ओ0 संख्या–20187320201592 में मेरा नाम रेहाना अंकित हो गया है जो कि गलत व अधूरा है। भविष्य में मुझे रेहाना बेगम पत्नी स्व0 इसरार अहमद के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एत्त द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

रेहाना बेगम पत्नी स्व0 इसरार अहमद,
443 मोहत्सिमगंज, प्रयागराज।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम AWAKASH KUMAR MISHRA है जो मेरे शैक्षिक अभिलेख आधार कार्ड में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्री के हाई स्कूल के अंक प्रमाण पत्र अनुक्रमांक–23276876 में मेरा नाम A.K. MISHRA अंकित हो गया है, जो गलत है।

एत्त द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

अवकाश कुमार मिश्रा,
पता–भटौती पोस्ट– मेजा,
जनपद प्रयागराज।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम अभिनन्दन कुशवाहा पुत्र आजाद सिंह कुशवाहा है जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं0–2353 8195 2883 में उसका नाम अनिकेत कुशवाहा है जो कि घरेलू नाम है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम अभिनन्दन कुशवाहा पुत्र आजाद सिंह कुशवाहा के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एत्त द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

आजाद सिंह कुशवाहा,
पुत्र रामनगीना कुशवाहा,
ग्राम इन्दरपट्टी ठाढीभार पो0 दुदही,
तह0 तमकुहीराज जिला कुशीनगर, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम अनाव्या यादव पुत्री संजय कुमार यादव है, जो उसके शैक्षिक अभिलेख जन्म प्रमाण पत्र पर अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं0–2158 8440 6431 में उसका नाम अंशिका यादव (ANSHIKA YADAV) अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम अनाव्या यादव पुत्री संजय कुमार यादव के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एत्त द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

संजय कुमार यादव,
ग्राम सलाहाबाद (भिखमपुरा),
पोस्ट सलाहाबाद, तहसील–सदर,
थाना सहरायलखन्सी, जनपद मऊ।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम प्रणव मिश्रा (PRANAV MISHRA) पुत्र पुनीत कुमार मिश्र है जो कि उसके शैक्षणिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं0–3003 1423 0502 में उसका नाम खुश मिश्रा अंकित हो गया है जो कि गलत नाम है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम प्रणव मिश्रा (PRANAV MISHRA) पुत्र पुनीत कुमार मिश्र के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एत्त द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

पुनीत कुमार मिश्र,
पुत्र ब्रज मोहन लाल मिश्र,
पता– 11 स्वराज नगर पनकी, कानपुर।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम शिवलली पत्नी नान्हू है जो मेरे खतौनी परिवार रजिस्टर तथा उपजिलाधिकारी द्वारा जांच रिपोर्ट में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं0–7438 5167 1881 में मेरा नाम शिताला अंकित हो गया है जो मेरा घरेलू नाम है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम शिवलली पत्नी नान्हू के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एत्त द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

शिवलली पत्नी नान्हू,
ग्राम अखैय्यापुर पोस्ट तिलोकपुर/उसमानपुर,
थाना लोनीकटरा तहसील हैदरगढ़,
जिला बाराबंकी उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम अनिमेष यादव पुत्र संजय यादव है जो कि मेरे शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं0–2817 1654 6928 में मेरा नाम नीलेश यादव अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम अनिमेष यादव पुत्र संजय यादव के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एत्त द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

अनिमेश यादव पुत्र संजय यादव,
निवासी डी 59/26बी महमूरगंज,
शिवपुरवा, छित्तूपुर, वाराणसी।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम वेद प्रताप सिंह पुत्र आशीष कुमार सिंह है। जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं0–8418 9952 7698 में उसका नाम शिवांश सिंह अंकित हो गया है जोकि घरेलू नाम है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम वेद प्रताप सिंह पुत्र आशीष कुमार सिंह के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एत्त द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

आशीष कुमार सिंह,
आराजी नं0–57 मॉ सती नगर कालोनी,
पहडिया बेनीपुर, वाराणसी।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पत्नी का सही नाम रीना देवी (Reena Devi) है जो कि उनके आधार कार्ड, पैन कार्ड में अंकित है। त्रुटिवश मेरी सेवा से सम्बन्धित अभिलेखों में मेरी पत्नी का नाम रीना (Rina) अंकित हो गया है जो कि गलत है।

एत्त द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

अशोक कुमार पुत्र सीता राम,
निवासी– जी–2nd 73 कालिन्दीपुरम,
राजरूपपुर, प्रयागराज।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम अर्थव पाण्डेय पुत्र आशीष कुमार पाण्डेय है, जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं0–7268 8687 5555 में उसका नाम कृत अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम अर्थव पाण्डेय पुत्र आशीष कुमार पाण्डेय के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एत्त द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

आशीष कुमार पाण्डेय,
पता–ग्राम बालापुर नन्दापुर,
पोस्ट–ककोली, जिला–अयोध्या, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम सोनल सिंह पुत्री शेखर सिंह है जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं0–4326 3405 8916 में उसका नाम मानवी सिंह अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम सोनल सिंह पुत्री शेखर सिंह के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एत्त द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

अर्चना देवी, पत्नी शेखर सिंह,
निवासी–जसवंतपुर उर्फ नौगवां,
पोस्ट कलुआपुर,
थाना–सिंधौली, जिला–शाहजहांपुर उ0प्र0।

सूचना

सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम सिद्धि उमर वैश्य है पुत्री अनुराग चंद्र गुप्ता है, जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है, त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं0–3836 2205 8904 में उसका नाम सिधरी अंकित हो गया है, जो कि गलत है, भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम से जाना व पहचाना जाये।

एत्त द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

अनुराग चंद्र गुप्ता, पुत्र सुरेश चंद्र
ग्राम पोस्ट–परियत, बरसठी,
जिला–जौनपुर।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम यश राजपूत पुत्र अंकित कुमार है। जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं0–8692 1687 0652 में उसका नाम ठाकुर ईशान सिंह अंकित हो गया है जो कि गलत नाम है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम यश राजपूत पुत्र अंकित कुमार के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एत्त द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

अंकित कुमार, पुत्र पदम सिंह,
नि0 मं0 नं0 सा0 5/49-2-बी-1 पहडिया,
रमरेपुर वाराणसी, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम प्रनिथ वर्मा (Pranith Verma) पुत्र विनोद कुमार वर्मा है, जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं0–6304 3143 1511 में उसका नाम पार्थ वर्मा पुत्र विनोद कुमार वर्मा अंकित हो गया है जो कि गलत नाम है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम प्रनिथ वर्मा (Pranith Verma) पुत्र विनोद कुमार वर्मा के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एत्त द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

विनोद कुमार वर्मा,
पुत्र नत्था राम वर्मा,
पता– मकान नं0–99 उस्मान एनक्लैव,
सेक्टर-ओ–अलीगंज, जिला–लखनऊ।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम श्रेया सिंह पुत्री सुरेन्द्र सिंह है जो कि मेरे शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के

आधार कार्ड सं0–7556 6123 6078 में उसका नाम खुशबू जे सिंह अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम श्रेया सिंह पुत्री सुरेन्द्र सिंह के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एत्त द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

सुरेन्द्र सिंह पुत्र लालचन्द,
निवासी–एन-2/65 सुन्दरपुर,
वाराणसी उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम शुभ श्रीवास्तव पुत्र श्री रवीन्द्र दीपक श्रीवास्तव है जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं0–7649 2958 1035 में उसका नाम युवराज श्रीवास्तव अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम शुभ श्रीवास्तव पुत्र श्री रवीन्द्र दीपक श्रीवास्तव के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एत्त द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

रवीन्द्र दीपक श्रीवास्तव,
पता–216/11 के, जयरामपुर पटपर,
राजरूपपुर गयासुद्दीनपुर,
उपरहार धूमनगंज, प्रयागराज उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम काश्वी यादव पुत्री कपिल देव यादव है। जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं0–5553 9881 6537 में उसका नाम आरिया यादव अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम काश्वी यादव (KASHVI YADAV) पुत्री कपिल देव यादव के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एत्त द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

कपिल देव यादव,
ग्राम छतार पो0 मलावाँ छजईपुर,
जेठवारा प्रतापगढ, उ0प्र।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम जगेशर सुत बिन्देश्वरी है। जो मेरे वोटर कार्ड, खतौनी, गैस की कापी, बिजली का बिल, किसान क्रेडिट कार्ड, पासबुक, निवास प्रमाण-पत्र व उपजिलाधिकारी महोदय की जॉच रिपोर्ट में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं0–9962 7916 2379 में मेरा नाम जगेश्वर प्रसाद अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम जगेशर सुत बिन्देश्वरी के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एत्त द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

जगेशर सुत बिन्देश्वरी ,
ग्राम समशुद्दी का पुरवा, पुरे पीरगुलाम,
पो0 बिधासिन तह0 कुण्डा,
जनपद प्रतापगढ।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम साक्षी पुत्री कौशल सिंह चौहान है जो उसके शैक्षिक अभिलेख व आधार कार्ड सं0–6425 1516 4009 में अंकित है। मैने अपनी पुत्री का स्वास्थ्य ठीक न रहने के कारण अपने ज्योतिषाचार्य के अनुसार उसका नाम साक्षी से बदलकर यशस्वी सिंह चौहान रख लिया है। भविष्य में मेरी पुत्री को यशस्वी सिंह चौहान पुत्री कौशल सिंह चौहान के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एत्त द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

कौशल सिंह चौहान,
पता– मिश्रपुर कुर्सी रोड,
पोस्ट व थाना गुडम्बा,
जनपद लखनऊ।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम शिवांश पण्डेय पुत्र कृष्णानन्द पाण्डेय है, जो कि उसके शैक्षिक अभिलेखों में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं0–5231 7881 1510 में उसका नाम अंशु पाण्डेय अंकित हो गया है जो कि घरेलू नाम है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम शिवांश पाण्डेय पुत्र कृष्णानन्द पाण्डेय के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एत्त द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

कृष्णानन्द पाण्डेय,
निवासी–प्लाट नं0 38 पूर्वांचल सिटी,
चक मल्हौर, चिनहट लखनऊ, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम अब्दुल रहमान पुत्र मोहम्मद आरिफ है जो उसके शैक्षिक अभिलेख आधार कार्ड में अंकित है। मैंने अपने पुत्र का स्वास्थ्य ठीक न रहने के कारण अपने ज्योतिषाचार्य के अनुसार उसका नाम अब्दुल रहमान से बदलकर अदीब रहमान रख लिया है। भविष्य में मेरे पुत्र को अदीब रहमान पुत्र मोहम्मद आरिफ के नाम से जाना वह पहचाना जाए।

एत्त द्वारा यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के संबंध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा पूरण की गई है।

मोहम्मद आरिफ,
पता– 226/130, मोमिनपुर, अटाला,
प्रयागराज उत्तर प्रदेश।

NOTICE

It is hereby informed to the general public that the correct name of my son is Aarav Upadhyay, son of Shri Akhilesh Upadhyay, as recorded in his educational documents and aadhar card. Due health-related concerns & based on astrological consultation, I have formally changed his name from Aarav Upadhyay to MANVIKK UPADHYAY. Henceforth, he shall be known & recognized as MANVIKK UPADHYAY, son of Shri Akhilesh Upadhyay, for all purposes, I further certify that all necessary legal formalities related to the above-mentioned name change have been duly completed by me.

Smt. Ranjeeta Dwivedi
W/o : Shri Akhilesh Upadhyay
Address : F-53/29 Sector-11,
Rajajipuram, Lucknow.

NOTICE

This is to inform the general public that my daughter's correct name is Tanistha Singh, daughter of Shailendra Kumar Singh, which is recorded in all her educational documents. However, due to an error, her Aadhar Card bearing number 4531 1890 9991 has been issued in the name of Sargam Singhm which is incorrect. Therefore, in the future, my daughter should be known and recognized only by her correct name Tanishtha Singh, daughter of Shailendra Kumar Singh.

Shashibha Singh,
W/o Shailendra Kumar Singh,
Vill Belchha, Post Masida,
Dist- Jaunpur.

NOTICE

It is notified to the general public that the correct name of my son is Mohammad Ayan Hussain s/o Shri Zeeshan Hussain Narvi as mentioned in his educational records.

Due to some mistake, my son's name has been mentioned as Ayan Hussain Narvi in his

Aadhar Card No. 3588 9068 4183 which is wrong. In future, my son should be known and recognized by his correct name Mohammad Ayan Hussain s/o Shri Zeeshan Hussain Narvi.

It is hereby certified that all the legal formalities in relation to the above have been completed by me.

Zeeshan Hussain Narvi,
C-138, Awas Vikas Colony,
Near LIC Building, Unnao.

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म, मेसर्स–शिव कॉन्स्ट्रक्शन पता 55–ए, कृष्णानगर, कानपुर रोड, लखनऊ 226005 जिसका रजि० नं0 200931 का पंजीकरण दिनांक 10 फरवरी, 2016 एवं संशोधन 22 फरवरी, 2023 को कराया गया था, उक्त फर्म में प्रथम साझेदार श्रीमती प्रतिमा सिंह, द्वितीय श्री रितेश कुमार एवं तृतीय साझेदार श्रीमती किरन सिंह थी, हम तीनों साझेदारों द्वारा स्वेच्छा से उपरोक्त फर्म को दिनांक 10 अगस्त, 2025 को विघटित कर दिया है तथा इस फर्म से हम तीनों साझेदारों का कोई लेना–देना नहीं होगा। फर्म पर किसी भी प्रकार की देनदारी नही है। फर्म सभी देनदारियों से मुक्त है।

एत्त द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताओं का पालन स्वयं मेरे द्वारा किया गया है।

प्रतिमा सिंह,
साझेदार,
मेसर्स शिव कॉन्स्ट्रक्शन।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है फर्म अन्वी कन्स्ट्रक्शन सहरोज जनपद–मऊ में कुल तीन पार्टनर श्री मनोज कुमार यादव, श्री शिशिर राय व श्री मुकेश यादव द्वारा संचालित किया जाता रहा है। जिसमें से श्री शिशिर राय दिनांक–01 जुलाई 2025 से अपनी स्वेच्छा से अलग हो रहे हैं। इनका फर्म से अब कोई लेना-देना नहीं है, वर्तमान में उक्त फर्म का संचालन मनोज कुमार यादव तथा श्री मुकेश यादव द्वारा किया जा रहा है।

मनोज कुमार यादव,
प्रथम पार्टनर
अन्वी कन्स्ट्रक्शन सहरोज,
ग्राम व पोस्ट–सहरोज जनपद मऊ।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम अनन्या त्रिपाठी पुत्री आशीष त्रिपाठी है। जो कि उसके शैक्षणिक व जन्म प्रमाण पत्र में अंकित है त्रटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं0–8362 4352 7243 में उसका नाम अनी शाडिल्य अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम अनन्या त्रिपाठी पुत्री आशीष त्रिपाठी के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एत्त द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

आशीष त्रिपाठी,
पुत्र स्व0 सूर्य नारायण त्रिपाठी,
निवासी मकान सं0–206 बी भगवती कालोनी
हरईपुर निकट जिलाधिकारी आवास,
जौनपुर उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम सुरेन्द्र बहादुर सिंह (SURENDRA BAHADHUR SINGH) पुत्र शत्रोहन सिंह (SHATROHAN SINGH) है जो मेरे शैक्षिक अभिलेख में अंकित है त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं0–3859 2945 4352 में मेरा नाम सुरेन्द बहादुर सिंह (SUREND BAHADHUR SINGH) पुत्र शत्रुघन सिंह (SATRUNAH SINGH) अंकित हो गया है जो गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम सुरेन्द्र बहादुर सिंह (SURENDRA BAHADHUR SINGH) पुत्र स्व0 शत्रोहन सिंह (SHATROHAN SINGH) के नाम से जाना व पहचाना जाए।

एत्त द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

सुरेन्द्र बहादुर सिंह,
पुत्र स्व0 शत्रोहन सिंह
पता–मकान नं0 248/20 विकास नगर,
थाना कोतवाली पो0 तह0 सदर,
जिला रायबरेली।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम खुशी पाठक पुत्री राजकुमार पाठक है, जो मेरे प्रधान द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र, हाई स्कूल मार्कशीट में अंकित है। मेरा आधार कार्ड सं0–9898 9313 7701 है जिसमें मेरा नाम खुशबू पाठक पुत्री राजकुमार पाठक हो गया है जो गलत अंकित है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम से खुशी पाठक पुत्री राजकुमार पाठक के नाम से जाना व पहचाना जाये।

खुशी पाठक पुत्री राजकुमार पाठक,
ग्राम सभा–भुडकी पोस्ट–ज्ञानपुर,
जिला–भदोही।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम वीर प्रताप सिंह पुत्र संतोष कुमार सिंह है जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं0–3239 0914 8157 में उसका नाम आर्यन सिंह अंकित हो गया है जो कि गलत नाम है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम वीर प्रताप सिंह पुत्र संतोष कुमार सिंह के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एत्त द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

संतोष कुमार सिंह, पुत्र कन्हैया सिंह,
निवासी शिवराज नगर छितूपुर,
लंका वाराणसी उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम राघवेन्द्र प्रताप सिंह पुत्र संतोष कुमार सिंह है जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं0–5645 4010 2181 में उसका नाम अंश सिंह अंकित हो गया है जो कि गलत नाम है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम राघवेन्द्र प्रताप सिंह पुत्र सन्तोष कुमार सिंह के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एत्त द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

संतोष कुमार सिंह, पुत्र कन्हैया सिंह,
निवासी–शिवराज नगर छितूपुर,
लंका वाराणसी, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम कृष्णम ओझा पुत्र संतोष कुमार ओझा है जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं0–2783 7005 9294 में उसका नाम कृष्ण कुमार ओझा अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम कृष्णम ओझा पुत्र संतोष कुमार ओझा के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एत्त द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

आरती ओझा,
पत्नी श्री संतोष कुमार ओझा,
निवासी–सोरांव पाती मेजा रोड प्रयागराज।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम मोहम्मद जीशान है जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है, त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं0–7958 1724 8876 में मोहम्मद जीशान आलम हो

गया है जो कि गलत नाम है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम मोहम्मद जीशान पुत्र मुन्ताजीर आलम के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एत्त द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

मुन्ताजीर आलम,
पता– ग्राम व पो0 अनपरा तह0 दुदधी,
जिला सोनभद्र, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम शिवकली पत्नी राम सहाय है, जो मेरे निर्वाचन कार्ड, बैंक पासबुक, खतौनी, मेरे पति के सेवा सम्बन्धी अभिलेखों तथा उपजिलाधिकारी जांच आख्या में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं0–4845 5307 7641 में मेरा नाम शियाकली अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम शिवकली पत्नी रामसहाय नाम से जाना व पहचाना जाये।

एत्त द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

शिवकली पत्नी रामसहाय,
निवासी–देवदासपुर मजरे पलिया,
बुजुर्ग परगना–हथगाम, तहसील–खागा,
जिला–फतेहपुर।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम सुकृति सिंह पुत्री नितिन कुमार सिंह है जो कि उसके समस्त शैक्षणिक अभिलेखों में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं0–6725 3179 7631 में उसका नाम पाविका सिंह अंकित हो गया है जो कि गलत है भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम सुकृति सिंह पुत्री नितिन कुमार सिंह के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एत्त द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

निधि सिंह पत्नी स्व0 नितिन कुमार सिंह,
ग्राम बरहनी केदवा,
जनपद–चन्दौली उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम आनन्द पाण्डेय पुत्र दिनेश कुमार पाण्डेय है जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं0–7541 0618 3434 में उसका नाम असमित पाण्डेय अंकित हो गया है। जो कि गलत है, भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम आनन्द पाण्डेय पुत्र दिनेश कुमार पाण्डेय के नाम से जाना व पहचाना जाए।

एत्त द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

दिनेश कुमार पाण्डेय, पुत्र धर्मराज पाण्डेय,
ग्राम चौबारा (डीह) पोस्ट–न्यायीपुर,
होलागढ़ सोरांव, जनपद–प्रयागराज।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम देवव्रत पाण्डेय पुत्र नीरज कुमार पाण्डेय हैं जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड संख्या–5560 0762 2062 में उसका नाम अंशू पाण्डेय अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम देवव्रत पाण्डेय पुत्र नीरज कुमार पाण्डेय के नाम से जाना व पहचाना जाए।

एत्त द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

नीरज कुमार पाण्डेय पुत्र धर्मराज पाण्डेय,
ग्राम चौबारा (डीह) पोस्ट–न्यायीपुर,
होलागढ़ सोरांव, जनपद–प्रयागराज।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि सर्वश्री संगम कान्सट्रक्शन 90A/10B, बाद्यम्बरी गद्दी, अल्लापुर प्रयागराज (पंजीकृत) फर्म के एक भागीदार श्रीमती सुमनलता सिंह का निधन दिनांक 21 अगस्त, 2025 को हो गया है एवं श्री धर्मेन्द्र सिंह को फर्म में नये भागीदार के रूप में दिनांक 22 अगस्त, 2025 से सम्मिलित किया गया है। जिसकी संशोधित डीड दिनांक 09 सितम्बर, 2025 को निष्पादित हुयी है। वर्तमान समय में फर्म में निम्नलिखित भागीदार हैः शैलेन्द्र सिंह, शैलेन्द्र बहादुर सिंह, पंकज कुमार मिश्रा, श्रीमती मंजू सिंह एवं धर्मेन्द्र सिंह।

शैलेन्द्र बहादुर सिंह,
भागीदार,
सर्वश्री संगम कान्सट्रक्शन 90A/10B,
बाद्यम्बरी गद्दी, अल्लापुर, प्रयागराज।

सूचना

यह सूचित करती हूं कि हमारी फर्म मेसर्स राधा कृष्ण कम्युनिकेशन, जिसका कार्यालय 63 सिविल लाइंस, बरेली पर स्थित है, में कार्यरत साझेदार मीनू उपाध्याय और शिवम कपूर दिनांक 05 अगस्त, 2025 से फर्म के साझेदार नहीं रहे है। उक्त तिथि के बाद से, उक्त व्यक्ति का फर्म के किसी भी प्रकार के लेन-देन, दायित्व, अधिकार या जिम्मेदारियों से कोई संबंध नहीं रहेगा। अतः आम जनता, व्यापारी बंधु और संबंधित पक्षों को सूचित किया जाता है, फर्म किसी भी प्रकार की देनदारी या उत्तरदायित्व के लिए उत्तरदायी नहीं होगी।

अमिता मेहरोत्रा
फर्म मेसर्स राधा कृष्ण कम्युनिकेशन।

सूचना

यह सूचित करती हूं कि हमारी फर्म मेसर्स गजकेसरी एडवरटाइजर्स, जिसका कार्यालय 63 सिविल लाइंस, बरेली पर स्थित है, में कार्यरत साझेदार मीनू उपाध्याय और संजीव गर्ग दिनांक 05 अगस्त, 2025 से फर्म के साझेदार नहीं रहे है। उक्त तिथि के बाद से, उक्त व्यक्ति का फर्म के किसी भी प्रकार के लेन-देन, दायित्व, अधिकार या जिम्मेदारियों से कोई संबंध नहीं रहेगा। अतः आम जनता, व्यापारी बंधु और संबंधित पक्षों को सूचित किया जाता है फर्म किसी भी प्रकार की देनदारी या उत्तरदायित्व के लिए उत्तरदायी नहीं होगी।

अमिता मेहरात्रा,
फर्म मेसर्स गजकेसरी एडवारटइजर्स।

सूचना

यह सूचित करती हूं कि हमारी फर्म मेसर्स श्री साई क्रिएशन, जिसका कार्यालय 63 सिविल लाइंस, बरेली पर स्थित है, में कार्यरत साझेदार मीनू उपाध्याय और शिवम कपूर दिनांक 05 अगस्त, 2025 से फर्म के साझेदार नहीं रहे है। उक्त तिथि के बाद से, उक्त व्यक्ति का फर्म के किसी भी प्रकार के लेन–देन, दायित्व, अधिकार या जिम्मेदारियों से कोई संबंध नहीं रहेगा। अतः आम जनता, व्यापारी बंधु और संबंधित पक्षों को सूचित किया जाता है फर्म किसी भी प्रकार की देनदारी या उत्तरदायित्व के लिए उत्तरदायी नहीं होगी।

रिचा मल्होत्रा,
फर्म मेसर्स श्री सांई क्रिएशन।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मे० माधव गैस सर्विस, 2/161ए, धर्म भवन, निरंजनपुरी, रामघाट रोड, अलीगढ़ में स्थित है उपरोक्त फर्म में श्री उदय पाल सिंह, श्री दिनेश कुमार सिंह, श्री माधव राना, श्री विनीत कुमार सिंह निवासीगण अलीगढ़ हम सभी साझेदारों ने अपनी फर्म दिनांक– 01 अप्रैल, 2025 को संचालन की थी। दिनांक 05 अगस्त, 2025 को अपनी स्वेच्छा से हम सभी साझेदारों ने फर्म को विघटित कर दिया है। फर्म पर किसी भी प्रकार की कोई लेनदारी या देनदारी वकाया नहीं है। और न ही हम सभी साझेदारों में कोई मतभेद है।

उदय पाल सिंह,
साझेदार,
फर्म मे० माधव गैस सर्विस, 2/161ए,
धर्म भवन, निरंजनपुरी, रामघाट रोड, अलीगढ।

सूचना

एत्त द्वारा सूचित किया जाता है कि मेसर्स–वीना ट्रेडर्स, 9/1054, इन्दिरानगर, जिला–लखनऊ की साझेदारी फर्म 1932 साझेदारी अधिनियम के अन्तर्गत लखनऊ से पंजीकृत है, फर्म की साझेदारी में 04 साझेदार क्रमशः–श्री नान्हूराम जायसवाल, श्री अभिषेक जायसवाल, श्री सुशील कुमार सिंह एवं श्री मो० शादाब साझेदार थे जिसमें एक साझेदार श्री नान्हूराम जायसवाल की दिनांक 05 सितम्बर, 2025 को हो मृत्यु गई है तथा दिनांक 08 सितम्बर, 2025 से फर्म की साझेदारी में एक नयी साझेदार श्रीमती पूजा जायसवाल फर्म की साझेदारी मे नयी शामिल हो गई है, फर्म की साझेदारी में वर्तमान में श्री अभिषेक जायसवाल, श्री सुशील कुमार सिंह, श्रीमती पूजा जायसवाल एवं मो० शादाब फर्म के साझेदार है

अभिषेक जायसवाल,
9/1054, इन्दिरानगर,
जिला–लखनऊ।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि अनिल कुमार पुत्र राम प्यारे निवासी ग्राम अदरा पो0 भितेहरा जिला बस्ती। मेरे पुत्र का नाम गलती वश दीवंशु सिंह हो गया था जिसका आधार कार्ड सं0– 8845 2917 2574 है जिसका शैक्षिक अभिलेखों में सही नाम अभय सिंह है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम अभय सिंह पुत्र अनिल कुमार के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एत्त द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

अनिल कुमार,
नि0 ग्राम अदरा पो0 भितेहरा,
जिला बस्ती।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम रूद्राक्षी सोनकर पुत्री बृजेश सोनकर है, जो मेरे शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं0–3714 2091 3883 में मेरा नाम स्वरा सोनकर अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरे सही नाम रूद्राक्षी सोनकर पुत्री बृजेश सोनकर के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एत्त द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

रूद्राक्षी सोनकर, पुत्री बृजेश सोनकर,
पता– 157, कृष्णानगर कीडगंज,
जिला प्रयागराज।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम आदित्य गुप्ता पुत्र दीपचन्द्र गुप्ता है जो मेरे आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक एवं शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश एल0एई0सी0 पॉलिसी सं0–2307 93035 में मेरा नाम प्रिंस गुप्ता अंकित हो गया है। जो कि मेरा घरेलू नाम है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम आदित्य गुप्ता पुत्र दीपचंन्द्र गुप्ता के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एत्त द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

आदित्य गुप्ता पुत्र दीपचंन्द्र गुप्ता,
निवासी– 54 चंन्द्र नगर, कानपुर।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम राभ्या शर्मा पुत्री धर्मेन्द्र कुमार शर्मा है जो उसके जन्म प्रमाण पत्र एवं विद्यालय प्रमाण पत्र में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं0–7047 9150 0577 में उसका नाम परी शर्मा अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम राभ्या शर्मा पुत्री धर्मेन्द्र कुमार शर्मा के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एत्त द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

धर्मेन्द्र कुमार शर्मा,
पुत्र स्व0 नंद किशोर शर्मा,
निवासी– प्लाट नं0 8 मकडीखेडा आजाद नगर,
कतरिज्योरा नवाबगंज कानपुर नगर।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम बबलू पुत्र स्व0 कोतवाल है। जो मेरे पैन कार्ड, निर्वाचन कार्ड, विद्युत बिल एवं राशन कार्ड में अंकित है। त्रुटिवश आधार कार्ड सं0– 7223 4507 3670 में मेरा नाम बाबूलाल अंकित हो गया है, जो कि मेरा घरेलू नाम है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम बबलू पुत्र स्व0 कोतवाल के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एत्त द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

बबलू पुत्र स्व0 कोतवाल
निवासी– 9/46 बेनाझाबर कतारिजियोरा,
नवाबगंज कानपुर।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम अभय कुमार पुत्र अरूण कुमार है जो उसके शैक्षिक अभिलेख एवं जन्म प्रमाण पत्र में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं0–5925 6348 7999 में उसका नाम अमित अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम अभय कुमार पुत्र अरूण कुमार के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एत्त द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

अरूण कुमार पुत्र राम प्रकाश,
निवासी– रायपुर विक्रमपुर वी0टी0सी0,
नौबस्ता अकबरपुर कानपुर देहात।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम विजय कुमार (Vijai Kumar) पुत्र कृष्णदेव प्रसाद है, जो मेरे शैक्षिक अभिलेख व पैन कार्ड में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं0–5248 9918 2468 में मेरा नाम विजय कुमार (Vijay Kumar) पुत्र कृष्णदेव प्रसाद अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम विजय कुमार (Vijai Kumar) पुत्र कृष्णदेव प्रसाद के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एत्त द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

विजय कुमार,
लेटाघाट, बडहलगंज, चिल्लूपार,
जिला गोरखपुर।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम उत्कर्ष आनन्द पुत्र सुखदेव है जो कि उसके शैक्षिक अभिलेखों में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं0–8609 9007 6344 में उसका नाम स्नेह आनन्द अंकित हो गया है जो कि गलत नाम है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम उत्कर्ष आनन्द पुत्र सुखदेव के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एत्त द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

सुखदेव, पुत्र स्व0 राम जियावन,
नि0–म0नं0 355/165क, आलमनगर,
निकट रेलवे स्टेशन आलमनगर,
तहसील–सदर लखनऊ।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम तराना केशरवानी पुत्री मोहन लाल केसरवानी है जो कि मेरे शैक्षिक अभिलेखों में अंकित है त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं0–6729 3077 8854 में मेरा नाम तरूणा

केशरवानी हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम तराना केशरवानी पुत्री मोहन लाल केसरवानी के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एत्त द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

तराना केशरवानी,
नि0 ग्राम सेठिया मोहल्ला लालगोपालगंज,
जिला प्रयागराज।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम शांभवी मैत्रेयी पुत्री दीपक कुमार यादव है जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं0–8203 0500 8964 में उसका नाम अनुप्रिया यादव हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम शांभवी मैत्रेयी पुत्री दीपक कुमार यादव के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एत्त द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

कल्पना यादव,
पत्नी दीपक कुमार यादव,
निवासी–ग्राम व पोस्ट दुबावल जमुनीपुर,
जनपद प्रयागराज, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मे० राजेंद्र कोल्ड स्टोरेज पंजीकृत कार्यालय पता– 15/3 थॉर्नील रोड, प्रयागराज पंजीकरण संख्या ALL/0012008 दिनांक 19 मई, 2022 जिसमे (1) वेद प्रकाश गोयल पुत्र स्वर्गीय राजमल गोयल निवासी 15/3 थार्निल रोड, प्रयागराज (2) योगेश गोयल पुत्र श्री वेद प्रकाश गोयल एवं यश गोयल पुत्र श्री योगेश गोयल निवासी 15/3 थार्निल रोड, प्रयागराज साझेदार थे। फर्म में वेद प्रकाश गोयल पुत्र स्वर्गीय राजमल गोयल स्वेच्छा से दिनांक 30 अगस्त, 2025 को सेवानिवृत्त हो गए है। फर्म में इनकी कोई भी लेनदारी व देनदारी शेष नहीं रह गयी है। फर्म राजेंद्र कोल्ड स्टोरेज मे वर्तमान में योगेश गोयल पुत्र वेद प्रकाश गोयल व यश गोयल पुत्र श्री योगेश गोयल साझेदार के रूप में है जिनका हिस्सा क्रमशः 66.666% एवं 33.333 प्रतिशत हैं।

योगेश गोयल,
साझेदार,
राजेंद्र कोल्ड स्टोरेज।

सूचना

सूचित किया जाता है कि भागीदारी फर्म मे० किसान ट्रैक्टर्स, वंशीवट कॉलोनी, बल्देव रोड, राया, मथुरा-281204 में परिवर्तन की सूचना इस प्रकार हैं –

यह कि उक्त फर्म में दिनांक 25 जुलाई, 2025 को श्री गुलाब सिंह पुत्र श्री रूमी सिह निवासी-सी-60 चन्द्रपुरी, धौली प्याऊ मथुरा को भागीदार की हैसियत से सम्मिलित कर लिया गया है तथा उक्त दिनांक 25 जुलाई, 2025 को ही फर्म के भागीदार श्री यशवीर सिंह पुत्र श्री उदयवीर सिंह निवासी–ग्राम कटैला तहसील महावन, राया मथुरा तथा श्री सोहेल पुत्र श्री मौहम्मद रहीस निवासी-मौहल्ला व्यापारियान, राया, मथुरा फर्म की भागीदारी से स्वेच्छा से अलग हो गये है। अब फर्म में श्री अभिषेक चौधरी तथा श्री गुलाब सिंह भागीदार है

अभिषेक चौधरी,
भागीदार,
मे० किसान ट्रैक्टर्स,
वंशीवट कॉलोनी, बल्देव रोड,
राया, मथुरा।

सूचना

सूचित किया जाता है कि भागीदारी फर्म मे0 राकेश आईस एण्ड कोल्ड स्टोरेज, ग्राम मौहसीनाबाद अतरौली, जिला अलीगढ़–202280 में परिवर्तन की सूचना इस प्रकार है–

यह कि दिनांक 10 सितम्बर, 2025 को फर्म के भागीदार श्री बन्टी वर्मा पुत्र श्री राकेश कुमार निवासी–ग्राम मौहसीनाबाद, जमालगढी, तहसील अतरौली जिला अलीगढ तथा चतुर्थ भागीदार श्री टिन्कू वर्मा पुत्र श्री

राकेश कुमार निवासी– उपरोक्त फर्म की साझेदारी से स्वेच्छा से अलग हो गये है। अब फर्म में श्री राकेश कुमार तथा श्रीमती गीता देवी भागीदार है।

राकेश कुमार,
भगीदार,
मे0 राकेश आईस एण्ड कोल्ड स्टोरेज,
ग्राम मौहसीनाबाद अतरौली, जिला अलीगढ।

सूचना

सूचित किया जाता है कि दिनांक 20 फरवरी, 2025 को पार्टनरशिप फर्म में०–अनन्या एसोसियट–511 तुलसीनगर उरई के सभी पार्टनर (1) मंगल सिंह पुत्र श्री सुरेन्द्र सिंह (2) रामभजन यादव पुत्र टेकचन्द्र (3) नबाब आलम पुत्र मुन्ना की आपस में बैठक आहूत की गई जिसमें रामभजन यादव एवं नबाव आलम का शारीरिक स्वास्थ्य सही न होने के कारण फर्म से रिटायरमेन्ट लेने की इच्छा प्रकट की जिसके दृष्टिगत उक्त दोनों पार्टनर को रिटायरमेन्ट दिया गया तथा फर्म के संचालन हेतु दो नये पार्टनर को फर्म में सम्मिलित किया गया जिनका नाम (1) लक्ष्मी प्रसाद पुत्र प्रताप सिंह निवासी चण्डौत डांडा जिला हमीरपुर एवं (2) उमेश कुमार पुत्र सूरज सिंह निवासी पुरैनी हमीरपुर है।

अतः पार्टनरशिप फर्म– मे० अनन्या एसोसियट में उपरोक्त संशोधन सभी पार्टनर की सहमति से किया गया।

मंगल सिंह,
पार्टनर,
फर्म में० अनन्या एसोसियट,
511, तुलसीनगर उरई।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम अभ्युदय एम पुत्र विनोद कुमार मिश्र है, जो उसके जन्म प्रमाण-पत्र में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड संख्या 8388 4664 8874 में उसका नाम अभ्युदय मिश्रा अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम अभ्युदय एम पुत्र विनोद कुमार मिश्र के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूरी की गयी है।

सीमा पाण्डेय,
पत्नी श्री विनोद कुमार मिश्र,
पता–मकान नं0-1 रामपुरी,
पुरानी बाजार, नजदीक पोस्ट
ऑफिस कर्वी, चित्रकूट, उ0प्र0।

पी0एस0यू0पी0–25 हिन्दी गजट–भाग 8–2025 ई0।

मुद्रक एवं प्रकाशक–निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।